37

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा आयोजना

(मांग सं 21)

सैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन 1944 (शक)

सैंतीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय खरीद नीति और रक्षा आयोजना ,

(मांग सं 21)

31.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

31.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ फाल्गुन 1944 (शक)

विषय सूची-

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (2022-23)…….....ii

प्राक्कथन…….....v

प्रतिवेदन

भागएक-

अध्याय एक रक्षा सेवाओं में पूंजीगत परिव्यय**…….....** 01

अध्याय दो रक्षा सेवाओं हेतु खरीद नीति **…….....** 34

अध्याय तीन रक्षा आयोजना **…….....** 70

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें..... 81

परिशिष्ट

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की दिनांक 20.02.2023, 22.02.2023, 24.02.2023 और 16.03.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश 103

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा

2. श्री नितेश गंगा देब
3. श्री राहुल गांधी
4. श्री डी सदानन्द गौड़ा .वी .
5. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. श्री सुरेश कश्यप
8. श्री रतन लाल कटारिया
9. डॉ रामशंकर कठेरिया .
10.@ श्री डीकथीर आनन्द.एम.
11. कुंवर दानिश अली
12. डॉराजश्री मल्लिक .
13. * श्री एन .रेड्डप्पा
14. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
15. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16. श्री जुगल किशोर शर्मा
17. डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे .
18. श्री प्रताप सिम्हा
19. श्री बृजेन्द्र सिंह
20. श्री महाबली सिंह
21. श्री दुर्गा दास उइके

राज्य सभा

.22 डॉअशोक बाजपेयी .
.23 श्री प्रेम चंद गुप्ता
24. श्री सुशील कुमार गुप्ता
25. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27. डॉसुधांशु त्रिवेदी .
28. श्रीमती पी उषा .टी.
29. श्री जी वासन .के .
30. ले (.रिटा) वत्स .पी .डी (.डॉ) जनरल .
31. श्री के वेणुगोपाल .सी .

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	सुश्री सुवायबा शेख	-	सहायक कार्यकारी अधिकारी

@08.12.2022 से नामनिर्दिष्ट।

* 16.11.2022 से नामनिर्दिष्ट।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर और श्री श्रीधर कोटागिरी, संसद सदस्य, लोकसभा 16.11.2022 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर ' रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा आयोजना (मांग सं. 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी यह सैंतीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 8 फरवरी, 2023 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं। समिति ने 20, 22 और 24 फरवरी, 2023 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति द्वारा 16 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

3. समिति रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सेवाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में समिति द्वारा वांछित सामग्री और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद करती है ।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग- दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **जुएल ओराम**

मार्च, 2023 **सभापति**

फाल्गुन, 1944 (शक) **रक्षा संबंधी स्थायी समिति**

अध्याय एक

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मांग संख्या 21

समिति को पता चला है कि पूंजीगत परिव्यय तीनों सेनाओं और अन्य के भूमि और निर्माण कार्यों, विभिन्न रक्षा विभागों के पूंजीगत व्यय और सेवाओं के पूंजीगत अधिग्रहण आदि के लिए आवंटन प्रदान करता है। यह टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर किए गए खर्च को भी पूरा करता है। रक्षा मंत्रालय की मांग संख्या 21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय से संबंधित है। पूंजीगत व्यय में भूमि, निर्माण कार्य, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, टैंक, नौसेना के जहाज, विमान और एयरो इंजन, डॉकयार्ड आदि पर व्यय शामिल है। यह रक्षा मंत्रालय की विभिन्न सेवाओंसंगठनों अर्थात सेना/, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, रक्षा आयुध कारखानों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डीजीक्यूए), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), विवाहित आवास परियोजना (एमएपी), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा राइफल्स आदि से संबंधित है।

1.2 बजट अनुमान 2022-23 संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में वित्त मंत्रालय ने रक्षा सेवाओं के लिए राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत निम्नानुसार निधियां आवंटित की हैं :-

(₹ करोड़ में)

	ब.अ.2022-23	**सं.अ.2022-23**	**ब.अ. 2023-24**
राजस्व (निवल)	2,12,027.56	2,59,500.48	2,70,120.14
पूंजी	1,35,060.72	1,50,000.00	1,62,600.00
कुल	3,47,088.28	4,09,500.48	4,32,720.14

1.3 वर्ष 2017-18 से रक्षा सेवा अनुमानों के तहत बजट अनुमानों (डीएसई), संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय में वर्ष र वर्षवार आवंटन औ-2022-23 के बजट अनुमान निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**ब.अ.**	**स.अ.**	**वास्तविक व्यय**
2017-18	2,59,261.90	2,63,003.85	2,72,559.83
2018-19	2,79,305.32	2,82,100.23	2,87,688.65
2019-20	3,05,296.07	3,16,296.07	3,18,664.58
2020-21	3,23,053.00	3,43,822.00	3,40,093.51
2021-22	3,47,088.28	3,68,418.13	3,66,545.90
2022-23	3,85,370.15	4,09,500.48	2,67,523.08*

2023-24	4,32,720.14		

*दिसंबर, 2022 तक

1.4 रक्षा मंत्रालय ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समिति की बैठक के दौरान निम्नलिखित जानकारी भेजी, जिसमें रक्षा बजट का सारांश (डीएसई)2022-23 और 2023-24 के बीच तुलना की गई।

रक्षा सेवा अनुमानों का सारांश -2022-23 की तुलना में 2023-24:

(₹ करोड़ में)

	ब.अ. 2022-23			**ब.अ. 2023-24**		
	आवंटन	**संशोधित व्यय का %**	डीएसई **का %**	**आवंटन**	**संशोधित व्यय का %**	डीएसई **का %**
राजस्व व्यय						
वेतन और भत्ते	1,67,343.74	71.82	43.42	1,77,244.64	65.62	40.96
स्टोर और उपकरण	40,009.14	17.17	10.38	56,617.73	20.96	13.08
परिवहन	6,203.43	2.66	1.61	7,094.04	2.63	1.64
विविध	5,851.87	2.51	1.52	11,024.75	4.08	2.55
राजस्व कार्य,	13,592.36	5.83	3.53	18,138.98	6.72	4.19

आदि						
(क) कुल राजस्व व्यय	2,33,000.54	100.00	60.46	2,70,120.14	100.00	62.42
(ख) पूंजीगत परिव्यय						
	1,52,369.61	-	39.54	1,62,600.00	-	37.58
पूंजी अर्जन आधुनिकीकरण/	1,24,408.64	-	32.28	1,32,301.27	-	30.57
कुल (क &ख)	**3,85,370.15**	-	100.00	**4,32,720.14**	-	100.00

1.5 मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को साक्ष्य के दौरान यह भी बताया कि रक्षा बजट में चार अनुदानों की मांगें होती हैं। रक्षा सेवाओं और डीआरडीओ के राजस्व और पूंजी आवंटन का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुदान संख्या 20 और 21 को आमतौर पर रक्षा सेवा अनुमान के र (डीएसई)ूप में जाना जाता है। डीएसई के तहत किए गए आवंटन के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नवत बताया कि :-

"रक्षा सेवा का अनुमान 3,85,370 करोड़ रुपये से 12.29 प्रतिशत बढ़कर 4,32,720 करोड़ रुपये हो गया है। सिविल बजट के तहत 2,512 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो पेंशन बजट के तहत 12.5 प्रतिशत है, यह वृद्धि 15.46 प्रतिशत है। पूर्ण रूप से, यह वृद्धि 18,509 करोड़ रुपये है और यह ओआरओपी के कारण बढ़े हुए पेंशन व्यय के साथ साथ पेंशन में सामान्य-

वृद्धि को भी पूरा करती है। रक्षा सेवा का4,32,720 करोड़ रुपये का अनुमान कुल रक्षा बजट का लगभग 73 प्रतिशत है।"

मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा साक्ष्य के दौरान समिति को यह भी समझाया गया:

"रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय को पूंजी अधिग्रहण और पूंजी अधिग्रहण के अलावा अन्य में विभाजित किया गया है। पूंजी अधिग्रहण के रूप में 1,32,301 करोड़ रुपये और पूंजी अधिग्रहण के अलावा 30,298 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ।"

1.6 मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि पूंजीगत परिव्यय के लिए आवंटन का ब्यौरान्य के भूमि और निर्माण कार्योंजो तीनों सेनाओं और अ ,, विभिन्न रक्षा विभागों के पूंजीगत व्यय और सेवाओं के पूंजीगत अर्जन के लिए आवंटन प्रदान करता है :निम्नलिखित जानकारी देकर प्रदान किया ,

	ब.अ. 2022-23	**सं.अ. 2022-23**	**बअ. 2023-24**
राजस्व (निवल)	2,33,000.54	2,59,500.48	2,70,120.14
पूंजी (अर्जन)	1,24,408.64	1,22,690.98	1,32,301.27
पूंजी (पूंजी अर्जन के अलावा)	27,960.97	27,309.02	30,298.73
कुल पूंजी	1,52,369.61	1,50,000.00	1,62,600.00
कुल (राजस्व+पूंजी)	**3,85,370.15**	**4,09,500.48**	**4,32,720.14**

<u>पूंजीगत बजट का विवरण</u>

(₹ करोड़ में)

	ब.अ. 2022-23	**सं.अ. 2022-23**	**ब.अ. 2023-24**
पूंजी अर्जन	1,24,408.64	1,22,690.98	1,32,301.27
पूंजी (अर्जन के अलावा)			
तीनों सेवाओं की भूमि और कार्य (विवाहित आवास परियोजनाओं सहित (	12,149.16	11,505.71	16,113.73
डीआरडीओ, डीजीओएफ और अन्य रक्षा विभाग	15,811.81	15,803.31	14,185.00
कुल पूंजी	**1,52,369.61**	**1,50,000.00**	**1,62.600.00**

वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा बलों के पूंजीगत आवंटन बजट में प्रतिशत वृद्धि के बारे में जानकारी देते हुए मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की :-

<u>मद</u>	**<u>ब .अ.2022-23</u>**	**<u>बअ. 2023-24</u>**	**<u>पिछले वित्त वर्ष से प्रतिशत वृद्धि</u>**

पूंजी अर्जन (आधुनिकीकरण(	1,24,408.64	1,32,301.27	**6.3%**
पूंजी अर्जन के अलावा (ओटीसीए (	27,960.97	30,298.73	**8.3%**
कुल पूंजी	**1,52,369.61**	**1,62,600.00**	**6.3%**

तीनों रक्षा सेवा प्राक्कलनों के अंतर्गत पूंजीगत बजट के वितरण के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत सूचित किया -:

रक्षा सेवाओं का पूंजीगत बजट 1.50 लाख करोड़ रुपये से 6.71 प्रतिशत बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ के आधुनिकीकरण बजट को दर्शाने वाला पूंजीगत अर्जन व्यय 6.34 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2018-19 से पिछले पांच वर्षों में, पूंजी अधिग्रहण जिसे रक्षा सेवा के आधुनिकीकरण बजट के रूप में भी जाना जाता है, ने लगभग 78.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। निरपेक्ष रूप से यह लगभग 58,185 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा बलों के पूंजीगत आवंटन बजट में प्रतिशत वृद्धि के बारे में जानकारी देते हुए मंत्रालय ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की :

मद	**ब.अ. 2022-23**	**ब.अ. 2023-24**	**पिछले वित्त वर्ष से प्रतिशत वृद्धि**
पूंजी अर्जन (आधुनिकीकरण (	1,24,408.64	1,32,301.27	**6.3%**
पूंजी अर्जन के अलावा (ओटीसीए (	27,960.97	30,298.73	**8.3%**
कुल पूंजी	**1,52,369.61**	**1,62,600.00**	**6.3%**

आधुनिकीकरण और अन्य परिचालन अर्जन के उद्देश्य से प्रत्येक सशस्त्र बल को आवंटित निधियों के वितरण के संबंध में, मंत्रालय ने यह सूचित किया- :

सेवाएं	**ब.अ. 2022-23**	**ब.अ. 2023-24**	**पिछले वित्त वर्ष से प्रतिशत वृद्धि**
आईए	25,908.85	30,163.00	16.4%
आईएन	45,749.81	48,113.90	5.2%
आईएएफ	52,749.98	54,024.37	2.4%
कुल	1,24,408.64	1,32,301.27	6.3%

तीनों सेनाओं के राजस्व और पूंजी शीर्ष के अंतर्गत तीनों सेनाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमान और वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया आबंटन

1.7 समिति की पूर्वानुमानों संबंधी दिए गए ब्यौरे के अनुसार ,पिछले पांच वर्षों के दौरान तीनों सेनाओं के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों के लिए किए गए आवंटन तथा पूंजी और राजस्व शीर्ष के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा तालिका के रुप में निम्नवत है:

क. राजस्व

(रुकरोड़ में.)

वर्ष	सेवा	ब.अ.		सं.अ.		व्यय
		अनुमानित	आवंटित	अनुमानित	आवंटित	
2018-19	सेना$	1,51,814.73	1,27,059.51	141456.91	1,29,812.34	1,34,241.38
	नौसेना	23,747.75	19,571.37	24420.58	20,795.04	20,856.23
	वायु सेना	35,260.79	28,821.27	32407.37	28,105.43	28,291.25
2019-20	सेना	1,52,321.32	1,40,398.49	1,52,424.82	1,42,773.83	1,42,529.38
	नौसेना	27,086.29	22,211.71	28,737.09	22,786.71	22,387.31
	वायु सेना	34,849.50	29,601.69	40,382.40	29,951.69	30,124.31
2020-21	सेना	1,65,228.28	1,45,785.88	1,53,436.68	1,44,545.67	1,39,903.33
	नौसेना	32,237.96	22,934.75	28,379.84	23,347.69	23,166.05
	वायु सेना	43,904.17	29,962.66	44,605.21	31,742.07	32,825.23
2021-22	सेना	1,70,705.28	1,47,644.13	1,68,657.23	1,57,619.06	1,57,092.05
	नौसेना	34,256.83	23,360.68	30,069.08	23,925.91	23,834.99
	वायु सेना	44,992.90	30,652.53	48,816.59	34,283.02	34,375.46
2022-23*	सेना	1,74,038.35	1,63,713.69	1,80,526.71	1,73,335.62	1,27,935.76
	नौसेना	34,701.66	25,406.42	34,441.48	30,734.58	19,840.03
	वायु सेना	50,692.44	32,873.46	54,997.72	44,728.10	29,214.45

2023-24	सेना नौसेना वायु सेना	1,84,989.60 36,605.04 68,081.58	1,81,371.97 32,284.20 44,345.58	-	-	-

($ - सैन्य फार्मों और ईसीएचएस जिन्हें वित्त वर्ष 2016-17 में संशोधित अनुमान - रक्षा मंत्रालय (विविध) में स्थानांतरित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2019-20 में डीएसई में वापस भेज दिया गया था, को छोड़कर).

** आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं।*

नोट:- नौसेना में संयुक्त स्टाफ शामिल है। *संशोधित अनुमान 22-23 और बजट अनुमान 23-24* का *अभी संसद से अनुमोदित होना* शेष *है।*

ख. पूंजी

(रुकरोड़ में ,)

वर्ष	**सेवा**	**ब.अ.**		**सं.अ.**		**व्यय**
		अनुमानित	**आवंटित**	**अनुमानित**	**आवंटित**	
2018-19	सेना$	44,572.63	26,815.71	41614.41	26,815.71	27,438.66
	नौसेना	35,695.41	20,848.16	30735.65	20,890.87	21,509.60
	वायु सेना	77,694.74	35,770.17	68579.46	35,770.17	36,451.74
2019-20	सेना	44,660.57	29,511.25	46,032.00	29,666.90	29,000.88
	नौसेना	37,220.98	23,156.43	40,123.18	26,156.43	27,446.68
	वायु सेना	74,894.56	39,347.19	81,301.99	44,947.19	45,104.23

2020-21	सेना	50,373.60	32,462.38	39,019.17	33,283.28	26,320.93
	नौसेना	45,268.31	26,688.28	51,769.28	37,542.88	41,666.76
	वायु सेना	66,207.29	43,281.91	72,955.18	55,083.91	58,207.95
2021-22*	सेना	51,492.10	36,531.90	38,344.90	25,377.09	25,130.94
	नौसेना	70,920.78	33,253.55	50,011.38	46,021.54	45,028.64
	वायु सेना	77,140.56	53,214.77	71,176.39	53,214.77	53,217.19
2022-23	सेना	46,844.37	32,115.26	32,598.49	32,598.49	21,600.25
	नौसेना	67,622.96	47,590.99	47,727.03	47,727.03	24,206.45
	वायु सेना	85,322.60	56,851.55	56,264.54	53,871.17	27,631.50
2023-24	सेना	37,341.54	37,341.54			
	नौसेना	52,804.75	52,804.75			
	वायु सेना	58,808.48	58,268.71	-	-	-

($ - सैन्य फार्मों और ईसीएचएस जिन्हें वित्त वर्ष 2016-17 में संशोधित अनुमान - रक्षा मंत्रालय (विविध) में स्थानांतरित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2019-20 में डीएसई में वापस भेज दिया गया था, को छोड़कर).

** आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं।*

नोट:- नौसेना में संयुक्त स्टाफ शामिल है। *संशोधित अनुमान 22-23 और बजट अनुमान 23-24* का *अभी संसद से अनुमोदित होना शेष है।*

1.8 2022-23 और 2023-24 के बजट अनुमानों के संयुक्त रूप से पूंजीगत और राजस्व मदों के तहत किए गए अनुमानों और आवंटनों पर सेवावार जानकारी के - ध मेंसंबं**,** मंत्रालय ने निम्नानुसार एक विवरण के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी दी :

(रुकरोड़ में ,)

सेवा/विभाग.	**सं.अ.** 2022-23	**कुल बजट का प्रतिशत**	**ब.अ.** 2023-24	**कुल बजट का प्रतिशत**
सेना	2,05,934.11	50.29%	2,18,713.51	50.55%
नौसेना	78,461.61	19.16%	85,088.95	19.66%
वायु सेना	98,599.27	24.08%	1,02,614.29	23.71%
डीजीओएफ/ डी ओओ(सी&एस)	4,212.00	1.03%	1,741.50	0.40%
आर&डी	21,130.20	5.16%	23,263.89	5.38%
डीजीक्यूए	1,163.29	0.28%	1,298.00	0.30%
कुल	4,09,500.48	100%	4,32,720.14	100%

<u>नोट</u> जी प्रावधान यहां दिखाया गया हैनिवल राजस्व और पूं :

2023-24 के बजट अनुमानों में सकल राजस्व व्यय सकल आवंटन का 63.01% है, जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 में यह 64.03% था। बजट

अनुमान 2034-24 में सकल पूंजीगत व्यय 36.99% है, जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 में यह 35.97% था।

2023-24 के बजट अनुमानों में निवल राजस्व व्यय 62.42% है, जबकि संशोधित अनुमान, 2022-23 में यह 63.37% था। बजट अनुमान 2023-24 में निवल पूंजीगत व्यय 37.58% है, जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 में यह 36.63% था।

1.9 जब वर्तमान अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सशस्त्र बलों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवंटित निधियों की पर्याप्तता के बारे में पूछा गया, तो निम्नवत बताया गया - :

> " हमारा आवंटन हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वास्तव में, वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के प्रति बहुत उदार रहा है और उन्होंने वह सब कुछ प्रदान किया है जो हमने अनुरोध किया है। दूसरी बात, प्रौद्योगिकी ऐसी चीज है जिसे कोई अन्य देश हमें **100** प्रतिशत नहीं देना चाहेगा। वे केवल एक हिस्सा देंगे जिसे साझा किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे साझा नहीं किया जा सकता है, जिसे हमें स्वयं आविष्कार और विकास करना होगा और अपने दम पर उत्पादन करना होगा। यही सार है। यहां तक कि अगर आप बाहर से सबसे अच्छे उपकरण खरीदते हैं, तो जब इसके उपयोग की बात आती है, तो हमें फिर से उन पर निर्भर रहना होगा।"

1.10 द की तुलना में पिछले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय बजट और सकल घरेलू उत्पा भारतीय पूंजीगत बजट की वृद्धि के आंकड़ों को पूर्ण और सापेक्ष दोनों संदर्भों में प्रस्तुत करते हुए मंत्रालय ने निम्नवत बताया : -

> "वर्ष 2023-रक्षा) के लिए 24 मंत्रालय कुल (और रक्षा पेंशन सहित (सिविल) रक्षा बजट के लिए 5,93,537.करोड़ 64 रुपये है। जो केंद्र सरकार के कुल व्यय का 13.18% और वर्ष 2023- के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 24 1.97% है। साथ ही ,2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय का पूंजीगत बजट केंद्र

सरकार के कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 17.12% है। यहां रक्षा बजट की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में तुलना करना प्रासंगिक नहीं हो सकता है क्योंकि रक्षा पर भारत का खर्च केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे बड़ा है और यह 2014-के बाद से लगातार बढ़ रहा है। रक्षा तैयारी विगत 15 वर्षों में हासिल की गई क्षमताओं का परिणाम है न कि केवल किसी विशेष वर्ष के बजट आवंटन पर। रक्षा तैयारियों के वांछित स्तर को बनाए रखने के लिए रक्षा के लिए किया गया आवंटन पर्याप्त है। इसके अलावावर्ष के दौरान व्यय के , संक्रियात्मक /लंबित प्रतिबद्ध देयताओं और महत्वपूर्ण ,आधार पर यदि आवश्यक ,अतिरिक्त धन ,जोखिम की अवधारणा आदि ,आवश्यकताओं समय -गा जाता है। व्यय की प्रगति की समयआरई स्तर पर मां/अनुपूरक ,हो पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटित धन का संक्रियात्मक कार्यकलापों के इष्टतम उपयोग के लिए किया जाता है ताकि रक्षा सेवाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से समझौता किए बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताएं हासिल की जा सकें । ”

पिछले पांच वर्षों और 2023- 24(बीईऔर (सीजीई) के लिए केंद्र सरकार के व्यय (सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में भारतीय पूंजीगत बजट की वृद्धि संबंधी आंकड़े नीचे दिये गये है:

वर्ष	भारतीय पूंजीगत व्यय	कुल सीजीई	सीजीई केके % रूप में भारतीय पूंजीगत व्यय	सकल घरेलू उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद केके % रूप में भारतीय पूंजीगत व्यय
2018- 19 (वास्तविक(	3,07,714	23,15,113	13.29	1,88,99, 668 (तृतीय आरई(	1.63
2019- 20 (वास्तविक(	3,35,726	26,86,330	12.50	2,00,74, 856 (द्वितीय संशोधित अनुमान(	1.67
2020- 21	4,26,317	35,09,836	12.15	1,98,00, 914	2.15

(वास्तविक(				(पहला संशोधित अनुमान(	
2021- 22 (वास्तविक(	5,92,874	37,93,801	15.63	2,36,64, 637 (पीई(	2.51
2022- 23 (आरई(	7,28,274	41,87,232	17.39	2,73,07, 751 (प्रथम एई(	2.67
2023- 24(बीई(	10,00,961	45,03,097	22.23	3,01,75,065	3.32

नोट : वित्त वर्ष 2018-2022 से 19- तक के जीडीपी आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 23 2022-1 तालिका - के अनुसार हैं 23.6-वर्तमान कीमतों पर जीडीपी के घटक और वित्त वर्ष 2023-के लिए बजट एक नज़र में 24)2023-24 से हैं। (2021- 22(वास्तविक(, 2022- 23(संशोधित अनुमान2023 और (- 24(बजट अनुमान) के लिए सीजीई आंकड़े एक नज़र में बजट (2023-24के अनुसार (हैं

बीई ,संशोधित अनुमान = आरई ,बजट अनुमान =

पीई अग्रवर्ती अनुमान = एई ,अनंतिम अनुमान =

1.11 उन्नत देशों के केंद्रीय /साथ विकसित-जहां तक पड़ोसी देशों के साथ साथ उनके पूंजीगत बजट और जीडीपी के बजट के तुलनात्मक आंकड़ों पर मांगी गई सूचना का संबंध हैयह पाया गया कि उक्त सूचना मंत्रालय में तत्काल , अन्य देशों की तुलना में रक्षा व्यय पर आंकड़ों ,उपलब्ध नहीं है । अतीत में भी कमी और की तुलना करना व्यय के विभिन्न घटकों के विवेचन में एकरूपता की विश्वसनीय प्रकाशित आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण संकलित करना कठिन था। हालाँकिके (एसआईपीआरआई) स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट , उन्नत देशों के संबंध में /कुछ पड़ोसी ,सैन्य व्यय डेटाबेस से इनपुट के आधार पर रक्षा बजट संबंधी आंकड़ेघरेलू उत्पाद के प उनके सकल ,्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय और सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा था। एसआईपीआरआई वेबसाइट में किसी भी देश का पूंजी बजट शामिल नहीं है।

पड़ोसी देशों के साथउन्नत देशों के केंद्रीय बजट और जीडीपी के /साथ विकसित-त बजट के तुलनात्मसाथ उनके पूंजीगक आंकड़ों के अभाव में यह मंत्रालय इस बिंदु के बाद के हिस्से का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है।

1.12 इसके अलावा, सेनाओं के आधुनिकीकरणअधिग्रहण योजनाओं पर / प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, क्योंकि वर्तमान रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.प्रतिशत है 9, जबकि आदर्श रूप से और जैसा कि रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अपनी पिछली रिपोर्टों में सिफारिश की थी, यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन प्रतिशत होना चाहिए, समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गया था :

"जीडीपी का डिफेंस को तीन प्रतिशत, हेल्थ को दो प्रतिशत और एग्रिकल्चर को तीन प्रतिशत मिलना चाहिए। यह ग्लोबल लेवल पर एस्टिमेट किया जाता है। उतना प्रतिशत मिलने से उस सेक्टर को कुछ फायदा होगा। यह इस एजम्पशन पर किया जाता है कि टैक्स जीडीपी रेश्यो 10 **प्रतिशत**, 12 **प्रतिशत या** 13 **प्रतिशत तक है। जीडीपी डायरैक्टली सरकार के लिए रेवेन्यु के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। भारत सरकार के लिए टैक्स जीडीपी रेश्यो** 8 **प्रतिशत या** 9 **प्रतिशत है, तो सरकार के पास जितने पैसे आते हैं, उतने पैसे में ही बजट बनाना होता है। यदि टैक्स जीडीपी रेश्यो को बढ़ाना है, रेवेन्यु को बढ़ाना है, तो टैक्स परसेंटेज को बढ़ाना होता है।**

आप जानते हैं कि इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए हमें टैक्स रेट को कम करना है। इस बार इनकम टैक्स को भी कम किया गया है। अगर हम अपने अगले साल के सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 3.2 **ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मानते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत लगभग** 10 **लाख करोड़ रुपये होगा। इसलिए, यह उससे कहीं अधिक होगा जो हम अवशोषित कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत को वहन**

करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हमें इतनी आवश्यकता नहीं हो सकती है। रक्षा मंत्रालय के लिए जो जरूरी है, उसे आवंटित कर दिया गया है।

रक्षा बजट में बजट अनुमान 2023-24 *में अनुमानों और वास्तविक आवंटन के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया :-*

"बजट अनुमान 2023-2024 में निधियों के अनुमान और रक्षा सेवायें अनुमानों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा बताये गये उच्चतमांक का विवरण राजस्व और पूंजीगत शीर्ष के लिए अलग से नीचे दिया गया हैः

(रु. करोड़ में)

राजस्व (कुल)		**पूँजीगत**		**कुल**	
अनुमान	**आबंटन**	**अनुमान**	**आबंटन**	**अनुमान**	**आबंटन**
3,02,320.72	2,70,120.14	1,63,139.77	1,62,600.00	4,65,460.49	4,32,720.14

नोट : *बजट अनुमान 2023-24 संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है*

आबंटित निधियों का उपयोग प्रचालन संबंधी गतिविधियों के लिए पूर्णतः और इष्टतम तरीके से किया जायेगा। यद्यपि वित्त मंत्रालय से प्राप्त आबंटन किए गए अनुमान के अनुसार नहीं हैं तथापि वर्ष के दौरान व्यय के आधार पर अनुपूरक/ संशोधित स्तर पर अतिरिक्त निधियों की मांग की जायेगी। इसके अलावा, यदि आवश्यकता हुई तोपुनः प्राथमिकीकरण के माध्यम से यह , सुनिश्चित किया जाएगा कि रक्षा सेवाओं की प्रचालन संबंधी तैयारियों से समझौता किये बगैर अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण क्षमतायें पूरी की जा सकें । "

जब मंत्रालय से रक्षा बजट में अनुमानों और आबंटनों के बीच किसी भी विसंगति के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर एक प्रीलिमिनरी एस्टिमेट है। इसके उपरांत वित्त मंत्रालय में एक मीटिंग होती है। जिसमें वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों साथ बैठकर तय करते हैं कि क्या यह सच में आवश्यक है? क्या इस वित्तीय वर्ष में व्यय हो सकता है? इसका निर्णय किया जा सकता है। यदि हम लोग सैलरी के लिए इतने लाख करोड़ रुपए की मांग रखते हैं। आंकड़े देखने पर पता चलता है कि उतनी राशि की आवश्यकता नहीं है, तो उसके अनुकूल उसको ठीक किया जाता है। अत:, अनुमानित व्यय एक प्रारंभिक अनुमान है । आम तौर पर, गणना आदि के संदर्भ में इसमें कुछ छूट होगी। इसे वित्त मंत्रालय में ठीक किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में पूरी तरह से और पारदर्शी चर्चा हुई थी और चर्चा के स्तर पर ही हमें बताया गया कि हमारी सभी आवश्यकताओं को बिना किसी कटौती के पूरा किया जा रहा है । इस प्रकार, 637113.51 करोड़ रुपये को अनुमानित बजट अनुमान के रूप में दिखाया गया है । यह प्रीलिमिनरी एस्टिमेट था।"

1.13 अलग मांगे गए अतिरिक्त आवंटन और पिछले-तीनों सेनाओं द्वारा अलग5 वर्षों के दौरान प्रदान किए गए वास्तविक आवंटन के संबंध में निम्नलिखित विवरण मंत्रालय द्वारा समिति को अग्रेषित किया गया :

"रक्षा सेवाएं अनुमानों के तहत तीनों सेवाओं के संबंध में पूंजीगत शीर्ष में विगत पांच वर्षों में बजट अनुमान **(**बीई**)** आबंटन**,** संशोधित अनुमान **(**आरई**)** अनुमान और संशोधित अनुमान **(**आरई**)** आबंटन का सेवा-वार ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है**:-**

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सेवा	बीई आवंटित	आरई		
			अनुमानित	मांगा गया अतिरिक्त आवंटन	आवंटित

2018-19	**सेना**	26,815.71	41614.41	14,798.70	26,815.71
	नौसेना	20,848.16	30735.65	9,887.49	20,890.87
	वायु सेना	35,770.17	68579.46	32,809.29	35,770.17
2019-20	**सेना**	29,511.25	46,032.00	16,520.75	29,666.90
	नौसेना	23,156.43	40,123.18	16,966.75	26,156.43
	वायु सेना	39,347.19	81,301.99	41,954.80	44,947.19
2020-21	**सेना**	32,462.38	39,019.17	6,556.79	33,283.28
	नौसेना	26,688.28	51,769.28	25,081.00	37,542.88
	वायु सेना	43,281.91	72,955.18	29,673.27	55,083.91
2021-22	**सेना**	36,531.90	38,344.90	1,813.00	25,377.09
	नौसेना	33,253.55	50,011.38	16,757.83	46,021.54
	वायु सेना	53,214.77	71,176.39	17,961.62	53,214.77
2022-23	**सेना**	32,115.26	32,598.49	483.23	32,598.49
	नौसेना	47,590.99	47,727.03	136.04	47,727.03
	वायु सेना	56,851.55	56,264.54	-587.01	53,871.17

समिति इस बात से अवगत है कि यह मंत्रालय सेवाओं द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं पर अनुकूल विचार हेतु वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय निधियों का आबंटन करते समय सेवाओं की पूर्व उपयोगिता क्षमता, मौजूदा वित्तीय वर्ष में व्यय की गति, उपलब्ध समग्र संसाधन जुटाव इत्यादि का विश्लेषण करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई समग्र सीलिंग्स के आधार पर रक्षा मंत्रालय अंतर सेवाएं प्राथमिकताओं, व्यय की गति, लंबित प्रतिबद्ध देयताओं इत्यादि के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय के अधीन सेवाओं और संगठनों के बीच निधियों का आबंटन करता है। इसके अलावा, आवश्यकता होने पर, पुनर्प्राथमिकिताकरन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि तात्कालिक और महत्वपूर्ण क्षमताओं को रक्षा सेवाओं की संक्रियात्मक तैयारी से कोई समझौता किए बिना प्राप्त किया जाए।

मंत्रालय से थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य (डब्ल्यूएसपीआई) के संदर्भ में मुद्रास्फीति की दर का विवरण और पूंजीगत बजट (सीपीआई) सूचकांक

की वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर की तुलना करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में निम्नवत बताया:-

"आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अप्रैल, 2022 में 7.8 प्रतिशत तक बढ़ गया था, फिर दिसंबर, 2022 तक लगभग 5.7 प्रतिशत गिर गया। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की मासिक रूझान, मई, 2022 में अपने चरम 16.6 प्रतिशत से नीचे गिरकर सितंबर, 2022 में 10.6 प्रतिशत और दिसंबर, 2022 में 5.0 प्रतिशत हो गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति पर विचार करते हुए रक्षा बजट की वृद्धि के साथ तुलना इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

अनुदान	**2021-22 (वास्तविक)#**	**2022-23**		**2023-24 (बीई)**
		बीई	**आरई**	
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,37,986.97	1,52,369.61	1,50,000.00	1,62,600.00
रक्षा मंत्रालय (सिविल) अनुदान का पूंजीगत भाग	6,799.29	8,049.99	7,978.79	8,774.79
कुल	**1,44,786.26**	**1,60,419.60**	**1,57,978.79**	**1,71,374.79**
रक्षा पूंजी बजट % वृद्धि			9.11*	6.83**
मुद्रास्फीति दर (सीपीआई-सी) वार्षिक (%)			5.70 @	
वास्तविक वृद्धि			3.41	

समायोजन मुद्रास्फीति				

*2021-22 2022 की तुलना में (वास्तविक)-के संशोधित अनुमान में वृद्धि के आधार पर। 23 2022 बीई **-2023 की तुलना में बीई 23-र पर।में वृद्धि के आधा 24 ,दिसंबर-महंगाई दर अप्रैल @2022 (अनंतिम)

पूंजीगत और राजस्व परिव्यय का अनुपात

1.14 वर्ष2018-19 से समिति को प्रस्तुत किए गए पूंजीगत और राजस्व परिव्यय का अनुपात से संबंधित विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सेवा	परिव्यय		अनुपात	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2018-19	सेना	1,34,241.38	27,438.66	83	17
	नौसेना	20,856.23	21,509.60	49	51
	वायु सेना	28,291.25	36,451.74	44	56
	कुल परिव्यय	**1,83,388.86**	**85,400.00**	**68**	**32**
2019-20	सेना	1,42,529.38	29,000.88	83	17
	नौसेना	22,387.31	27,446.68	45	55
	वायु सेना	30,124.31	45,104.23	40	60
	कुल परिव्यय	**1,95,041.00**	**1,01,551.79**	**66**	**34**
2020-21	सेना	1,39,903.33	26,320.93	84	16
	नौसेना	23,166.05	41,666.76	36	64
	वायु सेना	32,825.23	58,207.95	36	64
	कुल परिव्यय	**1,95,894.61**	**1,26,195.64**	**61**	**39**

2021-22	सेना	1,57,092.05	25,130.94	86	14
	नौसेना	23,834.99	45,028.64	35	65
	वायु सेना	34,375.46	53,217.19	39	61
	कुल परिव्यय	**2,15,302.50**	**1,23,376.77**	**64**	**36**
2022-23(आरई)	सेना	1,73,335.62	32,598.49	84	16
	नौसेना	30,734.58	47,727.03	39	61
	वायु सेना	44,728.10	53,871.17	45	55
	कुल परिव्यय	**2,48,798.30**	**1,34,196.69**	**65**	**35**
2023-24(बीई)	सेना	1,81,371.97	37,341.54	83	17
	नौसेना	32,284.20	52,804.75	38	62
	वायु सेना	44,345.58	58,268.71	43	57
	कुल परिव्यय	**2,58,001.75**	**1,48,615.00**	**63**	**37**

इस संबंध में, साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने विस्तार से निम्नवत बताया :-

"वित्तीय वर्ष **2023-24** के लिए, राजस्व पूंजी अनुपात राजस्व व्यय के पक्ष में थोड़ा झुकाव दिखाता है, अनुपात **60:40** से **62:38** में बदल गया है। यह देखा जा सकता है कि यह अनुपात मुख्य रूप से परिचालन और निर्वाह यानि आयुध भंडार, परिवहन, परिचालन कार्यों सहित रक्षा भंडार आदि व्यय में प्रदान की गई वृद्धि के कारण है ।"

<u>रक्षा बलों का आधुनिकीकरण</u>

1.15 रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने : लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया कि

“आधुनिकीकरण में नवीनतम प्लेटफॉर्म की प्रौद्योगिकियों को अपनाना और रक्षा क्षमताओं के अद्यतन एवं सुधार हेतु प्रौद्योगिकीयाँ और शस्त्र प्रणालियाँ शामिल हैं। रक्षा बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो सुरक्षा चुनौतियों के संपूर्ण परिदृश्य को पूरा करने के लिए सैन्य बलों को तैयारी की अवस्था में रखने के लिए जोखिम अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियों और प्रोद्योगिकीय बदलावों पर आधारित है। सरकार यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है कि किसी संक्रियात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसे नए उपस्कर शामिल करके और क्षमताओं के प्रौद्योगिकीय अद्यतन से प्राप्त किया जा सकता है। सशस्त्र बलों की उपस्कर आवश्यकताओं की योजना एक विस्तृत प्रक्रिया द्वारा बनाई और आगे बढ़ाई जाती है जिसमें 15 वर्षीय दीर्घावधिक एकीकृत परिदृश्य योजना (एलटीआईपीपी), एक पंचवर्षीय सेवावार क्षमता अर्जन योजना-, एक द्विर्षीय रोलआंन व-ार्षिक अर्जन योजना और रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता वाली रक्षा अर्जन परिषद द्वारा विचारविमर्श शामिल है। सरकार नए उपस्कर की खरीद - को अद्यतन किए जाने के माध्यम से और मौजूदा उपस्कर एवं प्रणालियों सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए उपाय करती है। इन आधुनिकीकरण परि्योजनाओं को अनुमोदित पूंजीगत अर्जन योजनाओं के अनुसार और मौजूदा रक्षा प्रापण प्रक्रिया के संदर्भ में आगे बढ़ाया जा रहा है। सितंबर, 2014 में 'मेक इन इंडिया' और मई 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत' की शुरुआत से सरकारी और निजी क्षेत्र की क्षमताओं का दोहन करके 'मेक इन इंडिया' के तहत देश में रक्षा और एअरोस्पेस के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को रक्षा बजट के पूंजीगत खंड के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।"

1.16 रक्षा पूंजीगत अर्जन बजट के संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया :

"रक्षा पूंजीगत अर्जन रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी)/रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी) के अनुसार और दस साल की एकीकृत क्षमता विकास योजना (आईसीडीपी), पांच साल की रक्षा क्षमता अर्जन योजना (डीसीएपी) और वार्षिक अर्जन योजना (एएपी) के माध्यम से किया जाता है। अनुमोदित वार्षिक अर्जन योजना (एएपी) में सूचीबद्ध मामलों को डीपीपी/डीएपी प्रावधानों के और संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित सेवा के पूंजीगत अर्जन शीर्षों के तहत आवंटित और बजटित निधियों के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूंजीगत अर्जन आधुनिकीकरण शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान , 2022-1 में 23,24,408.या गया करोड़ रूपये की धनराशि का आबंटन कि 64 था।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए पूंजीगत अर्जन के आधुनिकीकरण पर बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2018-19	74,115.99	73,882.95	75,892.85
2019-20	80,959.08	89,836.16	91,053.15
2020-21	90,047.80	1,14,320.30	1,18,966.44
2021-22	1,11,463.21	1,13,717.59	1,13,781.27
2022-23 (दिसंबर,	1,24,408.64	1,22,690.98	67,020.99

22)			

पिछले पांच वित्तीय वर्ष (2017-18 से 2021-22) और चालू वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपस्करों की पूंजीगत खरीद के लिए कुल 264 पूंजीगत अर्जन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से रक्षा उपस्करों की पूंजीगत खरीद के लिए रूस, अमेरिका, इजरायल, फ्रांस आदि सहित विदेशों के विक्रेताओं के साथ कुल अनुबंध मूल्य के लगभग 36.26% के 88 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

1.17 मंत्रालय ने समिति की बैठक के दौरान पावर प्वाइंटप्रेजेंटेशन के माध्यम से सेवावार रक्षा आधुनिकीकरण बजट के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया :

सेवा	**2022-23 (बीई(**			**2023-24 (बीई(**		
	पूंजीगत अर्जन	पूंजीगत अर्जन के अतिरिक्त	**कुल पूंजी**	पूंजीगत अर्जन (% वृद्धि(	पूंजीगत अर्जन के अतिरिक्त (% वृद्धि(	**कुल पूंजी** (% वृद्धि(
सेना	25,908.85	6,206.41	**32,115.26**	30,163.00 (16.42)	7,178.54 (15.66)	**37,341.54** (16.27)
नौसेना	45,250.00	1,073.31	**46,323.31**	47,515.00 (5.01)	3,451.00 (221.53)	**50,966.00** (10.02)

संयुक्त स्टाफ़	499.81	767.87	**1,267.68**	598.90 (19.83)	1,239.85 (61.47)	**1,838.75** (45.05)
वायु सेना	52,749.98	4,101.57	**56,851.55**	54,024.37 (2.42)	4,244.34 (3.48)	**58,268.71** (2.49)
डीओओ (सीएंडएस(	-	3,810.00	**3,810.00**	-	1,315.00 (-65.49)	**1,315.00** (-65.49)
डीआरडीओ	-	11,981.81	**11,981.81**	-	12,850.00 (7.25)	**12,850.00** (7.25)
डीजीक्यूए	-	20.00	**20.00**	-	20.00	**20.00**
कुल	1,24,408.64	27,960.97	**1,52,369.61**	1,32,301.27 (6.34)	30,298.73 (8.36)	**1,62,600.00** (6.71)

1.18 इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया कि:

"केंद्रीय बजट 2023 में आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। सेवाओं का पूंजीगत आवंटन बढ़ाकर 1,62,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है, इसमें 10,230 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जोकि वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.7 प्रतिशत अधिक है। 2018-19 से पिछले पांच वर्षों में 68,618 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जोकि 73 प्रतिशत

है। यह आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के सतत संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

<u>गैर व्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण निधि - रक्षा नवीनीकरण निधि</u>

1.19 समिति ने पाया किपंद्रहवें वित्त आयोग ने पूंजीगत बजट बनाने के विषय के प्रस्ताव में यह सिफारिश की थी कि यह 'गैर व्यपगत' और 'रोलऑन-'प्रकृति का होगा; जिसका उल्लेख 'अनुदानों की मांगों संबंधी समिति 2019-20 और 2020-21 के तीसरे और सातवें प्रतिवेदन में किया गया है।

1.20 जब मंत्रालय से इस संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"गैरव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण निधि के सृजन के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। निधि के संचालन के लिए एक उचित तंत्र वित्त मंत्रालय के परामर्श से कार्यान्वित किया जा रहा है।"

जब साक्ष्यों के दौरान पूंजी अर्जन के लिए गैरव्यपगत बजट निधि के विषय में पूछे जाने पर, सचिव ने समिति के समक्ष निम्नवत् बताया :-

" पूंजी अर्जन के लिए गैरव्यपगत बजट के संबंध में जब रेक्मेंड किया गया था, तो यह कांसेप्ट सही था। जब प्रारंभ में एक्विजिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जितने पैसे चाहिए, उतना एक्चुअल प्रोक्योरमेंट होता है। यदि यह उस बजट में नहीं है, तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसे अब ठीक किया गया है। जैसा कि मैंने विवरण दिया, बजट आकलन परामर्श प्रक्रिया द्वारा किया गया है। पहले ऐसा होता था कि हम कुछ प्रोजेक्ट करते थे, उसमें फाइनेंस

मिनिस्ट्री वाले कुछ एलोकेट करते थे। अंततइन दोनों बातों में कोई मेल : नहीं था। अब वित्त मंत्रालय में प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है।.... महोदय, हमारी सभी जरुरतों को पूरा कर लिया गया है। अत:, गैव्यपगत निधि की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी विशेष वर्ष में, हमें हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए उपकरणों के लिए भुगतान करने की इतनी आवश्यकता होती है, तो हमें वह मिल जाएगा। अत:, बजट प्रक्रिया के लिए प्रति वर्ष अपेक्षित संसदीय अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए गैव्यपगत बजट की अवधारणा संभव नहीं हो सकती है। हमारे पास रोलिंग बजट है।"

<u>प्रतिबद्ध देयता और नई योजनाएं</u>

1.21 <u>वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट में प्रतिबद्ध देयता और नई योजनाओं के लिए अनुमानित और आबंटित बजट के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:</u>

"रक्षा सेवा अनुमानों में (डीएसई), प्रतिबद्ध देयताओं और नई (सीएल) के लिए अलग से धन आबंटित नहीं किया जाता और (एनएस) योजनाओं बजट से पूरा किया जाता है । बजट (आधुनिकीकरण) इन्हें पूंजी अर्जन अनुमान2023-24 में पूंजी अर्जन के अंतर्गत तीनों सेनाओं के लिए अनुमानित और आबंटित धन का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में(

सेना	**अनुमानित ब .अ.2023-24**	**आबंटन ब .अ.2023-24**
थलसेना	30,163.00	30,163.00
नौसेना संयुक्त स्टाफ को शामिल किए) (बिना	47,515.00	47,515.00

वायुसेना	54,564.14	54,024.37

आबंटित धन का प्रचालन संबंधी गतिविधियों के लिए इष्टतम उपयोग किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो रक्षा सेवाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से समझौता किए बगैर महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का पुनः प्राथमिकीकरण किया जाता है।"

1.22 जब मंत्रालय से वचनबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के संबंध में वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्राक्कलन और कुल आवंटन के संबंध में ब्यौरे की मांग की गई तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"रक्षा सेना प्राक्कलनों (डीएसई) में वचनबद्ध देयताओं (सीएल) और नई योजनाओं (एनएस) के लिए निधियों का पृथक आवंटन नही होता है। इसके अलावा सेना मुख्यालयों द्वारा परियोजना/योजनाओं के बीच प्राथमिकीकरण और संविदात्मक मानदंडों की प्रगति के आधार पर वजनबद्ध देयताओं और नई योजनाओं की पहचान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आधुनिकीकरण (पूंजीगत अर्जन) शीर्ष (जिसमें वचनबद्ध देयताएं और नई योजनाएं शामिल हैं) के अंतर्गत बजट प्राक्कलन स्तर पर 52,749.98 करोड़ रू. की राशि आवंटित की गई थी। फिर भी वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन की तुलना में वर्ष 2022-23 संशोधित प्राक्कलन में वायु सेना के लिए कोई अतिरिक्त निधियां आवंटित नही की गई हैं। इन आवंटनों की तुलना में वित्तीय में वर्ष 2022-23 में (दिसम्बर, 2022 तक(25,770.81 करोड़ रू. का व्यय किया गया है। यदि कुछ वापस दिया जाना है तो उसे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित विनियोग को अंतिम रूप देते समय ही उसका पता चलेगा ।"

1.23 यह पूछे जाने पर कि क्या अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आबंटनों और प्रस्तावित अर्जन के संबंध में अनुमानों और प्रतिबद्ध देयताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है, इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया कि-:

(डीएसई) रक्षा सेवा अनुमानों" में, प्रतिबद्ध देयताओं और नई (सीएल) के लिए अलग से धन आबंटित नहीं किया जाता और (एनएस) योजनाओं बजट से पूरा किया जाता है । बजट (आधुनिकीकरण) इन्हें पूंजी अर्जन अनुमान23-24 में पूंजी अर्जन शीर्ष के अंतर्गत (आधुनिकीकरण) 1,32,841.04 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान किया गया और इसके बदले 1,32,301.27 करोड़ रुका आबंटन किया गया है। .

हालांकि प्राप्त आबंटन अनुमानित राशि के अनुसार नहीं है, तथापि, वर्ष के दौरान व्यय और लंबित प्रतिबद्ध देयताओं के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो अनुपूरकपर अतिरिक्त धनराशि की मांग की ज स्तर .अ.सं/ाएगी। समय-रक्षा सचिव /(रक्षा वित्त) सचिव /(रक्षा सेवाओं) समय पर वित्तीय सलाहकार द्वारा व्यय की प्रगति की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि बजटीय आबंटनों का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के किए लिए सभी प्रयास जाते हैं कि आबंटित धन का प्रचालन संबंधी गतिविधियों के लिए ईष्टतम उपयोग हो। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि रक्षा सेवाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से समझौता किए बिना महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक क्षमताओं को प्राप्त किया जाए।"

1.24 वर्ष 2017-18 से प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के लिए वास्तविक व्यय के साथ आबंटित राशि :साथ सेवाओं की अनुमानित आवश्यकता और अंतत-के ब्यौरे के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत् (प्रत्येक के लिए एकल और समेकित) -: बताया कि

रक्षा" सेवा अनुमानों (डीएसई) में, प्रतिबद्ध देयताओं (सीएल) और नई योजनाओं (एनएस) के लिए अलग से धन आबंटित नहीं किया जाता और इन्हें पूंजीगत अर्जन (आधुनिकीकरण) बजट से पूरा किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे पूंजीगत अर्जन के लिए किए गए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, किए गए आबंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

2018-19

(रू. करोड़ में)

सेना	बी.ई अनुमान	बी.ई आबंटन	आरई अनुमान	आरई आबंटन	वास्तविक व्यय
सेना	35,581.09	21,338.21	34,738.29	21,168.21	21,879.80
नौसेना	32,243.37	19,083.00	28,461.73	19,148.00	19,769.87
संयुक्त स्टाफ	803.16	594.88	473.22	466.84	420.31
वायुसेना	68,612.15	33,099.90	65,144.56	33,099.90	33,822.87
कुल	**1,37,239.77**	**74,115.99**	**1,28,817.80**	**73,882.95**	**75,892.85**

2019-20

(रू. करोड़ में)

सेना	बी.ई अनुमान	बी.ई आबंटन	आरई अनुमान	आरई आबंटन	वास्तविक व्यय
सेना	35,581.09	23,000.63	36,979.05	23,517.31	23,275.42
नौसेना	32,243.37	21,177.00	37,671.67	24,226.00	25,440.59
संयुक्त स्टाफ	803.16	371.56	373.98	635.94	295.15
वायुसेना	68,612.15	36,409.89	76,412.76	41,799.89	42,041.99
कुल		**80,959.08**	**1,51,437.46**		**91,053.15**

	1,37,239.77			**90,179.14**	

2020-21: (रू. करोड़ में)

सेना	बीई अनुमान	बीई आबंटन	आरई अनुमान	आरई आबंटन	वास्तविक व्यय
सेना	41,530.80	26,068.61	31,961.00	26,068.61	22,510.29
नौसेना	40,927.91	24,598.00	49,376.51	35,715.67	40,084.65
संयुक्त स्टाफ	692.41	350.28	486.82	317.11	229.17
वायु सेना	60,840.17	39,030.91	69,421.59	52,281.91	56,142.33
कुल	**1,43,991.29**	**90,047.80**	**1,51,245.92**	**1,14,320.30**	**1,18,966.44**

2021-22: (रू. करोड़ में)

सेना	बीई अनुमान	बीई आबंटन	आरई अनुमान	आरई आबंटन	वास्तविक व्यय
सेना	39,977.00	30,636.90	30,636.90	19,485.09	20,231.11
नौसेना	65,888.96	31,031.02	47,414.33	43,736.02	43,006.58
संयुक्त स्टाफ	827.42	474.52	405.71	405.71	177.78
वायु सेना	72,180.06	49,320.77	67,169.42	50,090.77	50,365.80
कुल	**1,78,873.44**	**1,11,463.21**	**1,45,626.36**	**1,13,717.59**	**1,13,781.27**

2022-23: (रू. करोड़ में)

सेना	बीई अनुमान	बीई आबंटन	आरई अनुमान	आरई आबंटन	वास्तविक व्यय*
सेना	34,791.10	25,908.85	27,051.00	27,051.00	18,503.87
नौसेना	62,689.89	45,250.00	44,437.00	44,437.00	22,561.08
संयुक्त स्टॉफ	616.83	499.81	581.22	581.22	185.23
वायु सेना	79,860.81	52,749.98	52,750.00	50,621.76	25,770.81
कुल	**1,77,958.63**	**1,24,408.64**	**1,24,819.22**	**1,22,690.98**	**67,020.99**

*व्यय दिसंबर, 2022 तक का है।

नोट: सं.अ. 2022-23 के आंकड़ों को अभी संसद से अनुमोदन प्राप्त होना है।

हालांकि प्राप्त आबंटन अनुमानित राशि के अनुसार नहीं है, तथापि, वर्ष के दौरान व्यय और लंबित प्रतिबद्ध देयताओं के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो अनुपूरक/सं.अ. स्तर पर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी। समय-समय पर वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाओं)/ सचिव (रक्षा वित्त)/ रक्षा सचिव द्वारा व्यय की प्रगति की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि बजटीय आबंटनों का प्रयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि आबंटित धन का प्रचालन संबंधी गतिविधियों के लिए ईष्टतम उपयोग हो। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि रक्षा सेवाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से समझौता किए बिना महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक क्षमताओं को प्राप्त किया जाए।"

अध्याय-दो

रक्षा सेवाओं हेतु खरीद नीति

रक्षा खरीद नीति

समिति ने पाया कि सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपस्करों की खरीद की नीति का उद्देश्य आवंटित बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से निष्पादन क्षमताओं और गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में सशस्त्र सेनाओं द्वारा आवश्यक सैन्य उपस्करों, प्रणालियों और प्लेटफार्मों की समय पर खरीद सुनिश्चित करना है। रक्षा अधिग्रहण नीति का उद्देश्य बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से प्रचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा उपस्करों की समय पर खरीद सुनिश्चित करना, उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसर के साथसाथ भारत को वैश्विक - रक्षा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के परम उद्देश्य से रक्षा उपस्कर निर्भरता प्राप्त करना है। नीति को रक्षा खरीद प-उत्पादन में आत्म्रक्रिया (डीपीपी) के तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

2.2 रक्षा मंत्रालय द्वारा आगे बताया गया कि रक्षा पूंजीगत अधिग्रहण रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया दस वर्षीय एकीकृत (डीएपी) रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया/(डीपीपी) (आईसीडीपी) विकास योजना, पांच वर्षीय रक्षा क्षमता अर्जन योजना एवं (डीसीएपी) के जरिए किया जाता है। अनुमोदित वार्षिक (एएपी) वार्षिक अधिग्रहण योजना डीएपी प्रावधानों और दी /में सूचीबद्ध मामलों पर डीपीपी (एएपी) अधिग्रहण योजना गई वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित सेना के पूंजीगत अधिग्रहण शीर्षों के अंतर्गत आवंटित निधियों और बजट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है।

2.3 पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान और पूंजीगत अधिग्रहण के लिए आधुनिकीकरण पर (आरई) वास्तविक व्यय के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी प्रदान की:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2018-19	74,115.99	73,882.95	75,892.85
2019-20	80,959.08	89,836.16	91,053.15
2020-21	90,047.80	1,14,320.30	1,18,966.44
2021-22	1,11,463.21	1,13,717.59	1,13,781.27
2022-23 (दिसंबर, 22)	1,24,408.64	1,22,690.98	67,020.99

2.4 रक्षा खरीद नियमावली के संशोधन और सरलीकरण के संबंध में (डीपीएम) मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को निम्नानुसार उत्तर दिया-:

हमारी ...वर्षों के दौरान इसे नौ बार संशोधित किया गया है 11 विगत" आवश्यकताएं बहुत जटिल हैं। हमें एक तरफहिमालय की रक्षा करनी पड़ती है और दूसरी तरफ रेगिस्तान की। हमारे देश के तीन तरफ समुद्र भी है। इसलिए, हमें सभी संभाव्यताओं के लिए प्रावधान करना होगा।"

<u>पूंजी और वार्षिक खरीद योजना</u>

2. हथियारों की बहुस्तरीय अधिग्रहण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण/रक्षा उपस्करों 5 देते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष निम्नानुसार साक्ष्य दिया-:

अलग हैं फिर भी -अधिग्रहण प्रक्रिया के कुछ निश्चित चरण हैं जो अलग" दूसरे पर अतिव्यापी हैं। मैं अभी उन्हें पढ़कर सुनाऊंगा और इनमें से -एक प्रत्येक में विभिन्न चरण हैं जिनका उल्लेख स्क्रीन पर किया गया है। सबसे पहले, आवश्यकता की स्वीकृति से पहले (एओएन), सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है जो सेवा मुख्यालय द्वारा विक्रेताओं से मांगा जाता है कि वे सभी गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और वे अधिग्रहण का

कौन सा तरीका पसंद करेंगे। तत्पश्चात, इन इनपुटों और सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर, कुछ गुणात्मक आवश्यकताएं बनाई जाती हैं। फिर, इसे विभिन्न यूनिटों और संरचनाओं को जारी करने के लिए, स्केलिंग की जाती है और मात्रा पुनरीक्षण के माध्यम से बजटीय सहायता की जाती है। इसके बाद, मामले को उसकी श्रेणी के साथ एओएन के लिए ले जाया जाता है। एक बार एओएन स्वीकृत हो जाने के बाद, एओएन के बाद की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें पहली बात प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करना होता है, जिसे रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण स्कंध जारी करती है। वाणिज्यिक और तकनीकी बोलियां प्राप्त होने के बाद, तकनीकी बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है और सफल विक्रेताओं के उपस्करों का फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किया जाता है। उसके बाद, सफल स्टाफ मूल्यांकन किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो एक तकनीकी निरीक्षण किया जाता है जो अनिवार्य नहीं है। फिर, केवल सफल विक्रेताओं के लिए, वाणिज्यिक बोलियां खुली होती हैं और अनुबंध पर बातचीत की जाती है जिसके बाद सीएफए अनुमोदन दिया जाता है और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो, इस पूरी प्रक्रिया में लगभग दो वर्ष लग जाते हैं।"

2.6 रक्षा उपस्करों के अधिग्रहण के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही खरीद की समयसीमा के बारे मे-ं पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक पावरप्वाइंट प्रस्तुतीकरण में वर्तमान अधिग्रहण समयस-ीमा के बारे में निम्नलिखित फ्लोचार्ट प्रस्तुत किया-:

अधिग्रहण समयसीमा-

प्रस्ताव हेतु अनुरोध और (आरपीएफ)
ज्य बोलियांटेक्नो वाणि

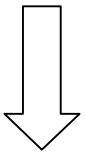

कुल समय
74-106 सप्ताह/19-26 माह

तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी), क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण) एफईटी (और जनरल स्टाफ मूल्यांकन जीएस) मूल्यांकन(
(32-44 सप्ताह)
शीत काल/ग्रीष्म काल

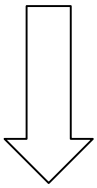

सक्षम वित्तीय प्राधिकरण
अनुमोदन (सीएफए)
(04-16 सप्ताह)
अनुबंध *(02 सप्ताह)*

2.7 जब समिति ने पूछा कि क्या हमारी खरीद नीतिनियमावली आदि अन्य / फ्रांस और अन्य के अनुरूप है/रूस/चीन/यूके/विकसित देशों जैसे यूएसए, तो मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत साक्ष्य दिया- :

ए"क्विजिशन प्रोसीजर- हमारा जो भी कॉन्टेक्स्ट है, हमारे देश की आवश्कयता है, उनके अनुसार बनाई जाती है। फ्रांस या यूएस की जो प्रक्रिया है, वह उनके उद्देश्यों, लक्ष्यों के आधार पर बनती है। हमारे देश में हमारे देश की कंपनियों की क्षमता बढ़ाना, एक यह काम है। जैसे जनरल दयाल ने प्रेजेंटेशन में दर्शाया था। देश की रक्षा के लिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि डिफेंस फोर्सेस की क्षमता को बढ़ाना। डिफेंस फोर्सेस को किसी भी हालात में आपूर्ति करने के लिए देश की कंपनियों की क्षमता को बढ़ाना। इन दोनों को साथ-साथ लेे जाते हुए प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया का डिजाइन किया गया है। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि यह ट्रांसपेरेंट हो। इसमें पारदर्शिता लाई जाए, ताकि बीच में कोर्ट के कारण या सीएजी के कारण प्रक्रिया में कोई बाधा न पड़े। हमारे देश में जो कंपनियां हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन चाहिए, इसके लिए डीडीपी द्वारा डीएपी प्रक्रिया में भी कुछ इनिशियटिव्स लिए जाते हैं। जैसे आईडेक्स और टीडीएफ जैसी स्कीम्स भी हैं, जिनसे प्रोक्योरमेंट किए जाने की भी व्यवस्था की गई है।

मैं माननीय समिति को यह बताना चाहूंगा कि हम सभी देशों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्श पर पहुंचे हैं कि हमारी प्रक्रिया हमारे लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। इसलिए हमारा डीएपी और हमारे फाइनेंशियल रूल्स इसी तरह बनाए गए हैं।"

<u>रक्षा खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता</u>

2.रक्षा खरीद मामलों मे 8ं जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित उपायों पर मंत्रालय द्वारा समिति को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई:

• भारतीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्षमता विकास योजना की दृश्यता - प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रूपरेखा

• रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर नीतिगत बदलाव, एओएन, आरएफआई आदि रखना

• भारतीय रक्षा उद्योगनीति समीक्षा संघों के साथ संवादात्मक/

• प्रमाणन, सिमुलेशन आदि का उपयोग

2.9 यह पूछे जाने पर कि क्या रक्षा उपस्करोंहथियारों की डिलीवरी में कोई / विलंब हुआ है और विलंब की स्थिति में मंत्रालय द्वारा समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नानुसार साक्ष्य दिया-:

> विलंब बिल्कुल हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन", ऐसा नहीं कि यहां विलंब हो रहा है तो हमने तुरंत इम्पोर्ट कर लिया हो, ऐसा अवसर मेरे समय में नहीं आया है।... ऐसा नहीं कि यहां विलंब हो रहा है तो हमने तुरंत इम्पोर्ट कर लिया हो, ऐसा अवसर मेरे समय में नहीं आया है।"

2.10 मंत्रालय द्वारा उच्च पारदर्शिता सुनिश्चित करने और घरेलू विनिर्माताओं को सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया- :

> हुई पारदर्शिता की बात है जहां तक बढ़ी", जो कुछ भी किया जा रहा है उसे विक्रेताओं के लिए पर्याप्त रूप से प्रख्यापित किया जा रहा है। आईसीडीपी के साथ बनाई जा रही क्षमता विकास योजना की दृश्यता जारी की जाती है। गैरहै वर्गीकृत भाग को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर होस्ट किया जाता- जिसे प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप कहा जाता है। मैं आपको यह

की 2013 और 2018 दिखाना चाहता हूं। यह वह वेबसाइट है जिस पर डीपीसीआर, जैसा कि इसे कहा जाता है, प्रख्यापित है। यह हर पांच वर्ष में किया जाता है। तो, । यह एक तरह के लिए नया अपलोड किया जाएगा 2023 की दृश्यता है जो विक्रेताओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है ताकि पता चल सके कि अगले पांच से दस वर्षों में क्या क्षमता है, भारतीय सशस्त्र सेनाए क्या प्राप्त करना चाहती हैं। यह सेना से संबंधित उन पृष्ठों में से एक है जिसमें पावरपैक, बैटरी, कवच सुरक्षा इत्यादि जैसी सभी चीजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे भारतीय सेना प्राप्त करना चाहेगी। यह कई पृष्ठों का है और भारतीय रक्षा विनिर्माता, विक्रेता अपने क्षेत्रों की तलाश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्हें क्या विकसित करना चाहिए। यह उनका प्रौद्योगिकी तैयार करने या अधिग्रहण करने के लिए ध्यान आकर्षित करता है।

साथ ही, सरकार के सभी नीतिगत बदलाव, कार्यालय ज्ञापन, एओएल, आरएफआई, सब कुछ रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। भारतीय रक्षा उद्योग और एसआईडीएफ, एसोचैम, फिक्की जैसे विभिन्न संघों के साथ संपर्क बढ़ा है। रक्षा उद्योग के साथ बातचीत के माध्यम से उच्चतम स्तर पर प्रमुख संवादात्मक नीति समीक्षा की जाती है। प्रमाणीकरण और सिमुलेशन के उपयोग द्वारा परीक्षण और जांच प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता लाई जाती है जिसमें एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाते हैं और किसी उपस्कर को स्वीकार करने के लिए योग्यता मानदंड के रूप में लिया जाता है।

डीपीएसयू की तुलना में निजी रक्षा उद्योग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। सबसे पहले, डीएनडी श्रेणियों के माध्यम से अवसर बढ़े हैं जो निजी उद्योग को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, जब से ओएफबी का निगमीकरण किया गया है, सात डीपीएसयू हैं जिन्हें जोड़ा गया है, और डीपीएसयू और उद्योग के बीच

प्रतिभूतियों और भुगतान शर्तों में समानता है जो पहले डीपीएसयू के लिए प्राथमिकता हुआ करती थी। अब भुगतान की शर्तें और उनसे ली गई प्रतिभूतियां एक समान हैं। बैंक गारंटी जो पहले प्रतिशत थी 10 से 5, उसे घटाकर प्रतिशत ही है। 3 प्रतिशत कर दिया गया और वह आज भी 3 इसलिए, विभिन्न अन्य उपायों द्वारा भी एक समान अवसर सुनिश्चित किया जा रहा है।

अब, कुछ सक्षम बनाने वाली नीतियों के बारे में बात करूंगाजो , प्रगति का मार्ग हैं। सबसे पहले, खरीद केवल घरेलू उद्योग के माध्यम से होती है। आयात विशिष्ट अनुमोदन के साथ एक अपवाद के रूप में किया जाएगा। यही विचार प्रक्रिया और नीति है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। साथ ही, घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए और विभिन्न संवर्धित अवसर देकर और विक्रेता आधार को बढ़ाकर, विभिन्न उपाय किए गए हैं। अधिकांश उपस्करों के लिए, विक्रेताओं के बीच ऑर्डर की मात्रा का बंटवारा किया जा रहा है। डीआरडीओ या डीएनडी एजेंसियों द्वारा कई डिज़ाइन और उत्पादन भागीदारों पर विचार किया जाता है ताकि सिस्टम में अतिरेक हो। इसके अलावा, घरेलू विक्रेताओं के माध्यम से न केवल विभिन्न उपस्करों की खरीद के लिए बल्कि घटकों और सबअसेंबली के लिए -साथ स्वदेशी सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से -और सैन्य सामग्री के साथ असेंबलियों के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा -और सब इन घटकों "रहा है।

<u>सैन्य हार्डवेयर हेतु विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता</u>

2.11 मंत्रालय ने वर्तमान में आयात किए जा रहे रक्षा उपस्करों/वस्तुओं और इन उपकरणों की कीमत और मूल देश के विवरण के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:

"पिछले पांच वित्तीय वर्ष (2017-18 से 2021-22) और चालू वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपस्करों की पूंजीगत खरीद के लिए कुल 264 पूंजीगत अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से रक्षा उपस्करों की पूंजीगत खरीद के लिए रूस, अमेरिका, इजरायल, फ्रांस आदि सहित विदेशों के विक्रेताओं के साथ कुल अनुबंध मूल्य के लगभग 36.26% के 88 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आयातित प्रमुख रक्षा उपस्करों में हेलीकॉप्टर, विमान, रडार, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफल, मिसाइल और गोला-बारूद शामिल हैं।

रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद, खतरे की आशंका, प्रचालनात्मक चुनौतियों और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के आधार पर, विभिन्न घरेलू और विदेशी विक्रेताओं से की जाती है ताकि सशस्त्र सेनाओं को तैयारी की स्थिति में रखा जा सके। रक्षा सेवाओं द्वारा प्रचालन उद्देश्यों के लिए इस प्रकार शामिल किए गए उपस्करों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।"2.12 पूंजीगत अधिग्रहण बजट के तहत पिछले दस वित्तीय वर्षों में विदेशी विक्रेताओं से आयातित और स्वदेशी स्रोतों से अधिग्रहित रक्षा उपस्करों संबंधी सेवावार व्यय की जानकारी- समिति को अग्रेषित की गई है जो निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**सेनाएं**					
	सेना		**नौसेना**		**वायुसेना**	
	विदेशी	**स्वदेशी**	**विदेशी**	**स्वदेशी**	**विदेशी**	**स्वदेशी**
2012-13	1,597.54	23,185.16	7,465.27	12,750.80	21,307.99	16,783.42
2013-14	1,636.08	14,443.08	13,151.13	8,268.33	23,069.06	16,924.11
2014-15	3,804.49	16,778.08	8,333.86	14,668.61	17,083.95	18,084.86
2015-16	3,150.41	19,133.03	8,205.21	12,616.95	14,834.84	18,238.36
2016-17	5,508.35	24,786.75	7,223.00	13,931.94	17,762.41	15,048.54
2017-18	5,258.80	24,960.58	5,997.47	14,844.25	22,157.04	15,146.53
2018-19	6,124.72	24,029.98	6,237.44	17,324.66	30,611.92	9,153.00
2019-20	6,046.79	25,112.86	9,985.76	18,939.83	28,585.81	19,732.06
2020-21	6,689.47	23,584.64	19,449.58	24,605.48	24,570.18	40,441.64
2021-22	5,085.74	25,507.53	17,759.60	28,926.70	25,424.98	32,922.23

2. 13भारत को दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा आयातक बनाने वाले कारकों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी दी:

इस बात की पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है कि भारत सबसे बड़ा रक्षा आयातक है। कोई भी आयात उन उपस्करों की जरूरतों के आधार पर किया जाता है जिनके लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताएं उपलब्ध नहीं हैं। घरेलू और विदेशी स्रोतों से रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति खतरे की आशंका, संक्रियात्मक चुनौतियों और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों पर आधारित है ताकि सुरक्षा चुनौतियों के पूरे स्पेक्ट्रम को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को तत्परता की स्थिति में बनाए रखा जा सके।

सरकार ने रक्षा उपस्करों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी रक्षा उद्योग विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। "डीएपी-2020 रक्षा उपस्करों, प्लेटफार्मों, प्रणालियों और उप-प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत सरकार के आत्म-निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में घोषित रक्षा सुधारों के सिद्धांतों द्वारा संचालित किया गया है। डीएपी-2020 ने स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने पर ध्यान देने के साथ निम्नलिखित पहलुओं की शुरूआत की है :-

(i) आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों/प्लेटफार्मों की सूची की अधिसूचना।

(ii) आईसी सत्यापन पद्धति के सरलीकरण के साथ-साथ सभी अधिप्राप्ति श्रेणियों में आईसी को बढ़ाया गया है।

(iii) आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लिए मेक III श्रेणी की शुरूआत।

(iv) नई एफडीआई नीति के तहत भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से 'विनिर्माण/रखरखाव संस्थाएं' स्थापित करने के लिए विदेशी ओईएम को प्रोत्साहित करने के लिए नई अर्जन श्रेणी खरीदो (वैश्विक - भारत में विनिर्माण) की शुरुआत।

(v) मेक-II और आईडीईएक्स प्रक्रिया का सरलीकरण।

(vi) ऐसे मामले जहां एओएन लागत ≤ 100 करोड़ रुपए आरक्षित है, को ऐसे मामले जिनकी एओएन लागत ≤ 150 करोड़ रुपए है, तक विस्तारित किए जाने योग्य है, यदि एमएसएमई के लिए सुपुर्दगियों पर आधारित वार्षिक कैश फ्लो 100 करोड़ रुपए से कम हो ।

(vii) इसके अलावा, घरेलू रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 मार्च, 2021 के आदेश के तहत । वर्ष 2021-22 में घरेलू पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए 71,438 करोड़ रुपए (कुल पूंजीगत बजट का 64.09%) की धनराशि निर्धारित की है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में घरेलू पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए 84,598 करोड़ (कुल पूंजीगत बजट का 68%) की धनराशि निर्धारित किया गया है।'

2.14 रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी और विदेशी स्रोतों के माध्यम से पूंजीगत खरीद और आयात के मूल्य से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

1. 2017 वर्ष-2021 से 18-की अवधि के लिए देशी और विदेशी स्रोतों के 22 -:का विवरण नीचे दिया गया है (करोड़ रुपये में) माध्यम से पूंजीगत खरीद

वर्ष	**कुल अधिप्राप्ति**	**विदेशी विक्रेताओं से अधिप्राप्ति**
2017-18	72,732.21	29,035.42
2018-19	75,913.06	36,957.06
2019-20	91,004.94	38,156.83
2020-21	1,18,860.52	42,786.54
2021-22	1,13,511.11	40,325.09

2. इसके अलावा**,** 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए तीन सेवाओं के लिए आयात (करोड़ रुपये में) निम्नानुसार है: -

पूंजी विदेशी खरीद -					
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
थल सेना	4,190.41	4,189.53	3,729.86	5,027.96	3614.25
नौसेना	5,008.27	4,485.93	8,827.46	18,257.37	16,283.62
वायुसेना	19,836.74	28,281.60	25,599.51	19,501.21	20,427.22
कुल	**29,035.42**	**36,957.06**	**38,156.83**	**42,786.54**	**40,325.09**

2.15 पिछले पांच वर्षों के दौरान डीपीएसयू और पूर्ववर्ती ओएफ द्वारा अलग-लय ने अलग आयात के साथ निर्यात के मूल्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्रा लिखित उत्तर में बताया कि:-

"डीपीएसयू और पूर्ववर्ती ओएफ के संबंध में **2017-18** से **2021-22** तक निर्यात मूल्य लगभग **7465.68** करोड़ रुपये है और डीपीएसयू और पूर्ववर्ती ओएफ के संबंध में **2017-18** से **2021-22** तक आयात मूल्य लगभग **68871.4** करोड़ रुपये है।"

आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया

2.16 रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा देते हुए मंत्रालय ने बताया कि:

'(क) डीपीपी **2016** को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया **2020** के रूप में संशोधित किया गया है**,** जो 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में घोषित रक्षा सुधारों के सिद्धांतों से प्रेरित है । (ख) रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए 'खरीदो **{**भारतीय-आईडीडीएम

(स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)}' श्रेणी की **2016** में शुरुआत की गई थी और पूंजीगत उपकरणों की खरीद के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी।

(ग) सैन्य कार्य विभाग (डीएमए), रक्षा मंत्रालय ने चार सकारात्मक स्वदेशी सूचियां (पीआईएल) अधिसूचित की हैं जिसमें दिनांक **21** अगस्त **2020** को **101** मदों वाली 'प्रथम सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल), **31** मई, **2021** को **108** मदों वाली 'द्वितीय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, **7** अप्रैल **2022** को **101** मदों वाली तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची और **19** अक्तूबर **2022** को **101** मदों वाली 'चतुर्थ सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है, को एक निश्चित समय-सीमा के पश्चात घरेलू उद्योग से इन मदों की अधिप्राप्ति की जाएगी। यह रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारतीय रक्षा उद्योग को एक व्यापक अवसर प्रदान करती है ताकि भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन मदों का विनिर्माण अपनी डिजाइन एवं विकास क्षमताओं का उपयोग करते हुए किया जा सके। इन सूचियों में हमारी रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्टिलरी गन, असाल्ट राइफलें, कारवेट्स, सोनार प्रणालियां, ट्रांसपोर्ट विमान, हल्के लड़ाकू विमान (एलसीएच) रडार, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफार्म, राकेट्स, बम, आर्मर्ड कमान पोस्ट व्हीकल, आर्मर्ड डोजर एवं कई अन्य मदों जैसी कुछ उच्च प्रौद्यगिकी हथियार प्रणालियां शामिल हैं।

(घ) पूंजीगत अधिप्राप्ति की 'मेक' प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सरकार द्वारा मेक-I श्रेणी के अंतर्गत भारतीय उद्योग हेतु विकास लागत का **70%** तक वित्तपोषण करने हेतु प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 'मेक' प्रक्रिया के अंतर्गत एमएसएमई के लिए विशिष्ट छूट प्रदान की गई है।

(ङ) स्वदेशी विकास और रक्षा उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए डीपीपी **2016** में शुरू की गई 'मेक-II' श्रेणी (उद्योग वित्तपोषित) की प्रक्रिया में कई उद्योग अनुकूल प्रावधानों जैसे पात्रता मानदंडों में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्तिगत आदि द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने का प्रावधान शामिल है।

(ङ) स्वदेशी विकास और रक्षा उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए डीपीपी **2016** में शुरू की गई 'मेक-II' श्रेणी (उद्योग वित्तपोषित) की प्रक्रिया में कई उद्योग अनुकूल प्रावधानों जैसे पात्रता मानदंडों में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्तिगत आदि द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने का प्रावधान शामिल है।

(छ) रक्षा के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) नामक एक नवाचार पारितंत्र को अप्रैल **2018** में लाँच किया गया है। आईडीईएक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप वैयक्तिक न्वोनमेषकों, आरएंडडी संस्थानों और शिक्षाविद सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारितंत्र का निर्माण करना है और उन्हें ऐसा अनुसंधान एवं विकास जिसमें

भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस जरूरतों के लिए भविष्य में अपनाने की क्षमता है, करने के लिए अनुदान/वित्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान करना हैं। **182** आईडीईएक्स विजेताओं के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किया गया है। **2021-22** से **2025-26 (5** वर्षों) की अवधि के लिए आईडीईएक्स योजना के लिए **498.78** करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया है।

(ज) रक्षा क्षेत्र में **'**मेक इन इंडिया**'** के तहत भारतीय उद्योग को अवसर प्रदान करने के लिए आयात प्रतिस्थापन एमएसएमई/स्टार्टअप/उद्योग को विकास सहायता प्रदान करने के लिए एक उद्योग इंटरफेस के साथ डीपीएसयू/सेवाओं के लिए अगस्त **2020** में सृजन डिफेंस नामक एक पोर्टल लॉंच किया गया है। **16** जनवरी **2023** तक सृजन पोर्टल डेटा निम्नानुसार है:

'पब्लिक व्यू**'** के लिए सृजन पोर्टल में उपलब्ध मदें	**25644** मदें
स्वदेशीकृत मदें	**5930** मदें
इच्छुक विक्रेता	**512** विक्रेता
मदों के लिए दिखाई गई रुचि	**6287** मदें

(झ) सरकार ने मई **2017** में **'**रणनीतिक भागीदारी (एसपी)**'** मॉडल को अधिसूचित किया है, जिसमें एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसमें वे वैश्विक घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण की मांग करने हेतु वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ गठजोड़ करेंगे ।

(ञ) सरकार ने मार्च **2019** में एक उद्योग पारितंत्र बनाने के उद्देश्य से 'रक्षा प्लेटफार्मों में उपयोग किए जाने वाले घटकों और कलपुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए नीति' अधिसूचित की है जो भारत में निर्मित रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्म के लिए आयातित घटकों (मिश्र धातु और विशेष सामग्री सहित) और उप-संयोजनों को स्वदेशी बनाने में सक्षम है।

(ट) सितंबर **2019** में "रूसी/सोवियत मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों से संबंधित कलपुर्जों, घटकों, समुच्चय और अन्य सामग्री के संयुक्त विनिर्माण में आपसी सहयोग" पर एक अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। आईजीए का उद्देश्य है "मेक इन इंडिया" पहल के ढांचे के तहत रूसी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ संयुक्त उद्यम/साझेदारी के निर्माण के माध्यम से भारतीय उद्योग द्वारा भारत के क्षेत्र में कलपुर्जों और घटकों के उत्पादन का आयोजन करके भारतीय सशस्त्र बलों में वर्तमान में सेवा में रूसी मूल के उपकरणों की बिक्री के बाद समर्थन और परिचालन उपलब्धता को बढ़ाना है ।

(ठ) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले उत्पादों की सूची को युक्तिसंगत बनाया गया है और अधिकांश भागों या घटकों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आईडीआर अधिनियम के तहत प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को **03** वर्ष से बढ़ाकर **15** वर्ष कर दिया गया है, जिसमें मामला-दर-मामला आधार पर इसे **03** वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न रक्षा लाइसेंस

मदों के विनिर्माण के लिए दिसंबर, **202** तक **367** कंपनियों को **597** लाइसेंस जारी किया गया है।

(ड) रक्षा उत्पादन विभाग ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा अधिसूचित नवीनतम सार्वजनिक खरीद आदेश **2017** के तहत **46** वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिसके लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है और इन वस्तुओं की खरीद मूल्य की परवाह किए बिना केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता से की जाएगी।

(ढ) इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी-**2018** में रक्षा निवेशक सेल (डीआईसी) बनाया है। रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ की स्थापना के बाद **16** जनवरी **2023** तक **1549** प्रश्न / मामले प्राप्त हुए हैं और उनका विधिवत समाधान किया गया है।

भारत सरकार की पहलों के अनुरूप मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत , दोनों का उद्देश्य भारत में बने उत्पादों को विकसित करने, निर्माण और एकत्र करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना है ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को इस दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में निम्नवत बताया:-

'अधिग्रहण नीति में कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। ये मुख्य क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैं। आत्मनिर्भर भारत भारतीय

अर्थव्यवस्था के लिए सभी पहलुओं अर्थात् मांग, आपूर्ति और विनिर्माण को संबोधित करता है, जबकि मेक इन इंडिया विनिर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत, हम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं और स्वदेशी डिजाइन और विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया के लिए, हमें प्रत्येक खरीद में स्वदेशी घटकों की मात्रा बढनी होगी और एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा और - एफडीआई में वृद्धि करनी होगी ताकि देश में अच्छी प्रौद्योगिकी आ सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम नीतियों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण और समान अवसर सुनिश्चित करने पर विचार कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम नीतियों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण और समान अवसर सुनिश्चित करने पर विचार कर रहे हैं।'

2.17 'मेक-इन-इंडिया' परियोजना के लिए धनराशि के आवंटन के बारे में पूछे जाने पर समिति को मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया:

"बजट आवंटन सेनाओं की रक्षा उपकरण आवश्यकताओं के कुल अधिग्रहण के लिए किया जाता है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) में पूंजीगत अधिग्रहण के प्रस्तावों को एसपीबी/डीपीबी/डीएसी जैसी विभिन्न समितियों में विचार-विमर्श के बाद रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'खरीद (भारतीय)', 'खरीदो (भारतीय)', 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' और 'खरीदो और बनाओ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

"<u>घरेलू पूंजी खरीद निधि का बजटीय आवंटन और व्यय (करोड़ रुपये में)</u>

क्रम सं..	बजट अनुमान 2020-21		वास्तविक व्यय 2020-21		बजट अनुमान 2021-22		वास्तविक व्यय 2021-22		बजट अनुमान 2022-23	
	कुल पूंजीगत खरीद निधि का प्रतिशत	**राशि**	**वास्तविक %**	**राशि**	**कुल पूंजीगत खरीद निधि का प्रतिशत**	**राशि**	**वास्तविक %**	**राशि**	**कुल पूंजीगत खरीद निधि का प्रतिशत**	**राशि**
1	57.67 %	51,931.59	64%	57,630.08	64.09%	71,438.36	65.15%	74,130.25	68%	84,597.89

2.18 इस संबंध में, रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए बताया कि -:

'केंद्रीय बजट में घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर कुछ जोर दिया गया है। इस वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 में बजट अनुमान के स्तर पर रक्षा बजट का 75 प्रतिशत आवंटन घरेलू खरीद के लिए रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष में यह 68 प्रतिशत था। अनुसंधान एवं विकास में निजी उद्योग की भागीदारी के लिए पिछले वर्ष के बजट से रक्षा अनुसंधान एवं विकास निधि का 25 प्रतिशत निजी उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। इस वर्ष 2023-24 के बजट में मेक परियोजनाओं के तहत प्रोटोटाइप विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसमें उद्योग भाग लेंगे।'

2.19 इस संदर्भ में मंत्रालय ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान यह भी बताया कि उन्होंने घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:-

- वित्त वर्ष **2023-24** में घरेलू पूंजी खरीद के लिए रक्षा बजट के आवंटन में **68%** से **75%** की वृद्धि करना।
- अनुसंधान एवं विकास में निजी उद्योग की भागीदारी)**25%** रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का आवंटन(।
- वित्त वर्ष 2023-24 में मेक परियोजनाओं के तहत प्रोटोटाइप विकास के लिए 1231.62 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

2.20 इसके अलावा, मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान समिति को निम्नानुसार बताया :-

"आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने के लिए कुछ नीतिगत संरेखण किए गए हैं। पहला, खरीदो भारतीय आईडीडीएम है, जो हर खरीद के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम प्रयास करते हैं कि यदि हमारे पास पर्याप्त संख्या में विक्रेता और विक्रेता संबंधी समाधान हो तो हम खरीदो भारतीय आईडीडीएम श्रेणी के लिए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हमें देश में आईपीआर मिले और भविष्य के लिए, वैश्विक निर्भरता कम हो जाए या समाप्त हो जाए। सरकार ने 2020 से चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां भी जारी की हैं, जिनमें आज की तारीख में 411 वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें बंदूकें, राइफलसे लेकर पनडुब्बियां आदि शामिल हैंजिन्हें आयात प्रतिबंध , सूची में रखा गया है। इसका मतलब है कि भविष्य में इन वस्तुओं का आयात नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, डीपीएसयू के लिए कुछ 3,738 वस्तुओं की पहचान की गई है, जिन्हें केवल भारतीय उद्योग से प्राप्त किया

जाएगा। साथ ही, जो मामले 100 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर हैं, वे एमएसएमई के लिए आरक्षित हैं।

अब, हम जानते हैं कि भारतीय उद्योग की प्रौद्योगिकी सीमा अभी तक विकसित हो रही है। इसलिए, प्रचालनात्मक आवश्यकता से समझौता किए बिना क्यूआर के मापदंडों को भविष्य में उत्तरोत्तर विकास के प्रावधान के साथ घरेलू क्षमता के अनुसार लिया जाता है। "

2.21 मंत्रालय ने स्वदेशी उत्पादन के मूल्य के संबंध में समिति को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

'पिछले तीन वर्षों में उत्पादन मूल्य के रुझान नीच (वीओपी)े दिए गए हैं:

वर्ष	कुल उत्पादन	कुल निर्यात
2019-20	79,071	9,116
2020-21	84,643	8,435
2021-22	94,846	12,815

2.22 पिछले तीन वर्षों में वैश्विक और भारतीय विक्रेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एओएन और संविदाओं के बारे में जानकारी देते हुए मंत्रालय ने एक पावरप्वाइंट प्रस्तुतीकरण में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की:

	कुल सं और कुल मूल्य .	**घरेलू उद्योग**
<u>एओएन</u>	166 - रु 2,97,005 करोड़	155 एओएन - रु 2,86,432 करोड़ (96%)
संविदा	101 - रु1,20,322 करोड़	रु 1,04,168 करोड़ (87%)

2.

23 इसके अलावा, मंत्रालय ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान घरेलू और साथ ही वैश्विक सहयोगियों को दिए गए एओएन और संविदाओं की निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:-

(₹ करोड़ में)

आवश्यकता की स्वीकार्यता (एओएन)						
	भारतीय		**वैश्विक**		**कुल**	
वर्ष	**योजनाएं**	**लागत**	**योजनाएं**	**लागत**	**योजनाएं**	**लागत**
2020-21	44 (88%)	80,337 (89%)	06 (12%)	9,588 (11%)	50	89,925
2021-22	38 (90%)	29,857 (97%)	04 (10%)	789 (3%)	42	30,646
2022-23	73 (99%)	1,76,238 (99.9%)	01 (1%)	196 (0.1%)	74	1,76,434
Total	**155 (93%)**	**2,86,432 (96%)**	**11 (7%)**	**10,573 (4%)**	**166**	**2,97,005**

संविदा						
	भारतीय		वैश्विक		कुल	
वर्ष	योजनाएं	लागत	योजनाएं	वर्ष	योजनाएं	लागत
2020-21	32 (75%)	66,184 (98%)	11 (25%)	1,804 (2%)	43	67,988
2021-22	33 (73%)	29,235 (67%)	12 (27%)	14,350 (32%)	45	43,585
2022-23	13 (100%)	8749 (100%)	-	-	13	8749
Total	78 (77.2%)	1,04,168 (87%)	23 (22.8%)	16,154 (13%)	101	1,20,322

2.24 रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य के दौरान मंत्रालय ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष में भारतीय और विदेशी विक्रेताओं के साथ हस्ताक्षरित कुल संविदाओं के सेवालिखित विवरण प्रस्तुत कियावार ब्यौरे का निम्न-:-

(₹करोड़ में)

वर्ष	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
सेवा	सं	मूल्य	सं.	मूल्य	सं	मूल्य	सं	मूल्य	सं	मूल्य	सं	मूल्य
थलसेना	11	12588.06	25	31935.39	13	8357.19	14	28955.55	6	12821.47		
वायुसेना	11	63582.54	05	3257.88	4	35520.68	30	15951.75	7	1997.08		
नौसेना	24	18388.93	20	5497.70	30	36,535.69	26	37,757.79	12	3317.96		
कुल	46	94559.53	50	40690.97	47	80413.56	70	82,665.09	25	18136.51	44	43,585

2.25 समिति द्वारा 2021-22 में कोई वैश्विक संविदा न होने के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

"....हां, आप सही हैं कि कोई वैश्विक संविदा नहीं है। उनमें से कुछ के भारतीय साझेदार हैं। इसलिए, केवल भारतीय विक्रेताओं ने संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि उनके पास विदेशी विक्रेता के साथ एक संयुक्त उद्यम है, तो वे आपूर्ति करेंगे।"

2.26 पिछले पांच वर्षों के दौरान डीपीएसयू और पूर्ववर्ती ओएफ द्वारा आयात की तुलना में निर्यात के मूल्य का अलग से ब्यौरा दिये जाने के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:-

'डीपीएसयू और पूर्ववर्ती ओएफ में 2017-18 से 2021-22 तक निर्यात मूल्य लगभग 7465.68 करोड़ रुपये है और डीपीएसयू और पूर्ववर्ती ओएफ में 2017-18 से 2021-22 तक आयात मूल्य लगभग 68871.4 करोड़ रुपये है।'

2.27 जैसा कि विभिन्न प्रकाशनों में बताया गया है, 2016-20 में भारत द्वारा खरीदे गए प्रमुख पारंपरिक हथियारों में से 84.3 प्रतिशत विदेशी मूल के थे, जिनमें से लाइसेंस प्राप्त उत्पादन 57.8 प्रतिशत था। समिति द्वारा रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विदेशी कंपनियों पर इस तरह की निर्भरता के संबंध में पूछे जाने पर रक्षा सचिव ने बताया कि:-

'हाँ। हमारे पास जेट इंजन प्रौद्योगिकी जैसी कुछ प्रौद्योगिकियां नहीं हैं। यहां तक कि, हमें जहाजों के लिए पावर पैक के लिए निर्भर रहना पड़ता है। पूरे

देश में इसके ले प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की नीतियां हमारे प्रयासों में मदद कर रही हैं। जैसा कि बताया गया है, हम लाइसेंस प्राप्त उत्पादन में प्रवेश कर रहे हैं। इससे देश में ज्ञान का प्रसार होगा और 2021 में सरकार के इस नए निर्णय के कारण कि आयात सीमित होगा, हम प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से देश में कई प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। लेकिन जहां तक कतिपय महत्वपूर्ण उपकरणों, विशेषकर पावर पैकों की अल्पावधि का संबंध है, हम निर्भर रहेंगे और इसे दूर करने के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं।'

<u>निजी क्षेत्र की भागीदारी</u>

2.28 निजी रक्षा उद्योग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में समिति ने मंत्रालय की निम्नवत सराहना की:-

- डी एंड डी के माध्यम से अवसरों को बढ़ाना और श्रेणियां बनाना
- ओएफबी का निगमीकरण
- डीपीएसयू और उद्योग के मध्य प्रतिभूतियों और भुगतान शर्तों में समानता
- बैंक प्रतिभूति में कमी)5% -10% से 3%)

<u>ऑफसेट क्लॉज</u>

2. 29 मंत्रालय ने रक्षा पूंजी अधिग्रहण के तहत ऑफसेट खंड के बारे में समिति को निम्नवत अवगत कराया: रक्षा पूंजी अधिग्रहण के तहत ऑफसेट को केलकर

समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2005 में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) में शुरू किया गया था। इसके बाद डीपीपी में ऑफसेट दिशा-निर्देशों में 6 बार संशोधन किया गया है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी 2020) के अनुसार, ऑफसेट प्रावधान केवल पूंजी अधिग्रहण की "ग्लोबल खरीदें" श्रेणियों पर लागू होते हैं । ऑफसेट प्रावधान उन पूंजी अधिग्रहण संविदाओं में लागू होते हैं जो 2,000 करोड़ रु. से अधिक हैं । हालांकि, ऑफसेट "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया" और "विकल्प खंड" मामलों, के तहत अधिप्राप्ति पर लागू नहीं होते हैं यदि मूल संविदा में इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी । आईजीए/एफएमएस पर आधारित अधिप्राप्ति सहित सभी शुरुआती एकल विक्रेता मामलों में कोई ऑफसेट लागू नहीं होगा । यह नोट करना प्रासंगिक है कि स्वदेशीकरण घटक 30% या अधिक होने की स्थिति में "ग्लोबल खरीदें" मामलों के तहत भारतीय कंपनियों पर ऑफसेट प्रयोज्यता उत्पन्न नहीं होती है। ऑफसेट संविदा मुख्य अधिप्राप्ति संविदा के साथ समाप्त होते हैं और सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) के अनुमोदन के बाद मुख्य अधिप्राप्ति संविदा के साथ हस्ताक्षरित होते हैं । ऑफसेट डिस्चार्ज की अवधि को असाधारण आधार पर अधिकतम 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। डीएपी ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए योग्य उत्पादों/सेवाओं को निर्धारित करता है जिसमें रक्षा उत्पादों और हेलीकॉप्टरों और विमानों से संबंधित एमआरओ शामिल हैं । ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य विक्रेता की होती है । हालांकि, विक्रेता को अपने काम के हिस्से के आधार पर टियर-I उप-विक्रेताओं के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अनुमति है । निवेश और/या प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में, मामले के आधार पर विक्रेता/टियर-I सब-वेंडर के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा ऑफसेट डिस्चार्ज की अनुमति दी जा सकती है। विक्रेता डीपीएसयू/डीआरडीओ/निजी उद्योग से अपने भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स (आईओपी) का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑफ़सेट नीति आगे विक्रेताओं को संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद के चरण में ऑफ़सेट विवरण प्रस्तुत करने अर्थात या तो

ऑफ़सेट क्रेडिट मांगने के समय या ऑफ़सेट दायित्वों के निर्वहन से एक वर्ष पहले की अनुमति देती है ।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)2020 के अनुसार ऑफसेट दायित्वों को निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या इनके संयोजन से पूरा किया जा सकता है:

क्रमांक	डिस्चार्ज एवेन्यू	भारतीय ऑफसेट पार्टनर	विशेषताएं
1	पात्र उत्पादों या सेवाओं के लिए निर्यात आदेश की सीधी अधिप्राप्ति या निष्पादन	निजी क्षेत्र/डीपीएसयू	सूचीबद्ध पात्र उत्पाद/ सेवाएं (सिविल बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण में निवेश को शामिल नहीं किया है)
2	रक्षा उत्पादों के सह-उत्पादन, सह-विकास और उत्पादन या लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए एफडीआई या प्रत्यक्ष निवेश या जेवी या गैर-इक्विटी मार्ग के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में निवेश ।	निजी क्षेत्र/डीपीएसयू	एफडीआई के माध्यम से
3	पात्र उत्पादों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निवेश	निजी क्षेत्र/डीपीएसयू	संयुक्त उद्यम/गैर इक्विटी मार्ग के माध्यम से
4	सरकारी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को टीओटी के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण	डीआरडीओ/डीपीएसयू	
5	महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अधिग्रहण	डीआरडीओ	सूचीबद्ध महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां

एमएसएमई को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के अर्जन के लिए लक्षित क्षेत्रों में ऑफसेट के लिए मल्टीप्लायर्स को प्रोत्साहन दिया जाता है । डीएपी 2020 के तहत निम्नलिखित मल्टीप्लायर्स को अनुमति प्रदान की गई है:

प्रोत्साहन	**मल्टीप्लायर्स**
पात्र उत्पाद	1.0
पात्र उत्पादों के संघटक	0.5
रक्षा विनिर्माण में निवेश	1.5
रक्षा विनिर्माण हेतु रक्षा औद्योगिकी कॉरिडोर में निवेश	2.0
आईओपी	
एमएसएमई	1.5
निजी उद्योग (टीओटी)	2.0
डीपीएसयू (टीओटी) डीआरडीओ /	3.0
डीआरडीओ (महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी)	4.0

2.30 ऑफसेट नीति और इसके लाभों को और सरल बनाते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष निम्नवत साक्ष्य दिया:-

यदि मैं किसी देश से 100 रुपये मूल्य का माल आयात कर रहा हूं, तो या तो अनुबंध मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत मेरे देश से प्राप्त किया जाना चाहिए, या अनुबंध मूल्य के 30 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं को उस विशेष ओईएम द्वारा आयात किया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिबद्धता है। व्यापक विचार यह है, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, नीति का उद्देश्य भारत के भीतर क्षमताओं का निर्माण करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में विनिर्माण के संदर्भ में ऐसी क्षमताओं का निर्माण करें ताकि ये औद्योगिक इकाइयां मूल उपकरण निर्माता की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत हो जाएं। यही अंतिम उद्देश्य है, और यदि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह सबसे अच्छा है।

मान लीजिए, हम बोइंग से 1 बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं, तो उस आदेश के विरुद्ध भारत से 300 मिलियन डॉलर का निर्यात होना है। यदि बोइंग भारत में विक्रेता विकास कार्यक्रम में निवेश कर सकता है, तो यहां 100 विक्रेता

तैयार कर सकता है और उन्हें अपनी बहूमूल्य श्रृंखला में एकीकृत कर सकता है, ताकि वर्तमान अनुबंध से परे व्यावसायिक संबंध बनाए रखा जा सके, मेरे देश में रोजगार सृजन हो, और एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी हो।

2. 31 नए डीपीपी में ऑफसेट प्रावधानों के लाभ और मौजूदा प्रावधानों में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत प्रस्तुत किया :

'डीएपी में निहित ऑफसेट प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग 2020 को विकसित करने के लिए पूंजी अधिग्रहण का लाभ उठाना है- :

(क) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना और

(ख) रक्षा उत्पादों और सेवाओं से संबंधित अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए क्षमता बढ़ाना

के 2020 आफसेट नीति विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माताओं को जहां डीएपी करोड़ रुपए 2000 अनुसार अथवा अधिक के पूंजीगत अर्जन की लागत हो, वाले सभी अधिप्राप्ति मामलों में पात्र उत्पाद एवं सेवाओं के संबंध में स्वीकार्य अवसरों के समावेश के जरिए आफसेट दायित्वों के निर्वहन को अधिदेशित करती है।

दिनांक 11.01.के अनुसार बकाया संविदात्मक आफसेट दायित्व की 2023 लागत 8.6 बिलियन अमेरिकी डालर है जिसके प्रति विक्रेताओं ने 17.बिलियन 30 त के गए दावों में अमेरिकी डालर की राशि का आफसेट दावा प्रस्तुत किया है। प्रस्तु से, 5.बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के आफसेट दावों को समाप्त किया गया 22 है।

ऑफसेट संविदाएं विदेशी ओईएम द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एक बार निष्पादित होने के बाद, यह अनुमान लगाया जाता है कि संबंधित संविदाएं भारतीय उद्योगों के लिए पर्याप्त व्यवसाय उत्पन्न करेगा और इस प्रकार रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा। यह भारतीय घरेलू उद्योग को अधिक लाभ प्राप्त करने वाले प्रमुख वैश्विक रक्षा उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में भी सुविधा प्रदान करेगा। ऑफसेट के परिणामस्वरूप, लगभग 293 भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स (आईओपी) बनाए गए हैं, जिन्होंने रक्षा पारि-प्रणाली तंत्र

को मजबूत करने में योगदान दिया है।डीपीपी 2005 के बाद के वर्षों में ऑफसेट नीति को लागू करने के अनुभव से सीखते हुए, मंत्रालय ने ऑफसेट नीति और उसके दिशानिर्देशों को धीरे-धीरे उदार और ठीक किया है ताकि सिविल एयरोस्पेस और आंतरिक सुरक्षा सहित अन्य सहक्रियात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ घरेलू रक्षा उद्योग आधार को मजबूत करने के लिए ऑफसेट के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप उत्पादों और सेवाओं के प्रवर्धन के साथ-साथ ऑफसेट के निर्वहन के लिए उपलब्ध अवसर में वृद्धि हुई है और उन्हें अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए अन्य उपायों को निर्दिष्ट किया है विशेष रूप से-

(क) ऑफसेट भागीदारों के रूप में निजी और सार्वजनिक दोनों उद्यमों को शामिल करने के लिए केवल सार्वजनिक उद्यमों से क्रमिक रूप से इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए गए ।

(ख) पात्रता अनुसार अर्हक उत्पादों और सेवाओं को निर्दिष्ट और विस्तारित करना।

(ग) इक्विटी और गैर-इक्विटी निवेश।

(घ) भारतीय उद्यमों, सरकारी संस्थानों और स्थापनाओं सहित डीआरडीओ के लिए 4 तक के उच्चतर मल्टीप्लायर्स द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करने के जरिए प्रौद्योगिकी/उपस्करों के हस्तांतरण के संदर्भ में वस्तु के रूप में निवेश ।

(ङ) मल्टीप्लायर्स को शामिल करके एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(च) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रक्षा औद्योगिक गलियारों में रक्षा विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करना।

(छ) डीआरडीओ द्वारा अत्याधुनिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अर्जन को सक्षम बनाना।

(ज) निवेश के लिए विक्रेता/टियर-I उप-विक्रेता के अलावा इकाई के माध्यम से दायित्वों के निर्वहन की अनुमति देना और/या मामला दर मामला आधार पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; निर्वहन समय सीमा का विस्तार; ऑनलाइन पोर्टल (पहले, डीपीपी 2016 के अनुसार यह छमाही आधार पर था) के माध्यम से ऑफसेट दावों को वास्तविक समय में प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्टिंग चक्र को बढ़ाना।'

2.32 जब समिति ने डीपीएसयू या डीआरडीओ या निजी उद्योगों से भारतीय ऑफ-सेट भागीदारों के चयन के बारे में जानकारी मांगी, तो रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत् बताया:-

'मान लीजिए कि एक प्रमुख ठेकेदार के रूप में, एक विमान ओईएम है। इसमें टियर -1 विक्रेताओं के रूप में एक एयरो इंजन निर्माता के साथ एक मिसाइल निर्माता है। उनके नामों का खुलासा किया गया है, जैसे कि अनुबंध के हिस्से के रूप में ऑफसेट को कौन-कौन समाप्त करेगा। यह सिर्फ ओईएम नहीं है। टियर-1 वेंडर भी होंगे। यह पहला हिस्सा है जिस पर ऑफसेट अनुबंध के हिस्से के रूप में बातचीत की जाती है। ..... भारतीय ऑफसेट पार्टनर (आईओपी) कौन बनने जा रहा है? यह पूरी तरह से ओईएम, उसके टियर -1 विक्रेता, जैसा भी लागू हो पर निर्भर करता है।'

2.33 ऑफसेट खंड के प्रचालन पहलू के बारे में और विस्तार से बताते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधियों में से एक ने समिति के समक्ष निम्नवत साक्ष्य दिया:

'इसमें निवेदन यह है कि ऑफसेट दो तरीके से मीट कर सकते हैं या तो आप इंडिया से प्रोडक्ट्स को सोर्स करें, लेकिन अभी आपने जो कहा कि जनरल गुड्स एंड सर्विसेस को एक्सपोर्ट करने से वह पर्याप्त होगा, वह नहीं है। वह एक्सेप्टेबल नहीं है। वर्तमान ऑफसेट पॉलिसी एकदम क्लियर है कि जहां तक सम्भव हो डिफेंस गुड्स को उसमें कवर किया गया है। कुछ हैं जो एमआरओ सर्विसेस है, जैसे इंडिया में सिविलियन एयरक्राफ्ट का एमआरओ हो रहा है, लीप इंजन का एमआरओ करती है, जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट में

लगता है उसको भी हम इनकारपोरेट करते हैं। यह जो क्षमता है, सिविल सेक्टर की क्षमता है, यह मिलिट्री सेक्टर की क्षमता को बनाने के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम होती है। यदि हमारे पास जहाज 100 गेहों, तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट में आप देखेंगे, जैसे अभी एयर इंडिया में 500 जहाज हैं, जब उन जहाजों के एमआरओ की फैसीलि 500टी आएगी तभी हमारे जहाजों के एमआरओ की फैसीलिटी उसके साथ इकोनॉमिक ऑफ 100 स्केल बनेंगी। उस दृष्टि से हमने कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे आपने कहा कि जनरल गुड्स को यदि एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट काउंट होगा।

दूसरा, हमारा जो मेजर ऐवेन्यू है, आज वर्तमान परिवेश में जिसको हम ज्यादा एनसिस्ट कर रहे हैं वह है- टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई डीआरडीओ ने की है। कुछ टेक्नोलॉजीज हमारे यहां अलग से लिस्टेड भी हैं, जो कि डीपीएसयूज़ को चाहिए। उन टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर पर हम लोगों का खास तौर से का बल है। मैं यह फिर से स्पष्ट .... कर दूं कि सामान्य वस्तुएं और सेवाएं स्वीकार्य नहीं हैं। प्रौद्योगिकी तरण एक उच्च प्राथमिकता है। रक्षा वसहस्तां्तुओं का निर्यात प्राथमिकता है।'

2.34 ऑफसेट अनुबंधों को निष्पादित करने में रक्षा मंत्रालय द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों, यदि कोई हो, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया: 'ऑफसेट दायित्वों को पूंजी अधिग्रहण के तहत विक्रेताओं पर डाला जाता है जिसमें विक्रेता को भारतीय ऑफसेट भागीदारों के साथ ऑफसेट संविदा में प्रदान की गई संविदित अनुसूची के अनुसार अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करना होता है और वास्तविक समय के आधार पर (पहले त्रैमासिक/ छमाही आधार पर) लेनदेन रिपोर्ट किए जाते हैं । इससे पहले, विक्रेताओं को ऑफ़सेट दिशानिर्देशों के अनुसार

तकनीकी ऑफ़सेट प्रस्ताव में सहायक दस्तावेज़ों के साथ भारतीय ऑफ़सेट भागीदारों, उत्पादों और कार्य हिस्सेदारी का विवरण देना आवश्यक था। हालांकि, विक्रेता तकनीकी मूल्यांकन चरण में इन विवरणों को प्रदान करने में कठिनाइयों को व्यक्त कर रहे हैं, यह देखते हुए कि इन गतिविधियों को कई वर्षों बाद शुरू किया जाएगा, जिसके बाद संविदा में बदलाव की मांग की जाएगी। संविदा के बाद के प्रबंधन के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक आईओपी/उत्पाद आदि के परिवर्तन के लिए विक्रेताओं से प्राप्त संविदा संशोधन अनुरोधों का समय पर और सार्थक निपटान था। इन मुद्दों का समाधान एक लंबी प्रक्रिया थी क्योंकि पहले के डीपीपी इस तरह के मामलों के संचालन पर चुप थे। माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) के अनुमोदन के बाद ऑफसेट दिशानिर्देशों में संशोधन पेश करके इन मुद्दों का समाधान किया गया है, जहां विक्रेताओं को संविदाओं पर हस्ताक्षर करने के बाद भी आईओपी और उत्पादों का विवरण प्रदान करने का विकल्प दिया गया है, जो इसे और अधिक यथार्थवादी बना रहा है । इसके अलावा, हस्ताक्षरित संविदाओं के लिए भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स (आईओपी) और ऑफसेट घटकों के परिवर्तन की अनुमति देकर संविदा संशोधन की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया है।'

2.35 पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे उदाहरणों के बारे में पूछे जाने पर जहां वादे के अनुसार ऑफसेट को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। और क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है, मंत्रालय ने समिति को निम्नवत सूचित किया:-

'ऑफसेट दायित्वों को एक समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है जो मुख्य खरीद संविदा की अवधि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक बढ़ सकता है । मुख्य संविदा की अवधि में मुख्य संविदा के तहत खरीदे जा रहे उपस्करों की वारंटी की अवधि शामिल है। ऑफसेट संविदाएं लंबी अवधि की और जटिल प्रकृति की होती हैं। ये संविदाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं । विक्रेता ऑनलाइन पोर्टल (पहले तिमाही/छमाई आधार पर) के माध्यम से किए गए ऑफसेट डिस्चार्ज की रिपोर्ट करते हैं, जिसकी निगरानी की जाती

है। ऑफसेट दिशानिर्देश, विक्रेता द्वारा वार्षिक ऑफसेट डिस्चार्ज में कमी के मामले में जुर्माना लगाने का प्रावधान करते हैं। तेईस ऑफ़सेट संविदाओं में, विक्रेता द्वारा ऑफ़सेट डिस्चार्ज में कमी होने पर जुर्माना/अंतरिम जुर्माना लगाया गया है। कुल 87.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

कमी को दूर करने और दंडात्मक प्रावधानों से बचने के लिए ऑफसेट दायित्वों को फिर से करने के बार-बार अनुरोध करने से विक्रेताओं को रोकने के लिए दिनांक 08/08/2019 से डीपीपी 2016 और डीएपी 2020 में रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों में पुनर्स्थापन खंड को संशोधित किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, एक विक्रेता, कारण बताते हुए, ऑफसेट संविदा की अवधि के भीतर ऑफसेट दायित्वों को फिर से निर्धारित करने का अनुरोध कर सकता है। यदि पुन: निर्धारण का प्रसार अगले वर्ष तक सीमित है तो विक्रेता के द्वारा किए गए प्रथम पुन: निर्धारण अनुरोध को बिना किसी दंडात्मक कार्यवाही के संसाधित किया जाएगा । हालांकि, यदि बाद के वर्षों में ऑफसेट मूल्य के पुन: निर्धारण का प्रस्ताव किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के पुन: निर्धारण मूल्य पर 5% अतिरिक्त भार लगाया जाएगा। दूसरे और अनुवर्ती प्रयासों के लिए पुन: निर्धारण अनुरोध को पुन: निर्धारण के प्रसार के बावजूद प्रस्तावित वार्षिक पुन: निर्धारित ऑफसेट मूल्य पर अतिरिक्त 5% लगाकर संसाधित किया जाएगा। पुन: निर्धारण अनुरोध को संसाधित करने के लिए यह वार्षिक अतिरिक्त 5% ऑफसेट भार, रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों के पैरा 8.11 में निर्दिष्ट न्यूनतम एकमुश्त वित्तीय दंड के अतिरिक्त होगा। संयुक्त सचिव (डीओएमडब्ल्यू), सचिव (रक्षा उत्पादन) के अनुमोदन से अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं। दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 में निर्धारित अवधि के बाद पुन: निर्धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'

2.36 रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान समिति ने ऑफसेट समझौतों की नून-फुलफिलमेंट और ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को दंडित

करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा तो मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया: -

'यदि सभापति महोदय की अनुमति हो तो हम इस प्रश्न का जवाब लिखित में भेज देंगे।'

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफ़डीआई))

2.37 वर्तमान एफडीआई सीमा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने समिति को निम्नवत सूचित किया:

'सरकार ने सितंबर (एफडीआई) में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 नीति की समीक्षा की है, जिससे सरकारी मार्ग के माध्यम से स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक और सरकारी मार्ग के माध्यम से 74% से अधिक एफडीआई की अनुमति दी गई है, जहां भी इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच या अन्य कारणों से अभिलेखित किए जाने की संभावना है। संशोधित नीति की अधिसूचना जारी होने के बाद से अक्टूबर, करोड़ रुपये से अधिक 566 तक 2022 का निवेश हुआ है।'

2.38 इसके अलावा, समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान एफडीआई नीति सरकारी मार्ग से 100% तक की सुविधा प्रदान करती है, जहां कहीं भी, इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच या अन्य कारणों से दर्ज किए जाने की संभावना है। ऑटोमैटिक रूट को 100% तक बढ़ाने से घरेलू साझेदार का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा।

2.39 पिछले पांच कैलेण्डर वर्षों में रक्षा क्षेत्र में अनुमोदित किए गए एफडीआईसंयुक्त उद्यम प/्रस्तावों का ब्यौरा समिति को निम्नवत अग्रेषित किया -:

संयुक्त उद्यम का नाम	गतिविधि
2018	
इंडो रशियन हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड	**भारतीय रक्षा बलों के लिए हेलिकॉप्टर्स का विनिर्माण, आपूर्ति अनुरक्षण और रखरखाव।**
मैसर्स इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड	कलशनिकोव सीरीज राइफल का अभिकल्पन, विकास और उत्पादन।
मैसर्स ओमनीडाइन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	उन्नत, अत्याधुनिक, स्वचालित वाहन प्रणाली और संबंधित प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान, विकास और विनिर्माण।
मैसर्स एलबिट सिस्टम्स लिमिटेड मुख्य	**रूप से भारत में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना, डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना और समय-समय पर संशोधित भारत सरकार द्वारा जारी रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया सहित लागू कानून के अनुपालन में उप-ठेकेदार के रूप में सेवाएं प्रदान करके भारतीय रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आगामी रक्षा कार्यक्रमों में शामिल होना । इसके अलावा, आवेदक ने कहा है कि वह भारतीय रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करेगा, डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को निष्पादित करेगा, साथ ही ऐसे उत्पादों का निर्माण करेगा जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।**
मैसर्स एवरकेम एशिया प्राइवेट लिमिटेड	मैसर्स कैलीमारा मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड में अप्रत्यक्ष निवेश रखने में विशेष रूप से संलग्न, मैसर्स कैलीमारा मैटर लिमिटेड के मैसर्स कैलिबर केमिकल्स द्वारा 74% अधिप्राप्ति के अधीन ।
-शून्य	

अध्याय-तीन

रक्षा आयोजना

3.1 समिति ने पाया कि रक्षा आयोजना प्रक्रिया, सशस्त्र सेनाओं की हथियार प्लेटफॉर्मों, गोला-बारूद, उपस्कर, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के संदर्भ में वर्तमान और भावी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करती है। चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमें गतिशील प्रकृति के बहुत सारे आंतरिक और बाहरी चर शामिल हैं, जिसमें घरेलू या विश्व स्तर पर बदलते प्रत्येक कारक का देश की युद्ध तैयारियों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि रक्षा आयोजना गतिशील और अनुकूल होनी चाहिए। तीनों सेवाओं की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, तीनों सेवाओं के लिए एक संयुक्त आयोजना सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ (एचक्यू आईडीएस) को एकल बिंदु संपर्क के रूप में बनाया गया था। एचक्यू आईडीएस ने एकीकृत क्षमता विकास प्रणाली (आईसीडीएस) नामक प्रणाली विकसित की है जो एक उच्च स्तर सक्रीय प्रक्रिया है (टॉप डाउन आईट्रेटिव प्रोसेस) जिसके माध्यम से रक्षा आयोजना बनाई जाती है। आयोजना के विभिन्न स्तरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे फ्लोचार्ट के रूप में संलग्न है:-

<u>अधिग्रहण योजना प्रक्रिया</u>

10 वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना (आईसीडीपी)

- **मुख्यालय आईडीएस प्रत्येक पांच वर्ष में एसएचक्यू के परामर्श से, जिसमें दो 5 वर्षीय योजनाएं शामिल हैं**
- **प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रूपरेखा (टीपीसीआर) -डीएसी द्वारा अनुमोदन**

5 वर्षीय रक्षा पूंजी अधिग्रहण योजना

5 वर्षीय रक्षा पूंजी अधिग्रहण योजना

- **एसएचक्यू की सिफारिशों पर आधारित डीसीएपी**
- **इसमें आईसीडीपी से प्राप्त आगामी 5 वर्षों के लिए अधिग्रहण शामिल है**
- **घोषणा से पूर्व डीएसी द्वारा अनुमोदन**

वर्षीय वार्षिक 2 अधिग्रहण

वर्षीय वार्षिक 2 अधिग्रहण

वर्षीय वार्षिक 2 अधिग्रहण

वर्षीय वार्षिक 2 अधिग्रहण

वर्षीय वार्षिक 2 अधिग्रहण योजना

- **एसएचक्यू द्वारा तैयार किया जाता है**
- **रॉलऑन अधिग्रहण योजना-, प्रत्येक वित्त वर्ष के शुरू होने से पूर्वएओएन हेतु प्रत्येक प्रस्ताव , का आधार होता है**
- **एएम, एडीजी एसीक्यू टेक और एफएम की टिप्पणियों के पश्चात एसएचक्यू द्वारा एचक्यू आईडीएस को 'एएपी' का प्रारूप 31 दिसंबर तक प्रस्तुत किया जाता है**
- **प्राथमिकता वाली योजनाओं के साथ समेकित एएपी तैयार किया जाता है**
- **15 मार्च तक डीपीबी से मंजूरी**

3.2 समिति ने रक्षा पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के औचित्य को जानना चाहा, इस संबंध में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया-:

नामक नई संयुक्त क्षमता (आईसीएडीएस) एकीकृत क्षमता विकास प्रणाली" विकास प्रक्रिया के प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए13वीं रक्षा योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद, सभी अधिप्राप्तियां दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही हैं जो एलटीआईपीपी)2012-2027) का हिस्सा हैं। हालांकि, वार्षिक अधिग्रहण योजना ऑन -पर द्विवर्षीय रोल (एएपी) के आधार पर वास्तविक पूंजीगत खरीद की जाती है।

2. इसके अलावा, सरकार ने रक्षा मामलों के लिए व्यापक और एकीकृत योजना को सुकर बनाने के लिए एक रक्षा योजना समिति की (डीपीसी) की अध्यक्षता (एनएसए) स्थापना की है। डीपीसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाला एक स्थायी निकाय है। डीपीसी में सदस्यों के रूप में अध्यक्ष, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी (सीओएससी), सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और सचिव शामिल हैं। (व्यय)

3. डीपीसी रक्षा योजना, अन्य बातों के साथसाथ-, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा प्राथमिकताओं, विदेश नीति अनिवार्यताओं, परिचालन निर्देशों और सुरक्षा संबंधी सिद्धांतों, रक्षा अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक इनपुट का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है, जिसमें दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी), रक्षा प्रौद्योगिकी और भारतीय रक्षा उद्योग का विकास और वैश्विक तकनीकी प्रगति शामिल है ।

3.3 रक्षा पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का विवरण देते हुए, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:-

"12वीं रक्षा योजना (2012-17) की उपलब्धियां निम्नवत हैं:-

थ ल सेना:- 1,61,363 करोड़ रुपए मूल्य के 113 एओएन को मंजूरी प्रदान की गई है और 66,502 करोड़ रुपए मूल्य की 98 संविदाएं हस्ताक्षरित की गई हैं ।

ख)) नौसेना : - 1,22,961 करोड़ रुपए मूल्य के 102 एओएन को मंजूरी प्रदान की गई है और 75,097 करोड़ रुपए मूल्य की 96 संविदाएं हस्ताक्षरित की गई है ।

(ग)**वायुसेना :- 2,38,376 करोड़ रूपए मूल्य के 47 एओएन को मंजूरी प्रदान की गई है और 1,29,199 करोड़ रुपए मूल्य की 39 संविदाएं हस्ताक्षरित की गई हैं ।**

2. पिछले दो वर्षों में हस्ताक्षरित अनुबंधों के संदर्भ में पूंजीगत खरीद इस प्रकार है: - (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल	
	योजनाओं की संख्या	लागत
2020-21	43	67,988
2021-22	44	43,585
कुल	87	1,11,573

जब समिति ने उन लक्ष्यों/परियोजनाओं/कार्यकलापों, यदि कोई हो, जिन्हें रक्षा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार प्राप्त नहीं किया जा सका और उसके कारण के बारे में पूछा, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया-:

"उपलब्ध बजट आवंटन के भीतर योजना अवधि के दौरान योजनाओं में शामिल गतिविधियां आगे बढ़ीं। यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को फिर से प्राथमिकता दी जाती है कि रक्षा सेवाओं की परिचालन तैयारियों से कोई समझौता किए बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताएं हासिल की जाएं।"

3.4 मंत्रालय को वर्ष 2022-23 के अनुमान सहित तेरहवीं रक्षा पंचवर्षीय योजना (2017-2022) के प्रत्येक वर्ष के अनुमानों, आवंटन और वास्तविक व्यय को बताने के लिए कहा गया था, इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
2017-18	2,59,261.90	2,63,003.85	2,72,559.83
2018-19	2,79,305.32	2,82,100.23	2,87,688.65
2019-20	3,05,296.07	3,16,296.07	3,18,664.58
2020-21	3,23,053.00	3,43,822.00	3,40,093.51
2021-22	3,47,088.28	3,68,418.13	3,66,545.90
2022-23	3,85,370.15	4,09,500.48	2,67,523.08*
2023-24	4,32,720.14		

*दिसम्बर ,2022 तक

3.5 जब समिति ने दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी), जिसमें मुख्य रूप से सशस्त्र सेनाओं की 'क्षमता विकास' योजना शामिल थी और जो एक परिप्रेक्ष्य योजना प्रक्रिया भी है जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन की संकल्पना और कार्यशील बनाने के लिए भारतीय उद्योग को एक अवसर प्रदान करना है, क्योंकि एलटीआईपीपी के तकनिकी पहलुओं को प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य क्षमता रूपरेखा (टीपीसीआर) के रूप में उद्योग के साथ साझा किया गया था, के बारे में विवरण जानना चाहा, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को निम्नानुसार सूचित किया:- "एलटीआईपीपी, अपने आप में एक अधिग्रहण योजना नहीं थी, लेकिन वांछित सैन्य क्षमताओं को प्राप्त करने की दृष्टि से, इसमें संबंधित रूपरेखा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया था। एलटीआईपीपी 2012-27 को 15 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया था। इस अवधि को तीन पंचवर्षीय योजनाओं, अर्थात् XIIवीं योजना)2012-17), XIIIवीं योजना)2017-22) और XIVवीं योजना)2022-27) में विभाजित किया गया था। एलटीआईपीपी 2012-27 का पहला सबसेट अर्थात

XIIवीं रक्षा योजना)2012-17) पहले ही लागू की जा चुकी है। XIIIवीं रक्षा योजना अर्थात् वर्ष)2017-22) को भी चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालाँकि (सीओएससी), इस संपूर्ण क्षमता विकास प्रक्रिया की समीक्षा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया -(डीएपी)2020 दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी, और इसे एकीकृत क्षमता विकास प्रणाली संदर्भित एक फ्रेमवर्क बद्ध तंत्र के साथ के रूप में (आईसीएडीएस) प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

क्षमता नियोजन और अधिग्रहण में स्वदेशीकरण की हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा, आईसीएडीएस मॉडल से सेवाओं के बीच और भी अधिक एकीकरण और संयुक्तता में वृद्धि होने की संभावना है। आईसीएडीएस प्रक्रिया के द्वारा दस साल की प्राथमिकता वाली एकीकृत क्षमता विकास योजना (आईसीडीपी) को तैयार किया जाएगा, जिसमें पांच साल की दो रक्षा पूंजी अधिग्रहण योजनाएं शामिल होंगी और वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं पर दो (डीसीएपी) और रक्षा ऑन होगा। इस मॉडल को ठोस रूप दिया जा रहा है-साल का रोल के अनुमोदन के बाद एलटीआईपीपी को (डीएसी) अधिग्रहण परिषद आईसीडीपी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

3.6 समिति को वित्तीय वर्ष 2023-के दौरान व्यापक श्रेणियों में 24 विभागों के वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई जो/सेवाओं निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	सेवा/विभाग	बीई 2023-24 में आवंटन		
		राजस्व	पूंजी	कुल
1.	**थल सेना**	1,81,371.97	34,341.54	2,18,713.51
2.	**नौसेना**	32,284.20	52,804.75	85,088.95
3.	**वायु सेना**	44,345.58	58,268.71	1,02,614.29
4.	**डीजीओएफ**	426.50	1,315.00	1,741.50
5.	**आरएंडडी**	10,413.89	12,850.00	23,263.89

6.	**डीजीक्यूए**	1,278.00	20.00	1,298.00

3.7 एलटीआईपीपी की अब तक की उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी दी-

"एलटीआईपीपी 2012-27 को तीन पंचवर्षीय योजनाओं, अर्थात 2012-2017 से XIIवीं रक्षा योजना, 2017-22 से XIIIवीं रक्षा योजना और 2022-27 से XIVवीं रक्षा योजना को शामिल करने के लिए तैयार किया गया था। XIIवीं रक्षा योजना (2012-17) की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(क) सेना - XIIवीं रक्षा योजना अवधि के लिए, 1,61,363 करोड़ रुपये के 113 स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) को मंजूरी दी गई और 66,502 करोड़ रुपये के 98 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) नौसेना - XIIवीं योजना अवधि के लिए, 1,22,961 करोड़ रुपये के 102 एओएन दिए गए और 75,097 करोड़ रुपये के 96 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) वायु सेना - XIIवीं योजना अवधि के लिए, 2,38,376 करोड़ रुपये के 47 एओएन दिए गए और 1,29,199 करोड़ रुपये के 39 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, नई संयुक्त क्षमता विकास प्रक्रिया [जिसे एकीकृत क्षमता विकास प्रणाली (आईसीएडीएस) के रूप में जाना जाता है] के निर्माण के मद्देनजर XIII वीं रक्षा योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद, सभी अधिप्राप्तियां अभी भी दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही हैं, जैसा कि एलटीआईपीपी 2012-27 में परिकल्पित है। पिछले तीन वर्षों में हस्ताक्षरित अनुबंधों के संदर्भ में पूंजीगत खरीद इस प्रकार है: -

वित्तीय वर्ष	भारतीय	वैश्विक	कुल

	योजनाओं की संख्या	लागत)करोड़ में(	योजनाओं की संख्या	लागत)करोड़ में(	योजनाओं की संख्या	लागत)करोड़ में(
2020-21	32)74.41(%	66,184)97.84(%	11)25.59(%	1804)2.16(%	43	67,988
2021-22	33)75(%	29,235)67.07(%	11)25(%	14,350)32.93(%	44	43,585
2022-23	9)100(%	5496)100(%	-	-	9	5496
कुल	**74** **)92.41(%**	**1,00,915** **)95.30(%**	**22** **)7.59(%**	**16154** **)4.70(%**	**96**	**1,17,069**

3.8 समिति ने पूछा कि क्या हथियार प्रणाली, गोला-बारूद आदि की एलटीपीपी के अनुसार खरीद की गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि अधिग्रहण योजना के अनुसार हो। इस संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर के माध्यम निम्नवत जानकारी दी: -

> "सशस्त्र बलों के अधिकांश पूंजीगत अधिग्रहण, एलटीआईपीपी के अनुसार हुए हैं, जैसा कि विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, निर्धारित अवधि के दौरान क्षमताओं/प्लेटफार्मों को प्राप्त करने के लिए व्यापक ढांचे को स्पष्ट करता है। हालांकि, कभी-कभी कुछ संक्रियात्मक आपात स्थितियों से निपटने के लिए कुछ खरीद की जाती है [जो वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) का हिस्सा नहीं हैं], जिन्हें, माननीय रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद से अनुमोदन लेने के उपरांत पुनः संशोधित एएपी में शामिल किया गया। पुनः, जैसा कि ऊपर रेखांकित किया गया है, भविष्य की अधिप्राप्तियां, इनके अनुमोदन प्राप्ति के उपरांत, संशोधित आईसीएडीएस मॉडल के तहत की जाएंगी ।"

3.9 भविष्य के लिए हथियार प्रणालियों, विमानों, विमान वाहकों, महत्वपूर्ण गोला-बारूद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई किसी

विवरण प्रस्तुत करने के लिए पूछे जाने पर भी दीर्घकालिक योजना का, रक्षा मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार सूचित किया-:

"संयुक्त क्षमता विकास प्रक्रिया - भविष्य की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक संयुक्त क्षमता विकास मॉडल (सीडी) विकसित किया गया है। इस ढांचे से जुड़ी प्रक्रिया का उद्देश्य क्षमता विकास हेतु किए जाने वाले प्रयास को उद्देश्यपूर्ण, कार्यान्वयन योग्य और स्वीकार्य बनाना है। यह प्रक्रिया भविष्य के खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों की पहचान/अधिग्रहण की पूर्ति करती है । क्षमता योजना, अंतर-सेवा प्राथमिकता की विधिवत फैक्टरिंग और पूंजीगत बजट के अनुकूलतम उपयोग हेतु तीनों सेनाओं के एकीकरण को यह महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, इसका उद्देश्य डीएपी में 2020 विकास योजना वर्षीय एकीकृत क्षमता 10 परिकल्पित किए अनुसार (आईसीडीपी), पांच वर्षीय रक्षा पूंजी अधिग्रहण योजना और वार्षिक (डीसीएपी) अधिग्रहण योजना ऑन को सुस्पष्ट करना है।-पर दो वर्ष के रोल (एएपी)

इसके अलावा, आगामी वर्षों से आगे की दीर्घावधि आवश्यकताओं 10 को पूरा करने के लिए, "रक्षा प्रौद्योगिकी विकास 2032- "के लिए रोडमैप 47 तैयार किया जा रहा है, जोकि 2032-की समयावधि में सेनाओं द्वारा 47 वांछित क्षमताओं और समयबद्ध तरीके से उनके डिजाइन, विकास और प्रवेश पद्धति के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करेगा।"

3.10 मंत्रालय ने रक्षा सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित राशि की सेवा वार स्थिति और आवंटन-की तुलना में खर्च की गई राशि के संबंध में निम्नलिखित जानकारी अग्रेषित की है, जो निम्नवत है:

रक्षा सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित राशि और आवंटन की तुलना में खर्च की गई राशि की सेवा-विभाग/वार स्थिति निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ में)

सेवा/ विभाग	निर्धारित राशि अंतिम अनुदान			व्यय की गई राशि		
	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
थल सेना	1,73,405.32	1,70,677.21	1,82,862.81	1,71,530.26	1,66,224.26	1,82,223.00
नौसेना	48,261.58	64,725.13	69,619.46	49,833.99	64,832.81	68,863.62
वायु सेना	74,906.18	90,817.31	87,660.98	75,228.54	91,033.18	87,592.64
डीजीओएफ	888.33	435.72	8,601.81	3,678.76	1,379.95	8,624.00
आरएंडडी	17,730.78	16,145.74	18,720.44	17,375.17	15,706.96	18,291.00
डीजीक्यूए	1,103.88	1,003.00	952.63	1,017.86	916.35	951.64
कुल	**3,16,296.07**	**3,43,804.11**	**3,68,418.13**	**3,18,664.58**	**3,40,093.51**	**3,66,545.90**

3.11 समिति अपने पहले के प्रतिवेदन में मंत्रालय को त्रुटिरहित बजटीय योजना और कार्यान्वयन के उपाय अपनाने की सिफारिश करती रही है। अभी तक पंचवर्षीय रक्षा योजनाओं को कभी भी वित्त मंत्रालय की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए मंत्रालय से इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया था। एक लिखित टिप्पण के माध्यम से, मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी प्रदान की:

> द्वारा अनुमोदित किया गया था।वीं योजना को माननीय रक्षा मंत्री12"वित्त मंत्रालय ने, हालांकि, योजना को मंजूरी नहीं दी। 13वीं रक्षा योजना के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते समय यह निर्णय लिया गया कि योजना को वित्त मंत्रालय को केवल जानकारी के लिए भेजा जाए न कि अनुमोदन के लिए। तदनुसार, आने वाले वर्षों में रक्षा बलों की आवश्यकताओं के बारे में वित्त मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। एकीकृत क्षमता विकास प्रणाली (आईसीएडीएस) नामक नई संयुक्त क्षमता विकास प्रक्रिया के निर्माण को ध्यान में रखते हुए 13वीं रक्षा योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद, सभी खरीद दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही हैं जो

एलटीआईपीपी (2012-2027) का हिस्सा हैं। हालांकि, वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) पर द्विवर्षीय रोल-ऑन के आधार पर वास्तविक पूंजीगत खरीद की जाती है।

2. इसके अलावा, सरकार ने रक्षा मामलों के लिए व्यापक और एकीकृत योजना की सुविधा के लिए एक रक्षा योजना समिति की स्थापना (डीपीसी) की है। डीपीसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाला एक (एनएसए) स्थायी निकाय है। डीपीसी में सदस्यों के रूप में अध्यक्ष, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी (सीओएससी), सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और सचिव शामिल हैं। (व्यय)

3. डीपीसी रक्षा योजना, अन्य बातों के साथसाथ-, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा प्राथमिकताओं, विदेश नीति अनिवार्यताओं, परिचालन निर्देशों और सुरक्षा संबंधी सिद्धांतों, रक्षा अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक इनपुट का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है, जिसमें दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी), रक्षा प्रौद्योगिकी और भारतीय रक्षा उद्योग का विकास और वैश्विक तकनीकी प्रगति शामिल है।"

भाग- दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

रक्षा मंत्रालय का बजट और अनुदानों की मांगें 2023-24: एक सिंहावलोकन

समिति ने पाया कि रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटन को चार अनुदानों में विभाजित किया गया है, जो अनुदानों की मांगें जैसे, मांग संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल), मांग संख्या 20 - रक्षा सेवाएं (राजस्व), मांग संख्या 21 - रक्षा सेवा संबंधी पूंजी परिव्यय और मांग संख्या 22 - रक्षा (पेंशन)। समिति ने यह भी पाया कि मांग संख्या 19 और 22 सिविल/पेंशन अनुमानों के अंतर्गत आती हैं और मांग संख्या 20 और 21 रक्षा सेवा अनुमानों के अंतर्गत आती हैं। अनुदान संख्या 19 रक्षा मंत्रालय की सिविल अनुदान है जो निम्नवत सात संगठनों के राजस्व और पूंजीगत बजट को पूरा करती है: - (i) सीमा सड़क संगठन,

(ii) तट रक्षक,

(iii) रक्षा संपदा,

(iv) सीएसडी,

(v) रक्षा लेखा विभाग,

(vi) जेकेएलआई, और

(vii) एएफटी।

समिति ने पाया कि अनुदान संख्या 20 और 21 में रक्षा सेवा अनुमान जिसमें एकीकृत रक्षा स्टाफ, वायु सेना, डीआरडीओ और आयुध निदेशालय सहित थल सेना, नौसेना, संयुक्त स्टाफ के राजस्व और पूंजी आवंटन शामिल हैं। उक्त संगठनों के राजस्व खंड को अनुदान संख्या 20 के माध्यम से पूरा किया जाता है और इन संगठनों के पूंजीगत व्यय को अनुदान संख्या 21 के माध्यम से आवंटित किया जाता है। चौथी अनुदान रक्षा पेंशन अनुदान है जो अनुदान संख्या 22 है और यह

रक्षा सेवाओं के पेंशन बजट से संबंधित है। समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटित बजट 5,93,537 करोड़ रुपये है। समिति इस बात पर भी ध्यान देती है कि 2022-23 की तुलना में कुल रक्षा बजट में आगामी वित्तीय वर्ष के बजटीय अनुमान में 13.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो समिति की राय में सही दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

समिति को यह जानकर खुशी हुई कि यह 68,371.49 करोड़ रुपये की स्पष्ट वृद्धि है। रक्षा सेवा अनुमान भी 3,85,370 करोड़ रुपए से 12.29 प्रतिशत बढ़कर 4,32,720 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा सेवा अनुमान 4,32,720 करोड़ रुपये है, जो कुल रक्षा बजट का लगभग 73 प्रतिशत है।

समिति नोट करती है कि रक्षा सेवा अनुमान, जो राजस्व और पूंजीगत परिव्यय में विभाजित है, में 12.29 प्रतिशत अर्थात 47,350 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है जो बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में 3,85,000 करोड़ रूपये से बढ़कर चालू वर्ष में 4.33 लाख करोड़ हो गया है। रक्षा सेवाओं के पूंजीगत परिव्यय बजट को पूंजीगत अधिग्रहण और पूंजीगत अधिग्रहण के अतिरिक्त अन्य में विभाजित किया गया है जो क्रमशः 1,32,301 रुपये और 30,298 करोड़ रुपये है ।

समिति इस बात से संतुष्ट है कि रक्षा सेवाओं के पूंजीगत बजट में 6.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 1.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पूंजीगत अधिग्रहण व्यय जिसे रक्षा सेवाओं अर्थात थल सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ के आधुनिकीकरण बजट के रूप में भी जाना जाता है, में 6.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2018-19 से पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत अधिग्रहण बजट में लगभग 78.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्पष्टत:, यह लगभग 58,185 करोड़ रुपये है। पूंजी अधिग्रहण के अतिरिक्त खंड, जिसमें सशस्त्र सेनाओं की भूमि और कार्य व्यय और डीआरडीओ, डीजीक्यूए और आयुध निदेशालय का पूंजीगत बजट शामिल है में भी 8.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसमें नव निर्मित सात सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए 1310 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। समिति इस बढ़े हुए बजटीय आवंटन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ किए गए लगातार प्रयासों की सराहना करती है और इस संबंध में सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय इस बजट का कुशलतापूर्वक उपयोग युद्धक प्लेटफार्मों, जो देश की सीमा पर वर्तमान सुरक्षा खतरे के मद्देनजर गैर-मित्रवत पडोसी देशों की शक्ति के अनुरूप हों, का विकास और अधिग्रहण करने के लिए करेगा।

इसके अतिरिक्त समिति नोट करती है कि समिति के समक्ष उत्तर प्रस्तुत करने के समय मंत्रालय ने 2022-23 में 4,09,500.48 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से केवल 2,67,523.08 करोड़ रुपये (दिसंबर 2022 तक) का उपयोग किया है। इस स्तर पर समिति को अवगत कराया जाए कि किन कारणों से वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के पूरा होने तक केवल लगभग 65 प्रतिशत अनुदान का ही उपयोग किया जा सका है। मंत्रालय द्वारा कारण बताते समय, समिति को इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के एक माह के भीतर इस वित्त वर्ष के समाप्त होने तक शेष 35 प्रतिशत का उपयोग करने के लिए विद्यमान योजनाओं/स्कीमों/चैनलों/ट्राजेक्ट्री से भी अवगत कराया जाए।

समिति का दृढ़ मत है कि आवंटित निधि के पूर्ण उपयोग से सशस्त्र सेनाओं को उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों का एक समूह तैयार करने और नवीनतम हथियार, विमान, पोत, टैंकों और अन्य प्लेटफार्मों के अधिग्रहण सहित संभार तंत्र अवसंरचना के साथ-साथ इष्टतम पूंजी गहनता परियोजनाएं शुरू करने में सहायता मिलेगी।3. समिति वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किए गए आवंटन के आंकड़ों को नोट करते हुए थोड़ा निराश है। हालांकि रक्षा मंत्रालय स्वीकृत बीई आवंटन से संतुष्ट है जो वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत अनुमानित आवंटन के लगभग समान है। मंत्रालय द्वारा वास्तविक व्यय पर दी गई जानकारी से, समिति नोट करती है कि

वर्ष 2020-21 को छोड़कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान स्तर पर किए गए आवंटन से कहीं अधिक है।

इस संदर्भ में समिति यह कहना चाहेगी कि देश में वर्तमान खतरे की आशंका के मद्देनजर मांगे गए आवंटन के संबंध में किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि संशोधित अनुमान स्तर पर मंत्रालय को मांगे गए आवंटनों के वास्तविक आकलन को ध्यान में रखते हुए अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आवंटन प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। समिति, यहाँ यह भी सिफारिश करती है कि सीमाओं के पार से सुरक्षा खतरों की पृष्ठभूमि में, रक्षा मंत्रालय को किसी भी स्तर पर, चाहे वह बजट अनुमान हो या संशोधित अनुमान हो, पर स्वीकृत निधि के इष्टतम उपयोग द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा उपस्कर और संभार सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।

<u>अतिरिक्त आवंटन</u>

4. समिति यह जानकर संतुष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय को किए गए आवंटन में पूंजीगत शीर्ष के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए क्रमशः 37,341.54, 52,804.75 रुपये और 58,808.48 रुपये की मांग की गई थी और वित्त मंत्रालय द्वारा बिना किसी कटौती के इसे प्रदान किया गया। इस तथ्य के आलोक में समिति यह दोहराना चाहेगी कि रक्षा मंत्रालय से रक्षा सेनाओं की प्रचालनात्मक तैयारियों को प्राथमिकता देकर आवंटित निधि का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है और मंत्रालय को महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विकास और तीनों सेनाओं के प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए इन निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान आवंटित निधियों के व्यय का गहन विश्लेषण करना मंत्रालय की जिम्मेदारी है ताकि अनुपूरक अनुदान की

आवश्यकता होने पर संशोधित अनुमान चरण में वित्त मंत्रालय से समय पर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। ।

<u>पूंजी और राजस्व परिव्यय हेतु अनुपात</u>

5. मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से समिति नोट करती है कि बजट के पूंजी घटक में कमी आई है जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी और राजस्व परिव्यय का अनुपात 62:38 है, (राजस्व: पूंजी) जो स्पष्ट रूप से राजस्व व्यय में वृद्धि को दर्शाता है जो पहले के 60:40 अनुपात में परिवर्तन से स्पष्ट है। मंत्रालय ने इस वृद्धि का कारण प्रचालनात्मक और रखरखाव व्यय अर्थात आयुध स्टोर, परिवहन, प्रचालन कार्यों आदि सहित रक्षा स्टोर के संदर्भ में की गई वृद्धि को बताया। राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों ही हमारी सेनाओं की प्रचालनात्मक तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथापि, समिति चिंता के साथ नोट करती है कि प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ राजस्व और पूंजी परिव्यय का अनुपात बजट के राजस्व घटक की ओर झुकता जा रहा है जो मंत्रालय के पूर्व प्रतिवेदनों में की गई उनकी सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। समिति समझती है कि वन रैंक वन पेंशन और सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से राजस्व व्यय में वृद्धि होगी, परंतु विकृत अनुपात से बलों के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस टिप्पणी के आलोक में, समिति सर्वसम्मति से सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय को सशस्त्र बलों के साथ मिलकर बलों के परिचालन व्यय से समझौता किए बिना तीनों सशस्त्र सेनाओं के पूंजी और राजस्व के बीच एक उचित संतुलन बनाने के उपाय करने चाहिए।

<u>रक्षा बलों का आधुनिकीकरण</u>

6. समिति को अवगत कराया गया है कि केंद्रीय बजट 2023 में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं का पूंजीगत आबंटन बढ़ाकर 1,62,600 करोड़ रुपये

कर दिया गया है, अर्थात् 10,230 करोड़ रुपये की वृद्धि, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.7 प्रतिशत अधिक है और 2018-19 की तुलना में इसमें 68,618 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो पिछले पांच वर्षों में 73 प्रतिशत की वृद्धि है। यह आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास के सतत् संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सशस्त्र सेनाओं की उपस्कर आवश्यकताओं की आयोजना एवं प्रगति एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है जिसमें 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी), पांच वर्षीय सेवा-वार क्षमता अधिग्रहण योजना, दो वर्षीय रोल ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना और रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा विचार-विमर्श शामिल हैं। समिति नोट करती है कि 2018-19 से पूंजीगत अधिग्रहण के लिए आधुनिकीकरण संबंधी बीई, आरई और एई के अवलोकन से पता चलता है कि आरई चरण के बाद भी वास्तविक व्यय कुल मिलाकर आबंटित निधि से अधिक रहा है। यद्यपि मंत्रालय ने 2022-23 के बजट अनुमान 1,24,408.64 करोड़ रुपये में से दिसंबर, 2022 तक 67,020.99 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया है, तथापि समिति सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक मंत्रालय को इस शीर्ष के तहत धन के सम्पूर्ण उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।

7. समिति नोट करती है कि नए उपस्करों की खरीद और मौजूदा उपस्करों और प्रणालियों के उन्नयन के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है जो अनुमोदित पूंजीगत अधिग्रहण योजनाओं के अनुसार किया जाता है । अत: इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि मांगे जाने पर आधुनिकीकरण के लिए पूंजी शीर्ष के अंतर्गत वर्धित और पर्याप्त बजटीय आबंटन किया जाना चाहिए ताकि निधियों के कारण अवरोध के बिना खरीद और उन्नयन किया जा सके।

मुद्रास्फीति

8. समिति को अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आबंटन 5,93,537.64 करोड़ रुपये है, जो 13.03 प्रतिशत की वृद्धि है और निरपेक्ष रूप से 68,371.49 करोड़ रुपये है। साथ ही रक्षा सेवा अनुमान में 12.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से पूंजीगत बजट को 1.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 6.71 प्रतिशत अधिक है। आबंटनों की गहन जांच करने पर समिति ने पाया कि वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान 4,09,500.48 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में वास्तविक वृद्धि 5 प्रतिशत से कम है। लगभग 6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति (कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए) को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमानित यह बजट अनुमान और कम पड़ जाता है। चूंकि हमारी अधिकांश रक्षा खरीद डॉलर में की जाती है, इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय स्वीकृतियों में वास्तविक वृद्धि की गणना में डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समिति सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित पूंजीगत परिव्यय में नाम मात्र की वृद्धि को स्वीकारती है, फिर भी वह सिफारिश करना चाहती है कि प्रदान की गई निधियों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि हमारे बलों के आधुनिकीकरण में वास्तविक बढ़ावा मिल सके। इसलिए, समिति का विचार है कि रक्षा मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी अनुदान मांगों को प्रस्तुत करते समय गोचर और अगोचर कारकों पर विचार कर अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि सशस्त्र बलों के सभी स्कंधों के लिए अत्याधुनिक उपस्कर और अवसंरचना उपलब्ध हो और हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर खतरे की धारणा पूरी तरह से विफल हो जाए।

<u>प्रतिबद्ध देनदारियां और नई योजनाएं</u>

9. किसी वित्तीय वर्ष में प्रतिबद्ध देयता पिछले वर्षों में संपन्न संविदाओं के संबंध में अनुमानित भुगतान को इंगित करती है। रक्षा सेवा अनुमानों में, प्रतिबद्ध देनदारियां, पूंजीगत अधिग्रहण खंड का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्योंकि एक परियोजना कई वित्तीय वर्षों तक चल सकती है। अतः प्रतिबद्ध देनदारियों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हे बजट आबंटन में सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नई योजनाओं में नई परियोजनाएं/प्रस्ताव शामिल होते हैं जो अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं और जिनके निकट भविष्य में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। समिति ने पाया है कि रक्षा सेवा प्राक्कलनों में इसके लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है और इन्हें पूंजीगत अधिप्राप्ति (आधुनिकीकरण) बजट के माध्यम से पूरा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान समिति को यह भी सूचित किया गया कि यद्यपि प्राप्त आबंटन, किए गए बजट अनुमान के अनुसार नहीं हैं, तथापि, वर्ष के दौरान व्यय और लंबित प्रतिबद्ध देयताओं के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी। इस संबंध में समिति सर्वसम्मति से सिफारिश करती है कि यदि आवश्यक हो, तो प्राथमिकताओं के पुनः निर्धारण के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रक्षा सेवाओं की संक्रियात्मक तैयारियों के साथ कोई समझौता किए बिना अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं की अधिप्राप्ति की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि आवश्यकता हो तो प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के लिए आबंटनों को संशोधित किया जा सकता है।

किसी वित्तीय वर्ष में प्रतिबद्ध देयता पिछले वर्षों में संपन्न संविदाओं के संबंध में अनुमानित भुगतान को इंगित करती है। रक्षा सेवा अनुमानों में, प्रतिबद्ध देनदारियां, पूंजीगत अधिग्रहण खंड का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्योंकि एक परियोजना कई वित्तीय वर्षों तक चल सकती है। अतः प्रतिबद्ध देनदारियों का ध्यान

रखना महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हे बजट आबंटन में सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नई योजनाओं में नई परियोजनाएं/प्रस्ताव शामिल होते हैं जो अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं और जिनके निकट भविष्य में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। समिति ने पाया है कि रक्षा सेवा प्राक्कलनों में इसके लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है और इन्हें पूंजीगत अधिप्राप्ति (आधुनिकीकरण) बजट के माध्यम से पूरा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान समिति को यह भी सूचित किया गया कि यद्यपि प्राप्त आबंटन, किए गए बजट अनुमान के अनुसार नहीं हैं, तथापि, वर्ष के दौरान व्यय और लंबित प्रतिबद्ध देयताओं के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो अनुपूरक/संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी। इस संबंध में समिति सर्वसम्मति से सिफारिश करती है कि यदि आवश्यक हो, तो प्राथमिकताओं के पुनः निर्धारण के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रक्षा सेवाओं की संक्रियात्मक तैयारियों के साथ कोई समझौता किए बिना अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं की अधिप्राप्ति की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि आवश्यकता हो तो प्रतिबद्ध देयताओं और नई योजनाओं के लिए आबंटनों को संशोधित किया जा सकता है।

रक्षा खरीद नीति

सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद की नीति का उद्देश्य सशस्त्र बलों की क्षमता विकसित करना तथा सुरक्षा और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना; सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से समकालीन प्रौद्योगिकी से लैस उपकरण खरीदना क्योंकि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है; और इस प्रक्रिया में एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग विकास कर सके, है। साथ ही, इसमें भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के साथ-साथ रक्षा उपकरण उत्पादन में भारत

को आत्मनिर्भर बनाने की भी परिकल्पना की गई है। यह नीति रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। समिति यह भी पाती है कि रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के रूप में संशोधित किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में घोषित रक्षा सुधारों के सिद्धांतों से प्रेरित है। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए 'खरीदो {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)}' श्रेणी, जिसे 2016 में शुरू किया गया था और पूंजीगत उपकरणों की खरीद के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, को डीएपी 2020 में जारी रखा गया है। समिति को यह भी बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने 108 वस्तुओं की एक दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है जिसके लिए आयात पर अंतरिम प्रतिबंध होगा। डीएपी 2020 में कुछ विशिष्टताएं शामिल की गई हैं जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विषयक विशेष अध्याय शामिल हैं और क्योंकि यह नया है इसलिए इसमें अधिक सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता है और कम समय सीमा में तकनीकी अप्रचलन हो जाता है।

11. समिति को मंत्रालय द्वारा बताया गया था कि पिछली रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2016 में आया था और नवीनतम आदेशों और अन्य प्रगतियों को शामिल करने के लिए वर्तमान में यह संशोधन के अधीन है। मंत्रालय ने अपने कथन में कहा है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान इसे नौ बार संशोधित किया गया है और हमारी भौगोलिक विविधताओं के कारण खरीद मैनुअल में सभी संभावनाओं को शामिल किया जाता है। यद्यपि समिति इस तथ्य का संज्ञान लेती है कि प्रत्येक सशस्त्र बल की आवश्यकताएं काफी जटिल हैं, फिर भी समिति आशा करती है कि मंत्रालय रक्षा खरीद प्रक्रिया संबंधी मैनुअल के संशोधन में तेजी लाए क्योंकि इससे न केवल हथियारों, गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि देश भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। अतः, समिति सिफारिश करती है कि खरीद की प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों जैसे मंत्रालय, डीपीएसयू, सशस्त्र बलों और निजी क्षेत्र द्वारा समयबद्ध और ठोस प्रयास किए

जाने चाहिए क्योंकि यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

12. समिति मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना से नोट करती है कि रक्षा उपकरणों की खरीद एक लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार उपकरणों की अंतिम खरीद 74-106 सप्ताह/19-26 महीनों में होती है, जो समिति के अनुसार इसमें शामिल रणनीतिक जोखिमों के संदर्भ में बहुत लंबी अवधि है। समिति का विचार है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आ रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए इतनी लंबी समय सीमा के कारण प्रौद्योगिकी अप्रचलित और पुरानी हो सकती है, जिससे देश की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक संबंधों की गतिशीलता भी पारंपरिक चैनलों और सहयोगियों के माध्यम से हो रहे खरीद को जोखिम में डाल सकती है जैसा कि हाल ही में हुए रूसो-यूक्रेन युद्ध से देखा जा सकता है। अतः, प्रौद्योगिकीय विकास और वैश्विक संबंधों के संदर्भ में गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को ऐसे तरीके खोजने का प्रयास करना चाहिए जिनसे प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही से समझौता किए बिना रक्षा उपकरण खरीद में तेजी लाई जा सकती है। यह न केवल हमारे बलों को सशक्त बनाने में सहायता करेगा, बल्कि शत्रु देशों के लिए भयपरतिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>रक्षा खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता</u>

13. समिति नोट करती है कि रक्षा खरीद मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने भारतीय रक्षा उद्योग के साथ बातचीत के द्वारा नीति की समीक्षा, प्रमाणन का उपयोग, सिमुलेशन, भारतीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में क्षमता विकास योजना की प्रभाविता, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर नीतिगत परिवर्तनों की होस्टिंग, एओएन, आरएफआई आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। समिति रक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित

करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती है, लेकिन यह भी सिफारिश करना चाहती है कि उठाए गए सभी उपायों/कदमों को सभी स्तरों पर सख्ती से लागू किया जाए और हथियार प्रणालियों की निष्पक्ष और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार किया जाए । बाद के चरण में समिति को उन मामलों की संख्या, यदि कोई हो, से भी अवगत कराया जाए जिनमें दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के बाद व्यक्तियों को दोषी पाया गया था।

14. समिति नोट करती है कि डीपीएसयू की तुलना में निजी रक्षा उद्योग के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किये गए हैं जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) का निगमीकरण के बाद निजी उद्योग को प्रदत्त डीएनडी श्रेणियों के माध्यम से अवसरों में वृद्धि करना, सात डीपीएसयू जोड़े गए हैं, तथा डीपीएसयू में प्रतिभूतियों और भुगतान शर्तों में समानता है और बैंक गारंटी जो पहले पांच से दस प्रतिशत थी, उसे घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है और आज की तारीख में ये तीन प्रतिशत ही हैं। समिति रक्षा क्षेत्र में निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए की गई पहलों की सराहना करती है लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। समिति ने यह कहा है कि रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के संबंध में मंत्रालय को विदेशी समूहों के बजाय स्वदेशी निजी उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निर्माण की दुरुह और लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को पूंजी निवेश बढ़ाना चाहिए और स्वदेशी कंपनियों को डिजाइन और अनुसंधान सहायता देनी चाहिए ताकि विविधतापूर्ण स्वदेशी निजी रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके, जो कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का भी लक्ष्य है। समिति ने इस ओर भी इंगित किया कि निजी रक्षा क्षेत्र के बेहतर अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्पष्ट डिजाइन और पेटेंट कानून मौजूद हों। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो, सक्रिय रूप से बाध्यकारी डिजाइन और पेटेंट कानून तैयार करने चाहिए।

<u>सैन्य हार्डवेयर हेतु विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता</u>

15. भारतीय और विदेशी विक्रेताओं से रक्षा उपस्करों की पूंजीगत खरीद रक्षा खरीद प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। सशस्त्र बलों की संक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न देशों से रक्षा उपकरणों का आयात किया जा रहा है। समिति को सूचित किया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद के लिए कुल 264 पूंजीगत खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से रूस, अमेरिका, इजरायल और फ्रांस सहित विदेशी विक्रेताओं के साथ कुल अनुबंध मूल्य के लगभग 36.26% मूल्य के 88 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि डीपीएसयू और पूर्ववर्ती ओएफ में 2017-18 से 2021-22 तक आयात का मूल्य लगभग 68871.4 करोड़ रुपये है। समिति नोट करती है कि डीपीएसयू द्वारा विनिर्मित उपकरणों के लिए आयातित सामग्री काफी अधिक है। चूंकि हमारे सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) और आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) स्वदेशी रक्षा उत्पादन का आधार हैं और रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण कार्यक्रम के ध्वजवाहक भी हैं। हालांकि, वे अभी भी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने से बहुत दूर हैं, जो उनके द्वारा विकसित किए जा रहे विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों के निर्माण में आयात के काफी मूल्य से स्पष्ट है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि अब यह अनिवार्य है कि डीपीएसयू और ओएफबी भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाए।

16. समिति आगे यह नोट करती है कि हालांकि विदेशी विक्रेताओं से खरीद उनके भारतीय समकक्षों की तुलना में बहुत कम है, फिर भी सशस्त्र बलों के तीनों विंगों के लिए 2017-18 से आयात का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, उदाहरण के लिए वायु सेना के मामले में, विदेशी स्रोतों से रक्षा उपकरणों की खरीद पर किया गया खर्च 2020-21 के 24,570.18 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 25,424.98 करोड़ हो गया है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, डीपीएसयू, डीआरडीओ और निजी उद्योगों के लिए न

केवल स्वदेशी उत्पादों की आयात प्रतिस्थापन क्षमता को अपितु उनकी निर्यात क्षमता को भी बढ़ाने के लिए उपकरणों/यंत्रों के निर्माण हेतु सामंजस्य स्थापित करने के तरीके और साधन खोजे ताकि देश रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक से एक विशिष्ट निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो सके।

17. समिति नोट करती है कि कई रिपोर्टों के अनुसार 2016-20 में भारत द्वारा खरीदे गए प्रमुख पारंपरिक हथियारों में से 84.3 प्रतिशत विदेशी मूल के थे, जिनमें से लाइसेंस प्राप्त उत्पादन 57.8 प्रतिशत था जो स्पष्ट रूप से विदेशी स्रोतों पर सशस्त्र बलों की उच्च निर्भरता को दर्शाता है। समिति का मानना है कि स्वदेशीकरण को और अधिक प्रोत्साहित करके इस निर्भरता को कम किया जाए और उनसे अनुरोध करती है कि वे वैश्विक निर्यातक बनने के प्रयास करे। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय स्थानीय कंपनियों के विकास में सहायता करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर छूट/रियायतों के माध्यम से घरेलू स्तर पर उद्योग-अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करे, जिससे न केवल हमारे देश का समग्र विकास हो सके, बल्कि साथ ही साथ उन मित्र देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके, जो 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर दि वर्ल्ड' के हमारे दृष्टिकोण में हमारे साथ हैं।

<u>आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया</u>

18. समिति नोट करती है कि सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए तैयार की गई है। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' का मुख्य रूप से पालन रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) के तहत भारतीय विक्रेताओं से खरीद को प्राथमिकता प्रदान करने, रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने और अन्य नीतिगत उपायों जैसे मेक प्रक्रिया का सरलीकरण, मेक 2 उप-श्रेणी के लिए सरलीकृत प्रक्रिया की शुरुआत, लाइसेंसिंग व्यवस्था का उदारीकरण और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर एफडीआई नीति का उदारीकरण, निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण, रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों को सुव्यवस्थित करना, सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच

समान अवसरों का सृजन, आउटसोर्सिंग और विक्रेता विकास दिशानिर्देश तैयार करना, सरकारी और निजी क्षेत्र के उद्योगों विशेष रूप से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) आदि के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना करने से किया जाता है। बजट आवंटन सेनाओं की रक्षा उपकरण आवश्यकताओं के कुल खरीद के लिए किया जाता है। एसपीबी/डीपीबी/डीएसी जैसी विभिन्न समितियों में विचार-विमर्श के बाद रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) में पूंजीगत अधिग्रहण के प्रस्तावों को 'खरीदो (भारतीय-आईडीडीएम)', 'खरीदो (भारतीय)', 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' और 'खरीदो और बनाओ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इन वर्गो को 'खरीदो (वैश्विक)' वर्ग की तुलना में वरीयता दी गई है। इसके लिए, रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए 2022-23 के लिए पूंजीगत अधिप्राप्ति बजट के तहत 84,597.89 करोड़ रुपये की अपनी आधुनिकीकरण निधि का लगभग 68% प्रतिशत निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट अनुमान के स्तर पर रक्षा बजट का 75 प्रतिशत आवंटन घरेलू खरीद के लिए रखा गया है और इसके साथ मेक परियोजनाओं के तहत प्रोटोटाइप विकास के लिए 1231.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें उद्योग जगत भागीदार होगें। समिति मानती है कि यद्यपि घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए बजट का एक बड़ा आवंटन निर्धारित किया गया है, फिर भी रक्षा मंत्रालय के पास स्वदेशीकरण के लिए आरक्षित धन का उपयोग करने के बारे में स्पष्ट रणनीति नहीं है क्योंकि डीपीएसयू और पूर्ववर्ती ओएफ अभी भी लगभग 68871.4 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों का आयात कर रहे हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष 2023-24 में आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए अधिक प्रभावी तरीकों का पता लगाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सशस्त्र सेनाओं, डीपीएसयू और अन्य सभी हितधारकों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के लिए व्यापक प्रयास करने चाहिए ताकि मेक इन इंडिया श्रेणियों के तहत उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसके बाद, की-गई-कार्रवाई चरण में समिति को 2022-23 में

84,597.89 करोड़ रुपये में से घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग के विवरण से अवगत कराया जाए।

<u>ऑफसेट खंड</u>

समिति नोट करती है कि केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर 2005 में रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) में रक्षा पूंजी अधिप्राप्ति के तहत ऑफसेट की शुरूआत की गई था। इसके बाद डीपीपी में ऑफसेट दिशानिर्देशों में 6 बार संशोधन किया गया है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीएपी 2020) के अनुसार ऑफसेट प्रावधान केवल पूंजी अधिप्राप्ति की "खरीदो वैश्विक" वर्गों पर लागू होते हैं। वे 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी अधिप्राप्ति अनुबंधों में आवेदन करते हैं। हालांकि, ऑफसेट 'फास्ट ट्रैक प्रक्रिया' के तहत खरीद के लिए और "विकल्प खंड" मामलों में लागू नहीं होते हैं, यदि मूल अनुबंध में इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, अंतर-सरकारी करारों/विदेशी सैन्य विक्रयों (आईजीए/एफएमएस) के आधार पर खरीद सहित सभी प्रारंभिक एकल विक्रेता मामलों में कोई ऑफसेट लागू नहीं होगा और यदि स्वदेशीकरण घटक 30% या उससे अधिक है तो 'खरीद वैश्विक' मामलों के तहत भारतीय कंपनियों पर ऑफसेट प्रयोज्यता उत्पन्न नहीं होती है। समिति यह भी नोट करती है कि ऑफसेट संविदाएं मुख्य खरीद संविदा के साथ-साथ समाप्त होते हैं और सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) के अनुमोदन के बाद मुख्य खरीद संविदा के साथ हस्ताक्षरित होते हैं और ऑफसेट निर्वहन की अवधि को अपवाद आधार पर अधिकतम दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा डीएपी ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए पात्र उत्पादों/सेवाओं को निर्धारित करता है जिसमें रक्षा उत्पाद और हेलीकॉप्टरों और विमानों से संबंधित रखरखाव, मरम्मत और संचालन (एमआरओ) शामिल हैं। यद्यपि, ऑफसेट दायित्वों की पूर्ति की जिम्मेदारी मुख्य विक्रेता की है, विक्रेता को अपने कार्य हिस्से के आधार पर टियर 1 उप-विक्रेताओं के जरिए अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अनुमति है। निवेश और/या प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में, ऑफसेट निर्वहन विक्रेता/टियर-1 उप-विक्रेता से भिन्न अन्य संस्थाओं द्वारा करने की

अनुमति मामला-दर-मामला आधार पर दी जा सकती है और विक्रेता डीपीएसयू/ओएफबी/डीआरडीओ/निजी उद्योग से अपने भारतीय ऑफसेट भागीदारों (आईओपी) का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा ऑफसेट नीति विक्रेताओं को संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद के चरण में अर्थात् या तो ऑफसेट क्रेडिट मांगने के समय या ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन से एक वर्ष पूर्व ऑफसेट विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।

19. समिति को यह बताया गया है कि विक्रेता तकनीकी ऑफसेट मूल्यांकन समिति (टीओईसी) चरण में ऑफसेट दिशानिर्देशों के अनुसार तकनीकी ऑफसेट प्रस्ताव में सहायक दस्तावेजों के साथ भारतीय ऑफसेट भागीदारों, उत्पादों और कार्य हिस्सेदारी का विवरण प्रदान करने में हो रही कठिनाइयों को व्यक्त करते रहे हैं, और ये गतिविधियां कई वर्षों के बाद शुरू की जाएंगी, जिसके कारण उस समय संविदा में बदलाव की मांग की जाएगी। संविदा पश्चात उसके प्रबंधन की दिशा में एक अन्य बड़ी चुनौती आईओपी/उत्पाद आदि में परिवर्तन के लिए विक्रेताओं से प्राप्त संविदा संशोधन अनुरोधों का समय पर और सार्थक निपटान करना था। इन मुद्दों के समाधान रक्षा अधिग्रहण परिषद के अनुमोदन से ऑफसेट दिशानिर्देशों में संशोधन करके किया गया है, जिसके तहत विक्रेताओं को संविदाओं पर हस्ताक्षर करने के बाद भी आईओपी और उत्पादों का विवरण प्रदान करने का विकल्प दिया गया है, जिससे यह और अधिक व्यवहारिक हो जाता है। इस बात पर समिति का सोचना है कि मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा ऑफसेट करार पूरा नहीं किए जाने की कई घटनाएं हमारे देश के रक्षा अनुसंधान और विकास क्षेत्र के विकास के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर भी अनिर्णायक है। यद्यपि समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि भारतीय ऑफसेट भागीदारों (आईओपी) और ऑफसेट घटकों को बदलने की अनुमति देकर संविदा संशोधन की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया है, फिर भी हस्ताक्षरित संविदाओं के लिए, मंत्रालय के पास जमीनी स्तर पर विक्रेताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर ऑफसेट दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आगे प्रयास

करने की गुंजाइश है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय इस तरह के समझौते की प्रारम्भ से ऑफसेट भागीदारों के चयन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए ताकि किसी भी स्तर पर ऑफसेट समझौते में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोका जा सके । इसके अलावा, समिति इस बात से पूरी तरह सहमत है कि रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण में सफलता ऑफसेट समझौते के सम्पूर्णतः पालन पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए कि स्वदेशीकरण कार्यक्रमों को गति देने के लिए सभी ऑफसेट समझौतों के सभी स्तरों पर अच्छी तरह से लागू किया जाए। ऑफसेट समझौते का उल्लंघनकर्ताओं को सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए समुचित दंड दिया जा सकता है। समिति को इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>प्रत्यक्ष विदेशी निवेश</u>

20. समिति नोट करती है कि सरकार ने सितंबर 2020 में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है, जिससे ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% तक और 74% से अधिक एफडीआई की अनुमति सरकारी रूट के माध्यम से दी गई है, जहां-जहाँ इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच या रिकार्ड किए जाने लायक अन्य कारणों की संभावना है। समिति नोट करती है कि एफडीआई की इस सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अपने साथ प्रौद्योगिकी भी लाएगा और एफडीआई सीमा को भी काफी आकर्षक बनाया गया है क्योंकि यह सरकारी रूट के माध्यम से 100% तक निवेश की सुविधा प्रदान करता है। अक्टूबर, 2022 तक रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में 4814 करोड़ रुपये से अधिक के एफडीआई निवेश की सूचना मिली है। इसके अलावा, 2014 से अक्तूबर, 2022 तक रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में 3432 करोड़ रुपये से अधिक के एफडीआई निवेश की सूचना मिली है। इसके अलावा, अब तक, 45 संयुक्त उद्यमों/कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। समिति का विचार है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के बावजूद आत्मनिर्भरता के उद्देश्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि मौजूदा एफडीआई नीति सरकारी रूट से 100 प्रतिशत तक निवेश की सुविधा प्रदान करती है, जहां-जहाँ इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच या रिकार्ड किए जाने लायक अन्य कारणों की संभावना है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इसके परिणामस्वरूप ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने से घरेलू भागीदार का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि एफडीआई को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किए गए उपायों के अलावा, मंत्रालय द्वारा देश के स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास आधार को सुदृढ़ करने और देश के भीतर सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए केंद्रित प्रयास किए जाए, ताकि स्वदेशी रक्षा क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों/सहायक उपकरणों को विकसित करने और निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिन्हें वर्तमान में एफडीआई मार्ग के माध्यम से अधिप्राप्त किया जा रहा है।

रक्षा आयोजना

समिति नोट करती है कि रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वर्तमान खतरे की आशंका के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए रक्षा पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई हैं। ये योजनाएं योजनाबद्ध तरीके से प्रत्येक सशस्त्र सेना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिव्यय का अनुमान लगाने में मदद करती हैं। समिति आगे नोट करती है कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्रचालनात्मक कार्यकलाप उपलब्ध बजट आबंटनों के भीतर किए जाते हैं। आबंटित निधियों के इष्टतम और पूर्ण उपयोग के लिए योजनाओं की प्राथमिकता पुनः तय की जाती है ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा बलों की प्रचालनात्मक तैयारियों से कोई समझौता किए बिना तत्काल और महत्वपूर्ण क्षमताएँ प्राप्त की जा सकें।

<u>वित्त मंत्रालय से अनुमोदन</u>

21. समिति नोट करती है कि रक्षा पंचवर्षीय योजनाएं वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजटीय आवंटन की सीमाओं के भीतर सशस्त्र सेनाओं की अनिवार्यताओं के बीच के अंतर को पाटने के एक माध्यम के रूप में काम करती हैं। समिति यह भी समझती है कि सरकार ने तेरहवीं रक्षा योजना (2017-22) के तहत एक रक्षा योजना समिति का गठन किया है, जो न केवल रक्षा बलों के सुधार के लिए दीर्घकालिक योजना का समन्वय करेगी, बल्कि सुरक्षा प्राथमिकताओं, विदेश नीति अनिवार्यताओं, वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन के बदलते स्वरूप का मूल्यांकन भी करेगी। समिति इस तथ्य को नोट करती है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के बावजूद मंत्रालय को अभी तक वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। समिति नोट करती है कि रक्षा योजना काफी समय से वित्त मंत्रालय के अनुमोदन का इंतजार कर रही है। यद्यपि रक्षा योजना का अनुमोदन न किए जाने से रक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा नहीं आई, फिर भी इस समय समिति यह दोहराना चाहेगी कि वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त करना रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च विशेषाधिकार होना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय इसे प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। समिति को इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी)</u>

22. मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (एचक्यूआईडीएस), सशस्त्र सेनाओं के सभी स्कंधों, जो तीनों सेनाओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते है, के लिए संयुक्त योजना सुनिश्चित करने के लिए संपर्क का एकल बिंदु है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दीर्घकालिक एकीकृत परिपे्रक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी) वर्तमान में, एलटीआईपीपी 2012-2027 के तहत है और इसे रक्षा अधिप्राप्ति

परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिप्राप्ति के सभी प्रस्ताव रक्षा खरीद योजना प्रक्रिया से निकलते हैं जिसमें 15 वर्षीय एलटीआईपीपी, 5 वर्षीय सेवा पूंजी अधिप्राप्ति योजना (एससीएपी) और वार्षिक अधिप्राप्ति योजना (एएपी) शामिल हैं।

मंत्रालय के अनुसार, एएपी में शामिल खरीद मामलों की संविदाओं पर हस्ताक्षर करके/मांग पत्र का आदेश करके अंतिम रूप दिए जाने तक डीपीपी के अनुसार प्रगति होती है। समिति को अवगत कराया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अनुबंधों के संदर्भ में 1,00,915 रुपये (95.30%) और 16154 रुपये (4.70%) पूंजीगत खरीद पर अब तक हस्ताक्षर किए गए हैं। सशस्त्र सेनाओं की अधिकांश पूंजीगत अधिप्राप्ति एलटीआईपीपी के अनुसार हुई हैं, जो मंत्रालय की सूचना के अनुसार, एक निर्धारित अवधि में क्षमताओं/प्लेटफार्मों के अधिप्राप्ति के लिए एक व्यापक ढांचा बनाता है। रक्षा अधिप्राप्ति परिषद की उचित मंजूरी लेने और बाद में संशोधित एएपी में शामिल किए जाने के बाद, समिति ने कतिपय खरीदों के बारे में समिति नोट किया है की, जिनको कतिपय प्रचालनात्मक आपात स्थितियों (जो वार्षिक अधिप्राप्ति योजना (एएपी) का हिस्सा नहीं हैं) से निपटने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, समिति आधुनिक हथियारों की खरीद करने के लिए रणनीतिक जोखिम और तात्कालिकता को समझती है, लेकिन यह भी विचार करती है कि कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने की भिन्न प्रथा अपवाद के मामलों के लिए होनी चाहिए और हथियारों या उपकरणों की खरीद के मामले में एक प्रथा नहीं बनना चाहिए। उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, समिति रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह सशस्त्र सेनाओं के सभी स्कंधों को पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके संशोधित आईसीएडीएस मॉडल के अनुसार भविष्य की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करे। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा योजना को अपनी खरीद रणनीति तैयार करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और सभी स्तरों पर किसी भी प्रक्रियात्मक देरी से बचना चाहिए।

23. 2018-19 से 2022-23 तक तेरहवीं रक्षा योजना में वर्ष-वार आवंटन के तहत बीई, आरई और वास्तविक व्यय के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच करने के बाद समिति नोट करती है कि संशोधित अनुमान चरण में 2020-21 और 2021-22 में आवंटित निधियों का मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। 2020-21 में, व्यय 3,40,093.51 करोड़ रुपये था, जो स्पष्ट रूप से 3,43,822.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन से कम था। समिति समझती है कि कम उपयोग देश में कोविड-19 की स्थिति के कारण विभिन्न सेवाओं/संगठनों द्वारा किए गए कम व्यय के कारण हो सकता है। समिति आगे पाती है कि 2021-22 में मंत्रालय को 3,68,418.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और 3,66,545.90 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, 4,09,500.48 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 की पहली दो तिमाहियों में केवल 2,67,523.08 करोड़ रुपये का उपयोग कर पाया था। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा मंत्रालय प्रत्येक सशस्त्र सेना के साथ ठोस और समन्वित प्रयास करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सेवा स्कंधो द्वारा और वित्तीय वर्ष 2022-23 की समय सीमा के भीतर संतुलित तरीके से निधियों का पूरा उपयोग किया जाए। समिति 2023-24 में मंत्रालय के अनुमानों की तुलना में उनको आवंटित राशि के आंकड़ों से अवगत होना चाहेगी।

नई दिल्ली; **जुएल ओराम**

मार्च, 2023 **सभापति**

फाल्गुन, 1944 (शक) **रक्षा संबंधी स्थायी समिति**

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1800 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. कुंवर दानिश अली
6. श्री एन .रेड्डप्पा
7. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
8. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्यसभा

9. डॉ. अशोक बाजपेयी
10. श्री प्रेम चंद गुप्ता
11. श्री सुशील कुमार गुप्ता
12. श्रीमती पी.टी. उषा
13. श्री जी.के. वासन
14. ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

साक्षियों की सूची

रक्षा मंत्रालय

क्रमांक	**नाम**	**पद**
आम रक्षा बजट		
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
3.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
4.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
5.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
6.	लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान	क्यूएमजी
7.	लेफ्टिनेंट जनरल समीर गुप्ता	डीजी एफपी
8.	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
9.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस (पीपी और एफ़डी)
10.	लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी	डीसीओएएस (सीडी और एस)
11.	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एड्ज्युटेंट जनरल
12.	लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया	ई-इन-सी
13.	लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा	एमजीएस
14.	लेफ्टिनेंट जनरल वी श्रीहरि	डीजी (एमपी और पीएस)
15.	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजी सीडी
16.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
17.	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)

18.	एवीएम एच बैंस	जेएस)वायु (और जेएस)नौसेना(
19.	श्री डी.के. राय	जेएस (प्लानिंग/पार्ल) और एस्टा.
20.	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (सेना और टीए)
21.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
	आर एडमिरल दलबीर एस	एसीआईडीएस (एफपी और एडीएम)
22.	गुजराल	
	रियर एडमिरल सीआर प्रवीण	एसीएनएस (पी और पी)
23.	नायर	
24.	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी
25.	ब्रिगेडियर अजय कटोच	ब्रिगेडियर एसपी (योजना)

रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम

1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3.	श्री टी नटराजन	अपर सचिव (डीपी)
4.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
5.	श्री शलभ त्यागी	जेएस (पी एंड सी)
6.	श्री राजीव प्रकाश	जेएस (एनएस)
7.	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
8.	श्री अनुराग बाजपेयी	जेएस (डीआईपी)
9.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जेएस (एलएस)
	सीएमडी सिद्धार्थ मिश्रा	सीएमडी, बीडीएल
10.	(सेवानिवृत्त)	
11.	श्री सी बी अनंत कृष्णन	सीएमडी, एचएएल
12.	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव	सीएमडी, बीईएल
13.	सीएमडी हेमंत खत्री	सीएमडी, एचएसएल
14.	श्री अमित बनर्जी	सीएमडी, बीईएमएल
15.	श्री ब्रजेश कुमार उपाध्याय	सीएमडी, जीएसएल
16.	सीएमडीई पीआर हरि	सीएमडी, जीआरएसई
17.	डॉ. एस. के. झा	सीएमडी, मिधानी
18.	श्री संजीव सिंघल	सीएमडी, एमडीएल

19.	श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)
20.	सीएमडीटी राजीव पंहोत्रा	एजीएम (जीएसएल)

रक्षा संपदा महानिदेशालय

1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार	डीजी एलडब्ल्यू एंड ई
3.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
4.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी
5.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
6.	श्री राकेश मित्तल	जेएस (एल और डबल्यू / एसएस)
7.	श्री अजय कुमार शर्मा	डीजीडीई
8.	सुश्री सोनम यांगडोल	एडिशनल डीजी
9.	मेजर जनरल राजदीप सिंह रावल	एडीजी एलडब्ल्यू एंड ई
10.	सुश्री शर्मिष्ठा मैत्रा	निदेशक (भूमि)
11.	श्री वलेती प्रेमचंद	एडिशनल डीजी
12.	सुश्री निगार फातिमा	एडिशनल डीजी
13.	सुश्री विभा शर्मा	एडिशनल डीजी
14.	श्री अमित कुमार	डीडीजी
15.	श्री अभिषेक आजाद	सहायक महानिदेशक
16.	श्री विजय मल्होत्रा	निदेशक (प्रश्नोत्तर/कार्य)

सीमा सड़क संगठन

1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी	डीजीबीआर
3.	लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया	ई-इन-सी
4.	डॉ. अजय कुमार	जेएस (बीआर)
5.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
6.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
7.	श्री पंकज अग्रवाल	डीजी (एसीक्यू)
8.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी

तटरक्षक संगठन

1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
3.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
4.	श्री मनीष त्रिपाठी	जेएस (एएफ़/ नीति)
	एडीजी राकेश पाल	एडीजी सीजी और एडिशनल चार्ज डीजी
5.		आईसीजी

नौसेना और संयुक्त स्टाफ

1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
3.	वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे	वीसीएनएस
4.	वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी	पुलिस अधिकारी
5.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस
6.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
7.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी
8.	एवीएम एच बैंस	जेएस (नौसेना)
	आर एडमिरल दलबीर एस	एसीआईडीएस
9.	गुजराल	
10.	आर एडमिरल कपिल मोहन धीर	वरिष्ठ सलाहकार/डीएमए
	आर एडमिरल सीआर प्रवीण	एसीएनएस (पी और पी)
11.	नायर	
12.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों की बैठक की कार्यसूची अर्थात् मौखिक साक्ष्य के बारे में सूचित किया।

3. तत्पश्चात, सभापति ने समिति की बैठक में रक्षा सचिव, सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जो कि रक्षा मंत्रालय की अनुदानों

की मांगों वर्ष 2023-24 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी।

4. सभापति ने बैठक की समग्र कार्यसूची अर्थात वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में 'सामान्य रक्षा बजट, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए), रक्षा मंत्रालय (सिविल), रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम (डीपीएसयू), रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), तटरक्षक संगठन (सीजीओ), नौसेना और संयुक्त कर्मचारी' विषयों पर में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के बारे में सूचित किया और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों पर समिति को जानकारी देने का अनुरोध किया। उन्होने उनका ध्यान माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश 55(1) की ओर भी आकर्षित किया जिसके अनुसार यहां पर जो भी चर्चा की गई है, उसे तब तक गोपनीय रखा जाए जब तक कि इस विषय पर समिति का प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाए।

5. रक्षा सचिव ने 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा सेवा अनुमानों और अन्य अनुदान मांगों का अवलोकन करके चर्चा शुरू की। रक्षा सचिव द्वारा दिए गए संक्षिप्त विवरण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

एक. बजट 2022-23 में आवंटन की तुलना में कुल रक्षा बजट में 68,371 करोड़ रुपये अर्थात् 13 प्रतिशत की वृद्धि; और

दो. 2023-24 में गैर-वेतन राजस्व आवंटन में अभूतपूर्व 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6. तत्पश्चात्, समिति के समक्ष सामान्य रक्षा बजट पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा आवंटन में वृद्धि;

ii. युद्ध की उभरती और विकसित प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक हथियारों और गोला-बारूद के उन्नयन और आधुनिकीकरण की योजना;

iii. 2023-24 में अनुसंधान और विकास और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए आवंटन;

iv. सशस्त्र बलों के लिए उपस्करों, हथियारों और गोला-बारूद की समय पर खरीद;

v. संशोधित अनुमान 2022-23, मुद्रास्फीति और डॉलर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए रक्षा बजट में वृद्धि;

vi. अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन के कारण पेंशन देनदारियों पर बचत और प्रभाव;

vii. रक्षा क्षेत्र में पूर्ण स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रणनीति;

viii. सशस्त्र सेनाओं के लिए जनशक्ति की भर्ती बढ़ाने की आवश्यकता;

ix. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट;

x. अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन;

xi. देश के कुल बजट में रक्षा बजट का हिस्सा;

xii. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के अनुमान और आबंटन के बीच अंतर;

xiii. जासूसी की घटनाओं को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की मौजूदा प्रणाली;

xiv. घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूंजीगत अधिप्राप्ति के 68 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति;

xv. रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ सहयोग;

xvi. रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन;

xvii. रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार देशों का चयन; और

xviii. बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ तुलना।

7. समिति की ओर से माननीय सभापति ने बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2023 के सफल आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय, एचएएल, डीआरडीओ और अन्य भागीदार संगठनों को बधाई दी।

8. जलपान के पश्चात् रक्षा मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के प्रतिनिधियों ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से 'सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों' विषय पर संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की।

इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. डीपीएसयू के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों की भर्ती;

ii. डीपीएसयू के बोर्डों में रिक्तियों को भरना;

iii. देश में कच्चे माल की उपलब्धता;

iv. मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता;

v. रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निजी संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों से सहायता;

vi. देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ डीपीएसयू का समन्वय;

vii. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा अधिग्रहित नई संविदाएं;

viii. रक्षा औद्योगिक गलियारों के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध;

ix. रक्षा विनिर्माण में निजी कंपनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता;

x. मिसाइलों और रॉकेटों के निर्माण के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा विदेशी सहयोग;

xi. एचएएल की उत्पादन क्षमता, किसी उत्पाद के विकास में लगने वाला समय और स्वदेशी इंजनों का उपयोग;

xii. बाजार में मिधानी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य उपकरणों और स्टेंट की उपलब्धता;

xiii. एचएएल द्वारा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान और 5वीं पीढ़ी के विमानों के निर्माण के लिए समय सीमा;

xiv. उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए बीईएल का योगदान;

xv. सशस्त्र बलों के लिए उपस्करों के विकास और वितरण के लिए डीपीएसयू द्वारा लिया गया समय;

xvi. स्वदेशीकरण की 4 सकारात्मक सूचियों में अंतर;

xvii. डीपीएसयू द्वारा स्वदेशीकरण के प्रयासों को तेज करने और निर्यात में वृद्धि की आवश्यकता;

xviii. अंबाला में रक्षा गलियारों और अन्य सुविधाओं की स्थापना; और

xix. मिधानी द्वारा बुलेटप्रूफ जैकेट के निर्माण की प्रगति।

9. इसके पश्चात्, रक्षा संपदा संगठन (डीईओ) के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यापक चर्चा हुई:

i. 2022-23 के लिए डीईओ के संशोधित अनुमान आबंटन में वृद्धि;

ii. रक्षा भूमि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव;

iii. छावनी क्षेत्रों में आम जनता द्वारा सड़कों के उपयोग में होने वाली असुविधाओं आदि जैसे मुद्दे और इन मुद्दों के समाधान के प्रयास;

iv. छावनी बोर्डों के लिए चुनाव;

v. छावनी क्षेत्रों में 'मरम्मत' करने के लिए सीमा में वृद्धि और उप-नियमों में संशोधन;

vi. नया छावनी विधेयक;

vii. स्कूलों और रक्षा संस्थानों को छावनी क्षेत्रों से सटे सिविल नगर निकायों को सौंपने के संबंध में नीति; और

viii. डीईओ से संबंधित लंबित मामले।

10. डीईओ के पश्चात्, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इस विषय पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया:

i. बीआरओ द्वारा निर्माण के लिए वन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की मंजूरी;

ii. बीआरओ द्वारा निर्मित सामान्य सड़क और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्मित सड़क के बीच लागत का अंतर;

iii. किसी सड़क को 'सीमा' सड़क के रूप में वर्गीकृत करना;

iv. पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ के लिए आबंटित बजट और संशोधित अनुमानों के बीच अंतर;

v. 2023-24 के लिए बीआरओ के बजटीय आंकड़े;

vi. उत्तराखंड के जोशीमठ में हाल की घटना को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को निष्पादित करते समय बीआरओ द्वारा सुरक्षा, भूवैज्ञानिक और सुरक्षा मापदंडों पर विचार;

vii. जनशक्ति की आपूर्ति के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू);

viii. बीआरओ द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे के कारण पर्यटन के अवसरों में सहायता; और

ix. उन क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियां जहां से बीआरओ द्वारा अधिकतम जनशक्ति नियुक्त की जाती है।

11. इसके बाद, माननीय सभापति ने तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित

किया। तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई:

i. जनशक्ति और संसाधनों के संदर्भ में तटरक्षक संगठन की पर्याप्त क्षमता;

ii. 2021-22 और 2022-23 में तटरक्षक बल द्वारा ड्रग्स की ज़ब्ती और ड्रग्स तस्करी पर अंकुश; और

iii. कुछ राज्यों में समुद्री पुलिस में जनशक्ति की कमी।

12. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने नौसेना और संयुक्त स्टाफ विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. संशोधित अनुमान 2022-23, बजट अनुमान 2023-24 और नौसेना और संयुक्त स्टाफ के लिए अनुमानित आवश्यकता;

ii. स्वदेशी विमान वाहक पोत की लागत, कमीशनिंग और तीसरे विमान वाहक पोत का प्रस्ताव;

iii. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की संस्वीकृत पद संख्या;

iv. सशस्त्र बलों के एकीकरण की प्रगति;

v. पड़ोसी देशों की तुलना में भारतीय नौसेना की क्षमता;

vi. सैनिक स्कूलों और एनडीए में महिला उम्मीदवारों की भर्ती और उन्हें बलों में शामिल करने की योजना;

vii. सेनाओं में नई बटालियनों को जोड़ने का प्रस्ताव;

viii. सेनाओं में अधिकारी स्तर के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव;

ix. राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को औपचारिक रूप देना;

x. वर्तमान खतरे के परिदृश्य का विश्लेषण; और

xi. चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के सुरक्षा और सैन्य गठबंधन के रूप में विकसित होने की संभावना।

13. अंत में, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों पर व्यापक चर्चा और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रक्षा मंत्रालय और सेना के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। माननीय सभापति ने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जो जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है, उसे शीघ्रातिशीघ्र सचिवालय को उपलब्ध कराया जाए।

इसके पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही के शब्दसः रिकार्ड की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति)2022-23)</u>

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति की पांचवी बैठक का कार्यवाही सारांश)2022-23)</u>

समिति की बैठक बुधवार, फरवरी 22, बजे तक 1815 बजे से 1100 को 2023 मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध भवन, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री जुएल ओराम सभापति -

<u>सदस्य</u>

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री डीसदानन्द गौड़ा .वी .
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. डॉरामशंकर कठेरिया .
6. डॉराजश्री मल्लिक .
7. श्री एन .रेड्डप्पा
8. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
9. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्य सभा

10 डॉअशोक बाजपेयी .
11 श्री प्रेम चंद गुप्ता
12 श्री सुशील कुमार गुप्ता
13 श्री कामाख्या प्रसाद तासा
14 डॉसुधांशु त्रिवेदी .

15 श्रीमती पीउषा .टी.

16 ले(.रिटा) वत्स .पी .डी (.डॉ) जनरल .

17 श्री केवेणुगोपाल .सी .

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	संजीव शर्मा .डॉ	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

साक्षियों की सूची

रक्षा मंत्रालय

सेना

1	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस एंड सचिवडीएमए/
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री राजेश शर्मा	एडिशनल एफए एंड जेएस (आरएस)
4	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
5	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट (
6	लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी	डीसीओएएस (सीडी एंड एस (
7	लेफ्टिनेंट जनरल समीर गुप्ता	डीजी एफपी
8	लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार	डीजीएमओ
9	लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा	एमजीएस
10	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजीसीडी
11	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एड्जूटेंट जनरल
12	लेफ्टिनेंट जनरल एजे फर्नांडीज	डीजी एसडी
13	लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान	क्यूएमजी
14	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (सेना एंड टीए)

15	मेजर जनरल आर पुतरजुनम	एडीजी एई (एईसी) एचओएस 7
16	मेजर जनरल सीएस मान	एडीजी एडीबी
17	मेजर जनरल अभिनय राय	एडीजी एसपी
18	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)

1	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
3	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिवडीओडी/
4	लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह	डीजीएनसीसी
5	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए एंड जेएस (आरएस)
6	सुश्री निष्ठा उपाध्याय	संयुक्त सचिव

सैनिक स्कूल

1	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
3	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिवडीओडी/
4	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए एंड जेएस (आरएस)
5	श्री राकेश मित्तल	जेएस एसएस/ लैंड)

वायु सेना

1	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस एंड सचिवडीएमए/
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	एयर मार्शल एपी सिंह	वीसीएएस
4	एयर मार्शल एन तिवारी	डीसीएएस
5	एवीएम एच बैंस	जेएस (वायु)
6	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए एंड जेएस (आरएस)
7	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)

8	एवीएम जी थॉमस	एसीएएस (योजना(
9	एवीएम टी चौधरी	एसीएएस (प्रोजेक्ट)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ))

1	डॉसमीर वेंकटपति कामत .	सचिव
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री के एस वरप्रसाद	डीएस एंड डीजी (एचआर)
4	श्री हरि बाबू श्रीवास्तव	ओएस एंड डीजी
5	सुश्री सुमा वर्गीज	ओएस एंड डीजी (एमईडी एंड सीओएस)
6	डॉयूके सिंह .	ओएस एंड डीजी (एलएस)
7	श्री पुरुषोत्तम बेज	ओएस एंड डीजी (आर एंड एम)
8	श्री ए डी राणे	ओएस एंड डीजी (ब्रह्मोस)
9	डॉ)सुश्री(चंद्रिका कौशिक	ओएस एंड डीजी (पीसी एंड एसआई)
10	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए एंड जेएस (आरएस)
11	श्री वेदवीर आर्य	एडीशनल एफए एंड जेएस
12	डॉरविंद्र सिंह .	निदेशक (डीपीए)
13	डॉसुमित गोस्वामी .	निदेशक (योजना एंड समन्वय)

आयुध निदेशालय न्यू डीपीएसयू -

1	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए एंड जेएस (आरएस)
4	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जेएस (एलएस)
5	श्री राजीव प्रकाश	जेएस (एनएस)
6	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
7	श्री शलभ त्यागी	जेएस (पी एंड सी)
8	श्री अनुराग बाजपेयी	जेएस (डीआईपी)

9	श्री संजीव किशोर	डीजीओ (सी एंड एस)
10	श्री एन आई लस्कर	डीडीजी (बजट)
11	श्री उमेश सिंह	डीडीजी (एनडीसीडी)
12	श्री बीरेंद्र प्रताप	निदेशक (एनडीसीडी)
13	श्री रवि कांत	सीएमडी (एमआईएल)
14	श्री राजेश चौधरी	सीएमडी (एडब्ल्यूईआईएल)
15	श्री एससिन्हा .के.	सीएमडी (टीसीएल)
16	श्री राजीव पुरी	सीएमडी (वाईआईएल)
17	श्री संजीव कुमार	सीएमडी (आईओएल)
18	श्री वीतिवारी .के.	सीएमडी (जीआईएल)
19	श्री संजय द्विवेदी	निदेशकअवनी/
20	मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा	एडीजी एमओ (बी)
21	मेजर जनरल मोहित वाधवा	एडीजी ईएम

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए बैठक के दौरान उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल डॉ को बैठक (सेवानिवृत्त) डीपी वत्स .में समिति के सदस्यों द्वारा लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अनुसार कार्यवाहक सभापति के रूप में चुना गया था।

3. कार्यवाहक सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी। इसके बाद समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सभापति ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध की कि वे समिति को उस दिन की

कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दें एवं उनका ध्यान लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट किया।

4. उप सेना प्रमुख ने समिति को सेना के बारे में बताते हुए संक्षिप्त चर्चा शुरू की और उसके पश्चात एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दी। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार:विमर्श किया गया-

1) सेना को बजटीय आवंटन;
2) वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण का पुनर्गठन।
3) बुनियादी ढांचे, तकनीकी कौशल और सैन्य क्षमताओं का उन्नयन
4) आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और त्वरित राहत प्रदान करना
5) भारतीय सेना में लैंगिक तटस्थता
6) सेना द्वारा खेलों में योगदान
7) अक्टूबर 2022 से भारतीय सेना को आपातकालीन खरीद अधिकार
8) मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता
9) भविष्य में परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की तैयारी
10) भारतीय सेना में विंटेज और अन्य श्रेणी के उपकरणों की स्थिति
11) भारतीय सेना द्वारा स्वदेशीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास

5. इसके बाद, सभापति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रतिनिधियों को (एनसीसी) आमंत्रित किया। उन्होंने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी तत्पश्चात :निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई

1) एनसीसी में प्रशिक्षकों की कमी और एनसीसी में प्रशिक्षक के रूप में भूतपूर्व सैनिकोंपूर्व ए/नसीसी कैडेटों की भर्ती

2) एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए नवीनतम उपकरणों की आवश्यकता

3) राज्य सरकार और सीएपीएफ की नौकरियों में एनसीसी कैडेटों के लिए आरक्षण

4) एनसीसी कैडेटों को साइबर, कंप्यूटर, लेजर और अंतरिक्ष विशेषज्ञता प्रशिक्षण

5) निजी उद्योगों में एनसीसी कैडेटों के लिए रोजगार के अवसर

6) स्कूलों और कॉलेजों में स्व वित्त पोषण योजना का (एसएफएस) कार्यान्वयन।

7) सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में एनसीसी कैडेटों की कम चयन दर से संबंधित मुद्दे

6. सभापति द्वारा सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू की, जिसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

1) निजी क्षेत्र की भागेदारी में 100 नए स्कूल खोलना

2) सैनिक स्कूलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों जेसीओ एनसीओ को/ प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य - और प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करना।

3) सैनिक स्कूलों में धन की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता वाले कर्मचारियों की कमी।

4) नए सैनिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण।

5) सैनिक स्कूलों के छात्रों का कम संख्या में सशस्त्र बलों में शामिल होना

7. भारतीय वायु सेना आईएए)फकी आधुनिकीकरण योजना के संबंध (में वायु सेना के उप प्रमुख द्वारा चर्चा के बाद, एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई। तत्पश्चात:विमर्श किया गया-निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार ,

1)वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट में भारी गिरावट

2)अधिकृत स्क्वाड्रनों की संख्या में कमी

3)एलसीए में देरी के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन

4)लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण

5)भारतीय वायु सेना में अधिकारियों की कमी

8. तत्पश्चात, रक्षा अनुसंधान और विकास पर डीआरडीओ के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई, जिसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

1) निजी उद्योग को डीआरडीओ के निशुल्क पेटेंट:

2) निजी उद्योगों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

3) निजी उद्योग द्वारा डीआरडीओ की परीक्षण सुविधाओं का उपयोग

4) डीआरडीओ की मिशन मोड परियोजनाओं में देरी से संबंधित मुद्दा

5) मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए कावेरी इंजन का इस्तेमाल

6) डीआरडीओ द्वारा उत्पादों का स्वदेशीकरण

7) डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की कमी

9. तत्पश्चात, नए डीपीएसयू पर आयुध निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। प्रत्येक नए डीपीएसयू जिनके नाम हैंम्यूनेशंस - (एमआईएल) इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा पावर (जीआईएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (आईओएल) ओं पर चर्चा प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिन्दु -की

1) डीपीएसयू की ऑर्डर बुक की स्थिति

2) डीपीएसयू द्वारा अधिक लाभ अर्जित करने पर जोर

3) डीपीएसयू में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए नई मशीनों की स्थापना

4) सभी डीपीएसयू द्वारा की गई आधुनिकीकरण गतिविधियां

5) डीपीएसयू के स्वदेशीकरण कार्यक्रम

10. सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यथाशीघ्र लिखित उत्तरसूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया।/

इसके बाद साक्षी चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।.

11. कार्यवाही की एक शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति) 2022-23(

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार,फरवरी 24 , 2023 को 1101600 बजे से 0 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

ले(सेवानिवृत्त) त्सव .पी .डी (.डॉ) .जन . - कार्यवाहक सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रतन लाल कटारिया
3. कुंवर दानिश अली
4. श्री एनरेड्डप्प .ा
5. श्री बृजेन्द्र सिंह
6. श्री महाबली सिंह

राज्य सभा

7. डॉअशोक बाजपेयी .
8. श्री प्रेम चंद गुप्ता
9. श्री सुशील कुमार गुप्ता
10. डॉ .सुधांशु त्रिवेदी
11. श्री जी.के.वासन

12. श्रीमती पीऊषा .टी.

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉसंजीव शर्मा .	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

साक्षियों की सूची

क्र.सं .	अधिकारियों के नाम	पदनाम
	खरीद नीति और रक्षा योजना	
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस और सचिव/डीएमए
3.	वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे	वीसीएनएस
4.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
5.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
6.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
7.	लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी	एएसडीएमए/
8.	श्री पंकज अग्रवाल	डीजी (एसीक्यू)
9.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिवडीओडी/
10.	श्री टी नटराजन	अपर सचिव (डीपी)
11.	एयर मार्शल एन तिवारी	डीसीएएस
12.	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट(
13.	लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली	डीजी एसपी
14.	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजी सीडी
15.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस (पीपी और एफडी)
16.	एडीजी राकेश पाल	एडीजी सीजी और एडिशनल चार्ज डीजी आईसीजी

17.	श्री दिनेश कुमार	जेएस और एएम (एमएस)
18.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	जेएस और एएम (वायु(
19.	डॉअजय कुमार .	जेएस और एएम (एलएस)
20	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
21.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफएऔर जेएस (आरएस)
22.	एवीएम राजीव रंजन	एसीआईडीएस(पीपी और एफएस)
23.	मेजर जनरल अशोक सिंह	एडीजी पीएस
24.	एवीएम जी थॉमस	एसीएएस (योजना(
25.	आरएडीएम पीआर सादिक.ए.ए.	एक्वीजिशन टेक (सएम एंड ए)
26.	मेजर जनरल अभय दयाल	एडीजी एसीक्यू
27.	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
28.	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस)थल-सेना और टीए(
29.	आरएडीएम सीआर प्रवीण नायर	एसीएनसी
30.	मेजर जनरल अभिनय राय	एडीजी एसपी
31.	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी
32.	मेजर जनरल एनकेवी पाटिल	एडीजी प्रोक (बी)
33.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
34.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3.	लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत	डीजी (डीसी एंड डब्ल्यू)
4.	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एडजुटेंट जनरल
5.	वीएडीएम सूरज बेरी	नियंत्रक कार्मिक सेवाएँ
6.	एयर मार्शल आरके आनंद	डीजी (प्रशासन)
7.	डॉ .पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
8.	मेजर जनरल शरद कपूर	डीजी (पुनर्वास)
9.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए और जेएस (आरएस)
10.	मेजर जनरल अशोक सिंह	एडीजी पीएस
11.	एवीएम अशोक सैनी	एसीएएस
12.	आरएडीएम मनीष चड्ढा	एसीओपी
13.	कमोडोर एचपी सिंह	सचिव केएसबी
14.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
15.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)
16.	डॉ .पी .पी .शर्मा	ओएसडी

रक्षा मंत्रालय (पेंशन)

1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	श्री प्रवीण कुमार, आईडीएएस	अपर सीजीडीए
3.	डॉ .पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
4.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए एसऔर जे (आरएस)
5.	सुश्री सारिका अग्रवाल सिनरेम	आईडीएएस, संयुक्त सीजीडीए
6.	डॉजयराज नाइक .	आईडीएएस, संयुक्त सीजीडीए
7.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
8.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	डॉ .पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
3.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए और जेएस (आरएस)
4.	मेजर जनरल एन आर इंदुरकर	एमडी ईसीएचएस
5.	कर्नल पीके मिश्रा	निदेशक, ईसीएचएस
6.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
7.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते थे (.डॉ) .जन.ले , को बैठक में (सेवानिवृत्त) वत्स .पी.डीउपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा संसदीय समितियों से संबंधित लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम सं .258)3 किया गया।नुसार बैठक का कार्यवाहक सभापति नियुक्तके अ (

3. तत्पश्चात् कार्यवाहक सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सभापति ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि वे उस दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों पर समिति को संक्षिप्त जानकारी दें और उनका ध्यान लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकर्षित किया।

4. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने रक्षा खरीद नीति पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई:

i आत्मनिर्भर भारत पर बल - रक्षा उपकरण के स्वदेशीकरण और रक्षा में आत्मनिर्भरता;

ii व्यापार करने में आसानी;

iii घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र और ऑफसेट पर बल;

iii विदेशी उद्योगों से रक्षा उपकरणों की खरीद में कमी और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना;

iv रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में संशोधन ; और

v एकीकृत रक्षा क्षमता योजना और अप्रचलित मदों के प्रबंधन पर बल

5. तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देनी शुरू किया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचारकिया विमर्श-गया:

i. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के लिए बजटीय अनुदान;

ii. अग्निवीर योजना और उसके अंतर्गत अग्नीवीरों के प्लेसमेंट का विवरण;

iii. प्लेसमेंट के अवसर और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया;

iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित ग्रुप बी और ग्रुप सी अराजपत्रित पदों की रिक्तियों को भरना;

v. देश में शहीदों को दिए जाने वाले अनुग्रह नकदी लाभप्रतिपूर्ति के संबंध में / संघ/राज्योंराज्य क्षेत्रों में एकरूपता की कमी; और

vi. केंद्रीय, राज्य और जिला सैनिक बोर्डों की भूमिका और दायित्व.

6. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा रक्षा मंत्रालयपेंशन पर - त लिखित मुद्दों पर विस्तृतीकरण दिया गया। इसके बाद निम्नइंट प्रस्तुप्वा-पावर चर्चा की गई:

i. रक्षा पेंशन के विभिन्न घटक;
ii रक्षा पेंशनभोगियों के लिए स्पर्श का कार्यान्वयन;
iii समान रैंक समान पेंशन से संबंधित मुद्दे (ओआरओपी); और
v. पेंशन को एकसमान करने के संबंध में विवरण.

7. तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के प्रतिनिधियो (ईसीएचएस)ं द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया जिसके पश्चात निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

i. भूतपूर्व अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बजटीय (ईसीएचएस) अनुदान और निधियों का उपयोग;
ii. पॉलीक्लीनिक में विशेषज्ञों की रिक्तियां;
iii. ईसीएचएस लाभार्थियों को गैरसरकारी- पेनलबद्ध अस्पतालों द्वारा सेवा प्रदान करने से मना करने के संबंध में;
iv. एकीकृत परिसरों का निर्माण; और
v. समाप्त कर दी गयी ईसीएचएसया चिकित्सकीय रूप से /सुविधाओं और/ अयोग्य कैडेट।

8. सभापति ने रक्षा सचिव, सामान्य अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद दिया और रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही के शब्दशरिकॉर्ड की एक प्रति रखी गई है। :

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

2. श्री नितेश गंगा देब
3. श्री राहुल गांधी
4. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
5. चौधरी महबूब अली कैसर
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. डॉ. रामशंकर कठेरिया
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री एन. रेड्डप्पा
10. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
11. श्री जुगल किशोर शर्मा
12. श्री प्रताप सिम्हा
13. श्री बृजेन्द्र सिंह

14. डॉ. अशोक बाजपेयी
15. श्री सुशील कुमार गुप्ता
16. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
17. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
18. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
19. श्रीमती पी.टी. उषा
20. श्री जी.के.वासन
21. ले. जनरल (डॉ.) डी.पी.वत्स (रिटा.)
22. श्री के.सी. वेणुगोपाल

<u>सचिवालय</u>

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3. श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में सूचित किया। इसके बाद समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:-

(i) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20)' के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ii) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;

(iii) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;

(iv) 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा आयोजना (मांग सं. 21) के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन; और

(v) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन ।

3. 3. **X X X X**

X

X X X X

X X X X X[1]

4. समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सुविधानुसार किसी तिथि को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

इसके बाद, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

[1] यह भाग रिपोर्ट से संबंधित नहीं है।